खण्ड-210, अंक-7
शुक्रवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(4 मार्च, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोशई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री

प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
जरामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मेहतरों के क्वार्टर बनवाने के लिये शाहाबाद नगरपालिका को धन के लिये मांग

**१--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका, शाहाबाद, जिला हरदोई ने गत वर्ष सरकार से लिखित रूप से प्रार्थना की थी कि उसे मेहतरों के क्वार्टर्स बनाने के निमित्त धन की सहायता दी जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

स्वयत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--जी हां, इस समय बजट में इस सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। उक्त प्राविधान होने पर ही मामले पर विचार किया जा सकेगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ३० (४) के अन्तर्गत निर्धारित]

*१--श्रीगौरीशंकर राय (जिला बलिया)--[हटा दिया गया।]

[४ मार्च, १९६० के लिये निर्धारित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के कुछ थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनायें

*१--श्री अमर नाथ (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के महाराजगंज, कौडीमार, इपामदेउरवा, निचलौल, कम्पियरगंज पुलिस थानों में इस वर्ष कितनी चोरियां, डकैतियां तथा राहजनी और कत्ल हुये, इनमें कितने अभियुक्त दन्डित किये गये ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५० पर)

*२--श्री अमरनाथ (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त थानों में इस वर्ष जो चोरियां, डकैतियां तथा राहजनी हुईं उनमें कितनी लागत का सामान तथा कितना नकद धन चोरी गया और उनमें से कितनों का पता लगाकर सामान अथवा नकद धन बरामद किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उक्त चोरी व राहजनी की घटनाओं में कुल २१,३७५.२६ रुपये मूल्य की सम्पत्ति तथा १,६३६.३७ रुपया नकद चोरी गया। दोनों डकैतियों में कोई सम्पत्ति या धन नहीं लूटा गया।

राहजनी व चोरी के सभी मामलों में कुल ४,३६५.५९ रुपये मूल्य की सम्पत्ति बरामद हुई। नकद धन बरामद नहीं हुआ।

लखनऊ तथा वाराणसी में महिला अपहरण के मामले

*३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को पता है कि २३ नवम्बर, १९५९ की रात को यहां पर प्राग हाउस (लखनऊ यूनिवर्सिटी) के पास कार में बैठे हुये कुछ लोग पुरुष को रिवश से ढकेल कर उसकी धर्मपत्नी को उठा कर कार में बाराबंकी सड़क पर ले गये थे और आज (२४-११-५९) सुबह उक्त स्थान ही के समीप उसे छोड़ गये ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--जी हां। २२/२३ नवम्बर, १९५९ की रात को ऐसी घटना हुई थी।

*४--श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस तथा पिछले दो वर्षों में यहां पर इस तरह स्त्रियों के अपहरण की और कितनी घटनायें हो चुकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल एक घटना जो लखनऊ में दिनांक ३-३-५८ को हुई थी।

*५--श्री लक्ष्मणराव कदम तथा श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार को यह पता है कि २४ नवम्बर, १९५९ को वाराणसी में मुहल्ला सराय नाका पुलिस थाने के पास ही से दो आदमी एक लड़की को जबरदस्ती उसके घर से उठाकर ले गये थे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस घटना में उस स्त्री को घर से नहीं वरन् अभियुक्त नन्हकू तेली के बरामदे से जहां वह सो रही थी, घर के अन्दर ले जाया गया। जांच से मामला धारा ३४२, ३६६, ३७६ भा० दं० वि० का पाया गया और दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उक्त घटना के संबंध में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये और वह कार भी कड़ी गयी है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--६ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। कार भी पकड़ी गयी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कार पकड़ी गयी है, उस कार का मालिक कौन है ?

श्री रामस्वरूप यादव--कार के मालिक का नाम आफिशियल कन्ट्रोलर माहेश्वरी खेतान शुगर मिल, रामकोला है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह कार पुलिस की कस्टडी में है या मुक्त कर दी गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कार शायद मालिक को लौटा दी गयी है, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है। कार का ड्राइवर कस्टडी में है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह कार का ड्राइवर कैसे पकड़ा गया और कार कैसे वापस कर दी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तफतीश के बाद कार के ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा।

(प्रश्न संख्या ७ पुकारा गया)

श्री लक्ष्मण राव कदम---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न ४ व ५ का उत्तर नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं जवाब तो उन्होंने पढ़ा है। मंत्री जी बतायें कि पढ़ा या नहीं ? (गृह उप-मंत्री से) आप देख कर बता दें कि आप ने उन का जवाब पढ़ा था या नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---इन प्रश्नों का जवाब पढ़ दिया गया था, वह सप्लीमेंटरी न करें तो बात दूसरी है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर माननीय कदम जी ध्यान आकृष्ट करेंगे तो इस संबंध में मैं दूसरा प्रश्न स्वीकार कर लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---ज्यादा जल्दी में तो छूट ही जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इतना असंयम यहां न बरतें कि चेयर के लिये जो मुंह में आया कह दिया। आखिर सदन की मर्यादा को तो सभी को कायम रखना है। मैं जिस तरह से उचित समझता हूं उस तरह से यहां का कार्यसंचालन करता हूं.....

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था.....

श्री उपाध्यक्ष---बस आप आगे बोलने का कष्ट न करें आप बैठें।

*६---**श्री गनेश चन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---[१७ फरवरी, १९६० के प्रश्न २७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

एटा पुलिस लाइन में चोरी

*७---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा व मैनपुरी जिलों में जनवरी, १९५८ ई० से नवम्बर, १९५९ ई० तक कितने पुलिस लाइन इन्स्पेक्टरों के यहां चोरियां व डकैतियां हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---केवल एक चोरी की घटना ४/५ जुलाई, १९५९ की रात को एटा में हुई।

श्री गनेश चन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चोरी पकड़ी गयी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उसमें लोग पकड़े गये और उनका चालान कर दिया गया है।

सीतापुर के "लोकतंत्र" समाचार-पत्र में सेशन्स जज के आदेश का प्रकाशन

*८---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि क्रिमिनल अपील नम्बर १४३, सन् १९५९ में तहसीलदार सिधौली (सीतापुर) को जिला व सेशन ज सीतापुर द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश २४ सितम्बर, सन् १९५९ को जारी या गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश को सीतापुर से निकलने वाले प्ताहिक समाचार-पत्र लोकतन्त्र" ने दिनांक २१ सितम्बर, सन् १९५९ के ही अंक में ाशित कर दिया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--प्रश्न के पहले भाग का उत्तर "जी हां" है। परन्तु इस अपील में सेशन्स जज ने ११ सितम्बर, १९५९ को ही खुली अदालत में यह आदेश दिया था कि तहसीलदार और ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसर आदि से कागजात तलब किये जांये और उसके बाद गवाहों को फिर से तलब किया जाये। मुकदमे की अगली पेशी २४ सितम्बर के लिये निश्चित की गई थी। इसलिये सभी को मालूम था कि २४ सितम्बर के लिये तहसीलदार से कागजात तलब किये गये हैं। और शायद उनकी गवाही भी होगी २१ सितम्बर के "लोक तंत्र" में जो समाचार छपा था वह सेशन्स जज के ११ सितम्बर के आदेश पर आधारित मालूम होता है। "लोक तंत्र" समाचार-पत्र का प्रकाशन नियमित रूप से नहीं होता, इसलिये यह भी हो सकता है कि जिस अंक पर २१ तारीख पड़ी है वह वास्तव में २४ तारीख के बाद प्रकाशित हुआ हो।

*९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी-- यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त आदेश जारी किये जाने के तीन दिन पूर्व ही "लोकतंत्र" समाचार-पत्र में वह आदेश क्यों और कैसे प्रकाशित हो गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी निश्चित भाषा में उत्तर देने की कृपा करेंगे क्योंकि यह भाषा अनिश्चित सी मालूम होती है ?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है तो फैक्ट्स के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--फैक्ट तो कुछ मालूम नहीं होता कि 'लोकतंत्र' अखबार को कैसे मालम हुआ यह हम कैसे जान सकते हैं ? यह तो माहेश्वरी जी को ही इसका ज्यादा पता हो सकता है, लिहाजा हम तो अनुमान के हिसाब से ही कह सकते हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी उत्तर को निश्चित भाषा में देने की पुनः कृपा करेंगे ?

(इसका उत्तर नहीं दिया गया।)

राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय विद्यालय, लखनऊ में श्री रामानन्दसिंह की नियुक्ति पर आपत्ति

*१०--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय विद्यालय, लखनऊ में आर०एम० ओ० के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये मार्च, सन् १९५९ ई० में चुनाव हुआ था ? यदि हां, तो चुनाव कमेटी ने किन प्रत्याशियों को चुना था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां। चुनाव कमेटी ने श्री डी० एस० पान्डे, श्री डी० जी० थत्ते और कुमारी प्रेमवती तिवारी को चुना था। इनमें कुमारी प्रेमवती का नाम रिजर्व में था।

*११--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चुनाव कमेटी के निर्णय के विरुद्ध किसी प्रत्याशी को चुन लिया गया है और उनकी तैनाती कर दी गई है ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--श्री रामानन्दसिंह ने प्रतिनिवेदन (representation) किया कि श्री डी० जी० थत्ते और कुमारी प्रेमवती तिवारी की अपेक्षा वह अधिक उपयुक्त हैं। सरकार ने पूर्ण छान बीन के पश्चात् यह निर्णय किया कि श्री रामानन्दसिंह का प्रतिनिवेदन (representation) ठीक था और वह श्री थत्ते और कुमारी प्रेमवती तिवारी की अपेक्षा ज्यादा योग्य (deserving) थे इसलिये सरकार ने श्री रामानन्दसिंह और श्री डी० एस० पान्डे की नियुक्ति करने का आदेश दिया।

श्री भीखालाल---क्या यह सही है कि श्री रामानन्दसिंह का प्रतिनिवेदन पहले सरकार ने नामंजूर कर दिया था उसके बाद दोबारा उनकी फिर से नियुक्ति की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की जरूरत है, लेकिन जो प्रतिनिवेदन उन्होंने दिया था उसको स्वीकार किया गया।

श्री झारखंडेराय---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार की यह नीति है कि महिलाओं को तरजीह दी जाय तो फिर इस केस में उनको तरजीह न दे करके एक पुरुष के आवेदन पत्र पर ऐसी कार्यवाही क्यों की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्री रामानन्दसिंह क्वालिफिकेशन में बेटर पाये गये इसलिये सरकार ने उनके प्रतिनिवेदन को माना।

कानपुर जिले में थानेदारों के खिलाफ शिकायतें

*१२---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में कुल कितने ऐसे थानेदार हैं जिनके विरुद्ध जिला अधिकारियों के पास जनता की शिकायतें सन् १९५८ व १९५९ में अब तक प्राप्त हुईं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५१ पर)

*१३---श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त शिकायतें किस किस्म की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह शिकायतें भ्रष्टाचार, बलपूर्वक रुपया लेना, क्लेश देना तथा प्रतिशोध के कार्य की थीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सन् ५८ में २२ और सन् ५९ में २० थाना अध्यक्षों के खिलाफ शिकायतें आयीं, तो वे बतलाने की कृपा करेंगे कि इन शिकायतों में से कितनी शिकायतों की जांच डी० वाई० एस० पी० (कम्प्लेन्ट्स) द्वारा करायी गई और कितनी शिकायतों की जांच डिपार्टमेंट द्वारा करायी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सन् ५८ में सभी जांच डी० वाई० एस० पी० (कम्पलेंट्स) द्वारा हुईं और ५९ में एक जांच एडीशनल एस० पी० द्वारा की गई और एक उपआरक्षक अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र द्वारा कराई गई और एक आरक्षक अधीक्षक, ग्रामीण क्षेत्र द्वारा कराई गई।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ४२ शिकायतों में से कितनी सही पाई गईं और कितनों को उन पर सजा दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---५८ में २२ में से ७ सही पाई गईं और ५९ में २० में से १० सही पाई गईं, किसी को इस पर एडवर्स एन्ट्री दी गई, किसी का ईमानदारी का सर्टिफिकेट रोका गया और कुछ को चेतावनी दी गई।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सन ५८ और ५९ में एक अफसर की हैसियत दोयम कर दी गई तो यह अफसर किस थाने के थे और कौन थे ?

श्री उपाध्यक्ष---आप के पास सूची है या नहीं और है तो यह उसमें है या नहीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी, उसमें नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव---५८ में एक थे श्री उमानाथ अवस्थी, ५९ में श्री दिलदार रजा और एक थे अफजल अहमद।

श्री उपाध्यक्ष---अब अवस्थी जी आप बैठें । अगले प्रश्न का उत्तर वह दे रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मेरे सवाल का जवाब इनकम्पलीट दिया है, मैंने पूछा था कि वह थाने कौन थे ?

श्री उपाध्यक्ष---जो उनके पास इत्तला थी वह उन्होंने बता दी, थाने नहीं बता सके, लेकिन नाम तो उन्होंने बता दिये, वह आप बाद में देख लें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ऐसी हालत में उनको नोटिस लेना चाहिये ।

*१४---१५---श्री रामस्वरूप वर्मा---[१८ मार्च, १९६० के लिए स्थगित किये गये ।]

मानव भारतीय ट्रेनिंग सेंटर स्कूल, मंसूरी से एक लड़की का अपहरण

*१६---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या १५ मई, सन् १९५९ को मानव भारतीय ट्रेनिंग सेन्टर स्कूल (स्त्रियों के वास्ते) मंसूरी से कोई लड़की अपहृत की गयी है ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, १५-५-५९ को एक लड़की स्कूल से लापता हो गई । मामले की जांच सी० आई० डी० कर रही है ।

*१७---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के २१ दिन के बाद घटना स्थल पर पुलिस गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, यह प्रश्न तो स्थगित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य जिनके प्रश्न हैं वह उपस्थित हैं और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वे ले लिये जायं ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सी० आई० डी० जो इन्क्वायरी कर रही है उस केस में जिन लोगों ने लड़की भगाई है उनको अभी तक पकड़ा गया या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि लड़की के मामा ने सरकार को स्मृतिपत्र दिया है और उसमें यह स्पष्ट आरोप है कि लड़की भगाने में किन-किन लोगों का हाथ है और इनको पकड़ा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---हमारे पास यह है कि उसकी मां की ओर से शिकायत आई थी । यह संस्था है जिसे प्रदेशीय सरकार से और भारत सरकार से भी ग्रान्ट मिलती है । जांच से यह पता लगा है कि जिन लोगों के संबंध में संदेह है वह प्रदेश के भीतर नहीं हैं बाहर हैं कहीं । जांच पड़ताल चल रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---उस विद्यालय के प्रिन्सिपल और टीचर जो थे जबकि चिल्लाहट आई क्या वह भी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---जब प्रिन्सिपल का नाम कहा नहीं गया तो मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---इस बिषय में क्या प्रिन्सिपल साहब के भी बयान लिये गये और कुछ पता लगा है उनक सिलसिल में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि सी० आई० डी० उसकी जांच कर रही है। हमारे पास पूरी रिपोर्ट नहीं आई कि किसके बयान लिये गये, किस पर जुर्म साबित हुआ। जांच की रिपोर्ट आये तब पता लगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या लड़की की मां ने यह भी शिकायत की है कि पुलिस इस मामले में अच्छी तरह से जांच नहीं कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ऐसी कोई शिकायत तो मुझे स्मरण नहीं आती। अच्छी तरह से जांच हो इसी लिये तो इस मामले को रुटीन पुलिस की तफतीश में न देकर सी० आई० डी० के सिपुर्द किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--उस लड़की की मां या मामा की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया उसमें स्कूल के फाउंडर मैनेजर और प्रिन्सिपल और कुछ अध्यापकों का भी नाम है? यदि हां, तो क्यों नहीं कार्यवाही की गई?

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि यह सारा मामला विचाराधीन है इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। हो सकता है कि वह लोग निर्दोष हों। सदन में इस तरह का नाम आ जाय तो गलतफहमी फैल सकती है।

श्री झारखंडेराय--जो शिकायत आई है, मां या मामा की ओर से उसमें किन्हीं लोगों का नाम है या बिलकुल गुमनाम मामला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि उसमें नाम है और संस्थापक, शिक्षार्थी, अध्यापक और बहुतों की शिकायत है। इस तरह की शिकायत है कि इसकी चर्चा ठीक नहीं है। उस संबंध में जांच-पड़ताल हो रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया, जिनसे एड मिलती है, उनको भी प्रान्तीय सरकार ने लिखा है कि यह संस्था ऐसी है, इस तरह की शिकायत आई है, वह स्वयं भी जांच कर लें और जो अनुदान देती है उसकी उपयोगिता और औचित्य की तरफ भी ध्यान कर ले।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)--१० महीने के अर्से में सी० आई० डी० ने अब तक क्यों रिपोर्ट नहीं दी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रिपोर्ट बिलकुल नहीं दी, ऐसी बात नहीं है। उनकी इन्टेरिम रिपोर्ट्स आती हैं और क्या प्रोग्रेस है इस मामले में उसकी रिपोर्ट आती है। लेकिन चूंकि अभी जांच पूरी नहीं हुई और किसी निश्चित निर्णय पर अभी सी० आई० डी० नहीं पहुंची है इसलिये यहां कुछ कहना कदाचित उचित नहीं होगा।

कानपुर जिले में जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के विचाराधीन मुकदमे

*१८--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले के प्रत्येक जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ व १-४-५९ से मास जुलाई, १९५९ तक कितने फौजदारी व माल के मुकदमे प्रतिमास पंजीकृत हुये और कितने निर्णीत हुये?

श्री बलदेवसिंह आर्य--वांछित सूचना †संलग्न है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह देखते हुये कि किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट जैसे कि नं० २ और ४ के पास मुकदमे कम हैं मसलन ७०० और ८०० हैं और किसी के पास जैसे नं० ३ और ५ के पास ज्यादा है मसलन साढ़े ६ हजार के क़रीब हैं, इनकी कार्य सीमा के आधार पर पुनः बंटन करने का सरकार विचार कर रही है?

---

†सूचना छापी नहीं गई।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अब इसमें तो एक जुरिस्डिक्शन फ़िक्स हो जाता है कि फलां जगह का जुरिस्डिक्शन उनका है, फलां जगह दूसरे का। उस जुरिस्डिक्शन में जितने केसेज होते हैं वही करते हैं। यह कोई गन्ना सप्लाई थोड़े ही है कि इस मिल से निकाल कर दूसरी मिल में दे दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिनके पास मुक़दमे ज्यादा हैं उनको औसत टाइम फ़ैसला करने में ज्यादा लगता है। ऐसी हालत में वादी प्रतिवादी की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी पुनर्वन्टन पर विचार कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम तो यही हिदायत करेंगे कि जल्दी करें, जल्दी फैसला करें।

*१९--**श्री प्रतापसिंह**--[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जच्चा बच्चा केंद्र मुंगेसर से मझवारा बदलना

*२०--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ ने कई बार प्रस्तावस्वीकृत करके जच्चा-बच्चा केन्द्र मुंगेसर को मझवारा, जिला आजमगढ़ में रखने की सिफारिश सरकार से की है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ से कोई सिफारिश नहीं प्राप्त हुई। परन्तु जिला स्वास्थ्य अधिकारी के लिखने पर संचालक, स्वास्थ्य सेवा ने केन्द्र को मुंगेसर से मझवारा स्थानान्तरण करने की स्वीकृति दे दी। कुछ कारणवश केन्द्र इसके पूर्व नहीं स्थानान्तरित किया जा सका। अब सूचना मिली है कि केन्द्र नये स्थान पर स्थानान्तरित किया जा रहा है।

सीतापुर के 'लोकतंत्र' समाचार पत्र में सम्मनों का प्रकाशन

*२१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि १ जनवरी, सन् १९५८ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५८ तक सीतापुर जिले से निकलने वाले समाचार-पत्र (साप्ताहिक) लोकतंत्र में जिला व सेशन जज के कार्यालय से मुन्सरिम द्वारा कितन सम्मन प्रकाशनार्थ दिये गये और वे किस-किस तारीख के अंकों में प्रकाशित हुये हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य-- कोई नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी-- क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि श्रीमान जज साहब, सीतापुर इजलास और उनके मुंतफ़ी विभाग और सिविल जजी विभाग से "लोकतंत्र" को प्रकाशनार्थ बराबर सम्मन दिये जाते रहे हैं जो कि ११ अप्रैल, १९५८, १८/२५ अप्रैल, १९५८, २२ मई, १९५८ और ९ दिसम्बर, १९५८ के अंकों में प्रकाशित हुये हैं?

श्री उपाध्यक्ष--समन दिये जाते रहे इससे मंत्री जी का क्या संबंध है? जज साहब तो खुद समर्थ हैं, जैसे चाहेंगे करेंगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--श्रीमन्, जवाब में कोई कारण नहीं दिया गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--आपने पूछा डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की इजलास के बारे में, उसका जवाब दिया गया कि वहां से कोई नहीं जारी हुआ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--किन जज साहब की इजलास से समन दिये गये?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस चाहिये।

लोकया ग्रामवासी श्री धनराज की विधवा पत्नी को सहायता देने पर विचार

*२२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम लोकया, थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ के निवासी श्री धनराज सोनार की मृत्यु डकैतों का मुकाबिला करते हुये हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव— जी हां।

*२३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक परिवार के व्यक्तियों को मासिक पेन्शन अथवा और प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो किसको-किसको और कितनी-कितनी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि १०-६-५६ को उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि उसकी सहायता का निर्णय शीघ्र ही कर देंगे ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं निर्णय किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आई० जी० पुलिस को लिखा गया है कि अगर उनके यहां कोई दरख्वास्त आई है स्वर्गीय धनराज की पत्नी की तो उसे शासन के पास भेज दें। जैसे ही आयेगी तो उचित कार्यवाही की जायगी।

इटावा जिले में चकबन्दी कर्मचारियों की मुअत्तली व तनजुल्ली

*२४—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा चकबन्दी योजना से सम्बन्धित जिला इटावा में कितने कर्मचारी किस-किस पद से मुअत्तल, बरखास्त एवं तनज्जुल किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला इटावा में चकबन्दी योजना के आरम्भ से ३१-१-६० तक ५ चकबन्दी कर्ता, ५८ लेखपाल, ३ लिपिक और १६ चपरासी तथा डाक रनर मुअत्तल किये गये। परन्तु कोई कर्मचारी बर्खास्त नहीं किया गया। १ ड्राफ्ट्समैन भी तनज्जुल किया गया।

*२५—**श्री भजन लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कितने कर्मचारियों पर मुकद्दमे चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपर्युक्त किसी भी कर्मचारी पर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है।

भर्थना थाने के अन्तर्गत समाजवादी कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी

*२६—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना भर्थना, जिला इटावा के अंतर्गत १ जुलाई, सन् १९५९ से २० दिसम्बर, १९५९ तक कुल कितने सोशलिस्ट कार्यकर्ता किन-किन धाराओं के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तीन कार्यकर्ता, जिनमें से दो आई० पी० सी० की धारा १०९ तथा एक आई० पी० सी की धारा ३५३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये।

इटावा जिले की डकैतियों में मृत्युयें

*२७—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में सन् १९५८ तथा सन् १९५९ में कितनी डकैतियां ऐसी पड़ीं जिनमें ग्रामवासी डकैतों का मुकाबला करते हुए मारे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५८—३ घटनाएं और १९५९—१ घटना।

*२८—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में ऐसे कितने डकैत सन् १९५८ तथा १९५९ में पुलिस की गोली से मारे गये जिन पर कई डकैतियां तथा कत्ल के अभियोग प्रदेश के अन्य जिलों से सम्बन्धित थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१ डकैत।

सीतापुर हरिजन कल्याण समिति द्वारा धन का वितरण

*२९—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में हरिजन सहायक समिति द्वारा कितना धन सन् १९५८ व सन् १९५९ में हरिजनों के वितरण हेतु उद्योग धंधों के लिये, मकान बनाने के लिये, व कुआं बनाने के लिये, तथा बैल व खेती का सामान खरीदने के लिये स्वीकृत किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में जिला सीतापुर हरिजन कल्याण समिति द्वारा कथित मदों में निम्न विवरण अनुसार धन स्वीकृत किया गया :—

	रुपया
१—गृह निर्माण ..	.. १,९१,८५०
२—कूप निर्माण ..	.. ८२,२५०
३—कुटीर उद्योग ..	.. २,५००
४—कृषि उत्थान ..	.. ३४,५००

*३०—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त स्वीकृत धन में से कितना धन अब तक इन व्यक्तियों को बांट दिया गया तथा कितना धन अब भी वितरण हेतु शेष रह गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उपरोक्त स्वीकृत धनराशि में से सम्बन्धित हरिजन व्यक्तियों को जो धनराशि भुगतान की गई और जो तत्पश्चात् शेष रही उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम मद		भुगतान की गई धनराशि		शेष धनराशि	
		रुपया	नया पैसा	रुपया	नया पैसा
१—गृह निर्माण	..	७०,५४०.	३६	१,२१,३०९.	०४
२—कूप निर्माण	..	३१,५२१.	००	५०,७२९.	००
३—कुटीर उद्योग	..	२,५००.	००	..	
४—कृषि उत्थान	..	३२,१००.	००	२,४००.	००

फरेंदा तहसील में तकावी व मालगुजारी की वसूली

*३१---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत फरेन्दा तहसील के किस पटवारी हल्के में सब से ज्यादा तकावी व लगान सरकारी वसूल करना बाकी है ? और यह कितने दिनों से बाकी है ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---पटवारी हल्का नं० ५२ व ५६ में सब से ज्यादा तकावी व मालगुजारी बाकी है। इस बकाया में पिछले छः वर्षों (१३६१ फसली से १३६६ फसली) के बकाया की धनराशि सम्मिलित है।

*३२---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त तहसील में कुल कितना लगान व तकावी बाकी है और उसमें सबसे ज्यादा तकावी किस गांव में बाकी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---फरेन्दा तहसील में मालगुजारी व तकावी के बकाया की धनराशि (१५ फरवरी, १९६० तक) क्रमशः १,१५,३२५ रुपया ६१ नया पैसा तथा २,४८,२९५ रुपया ३४ नया पैसा है। सबसे अधिक तकावी का बकाया धानी ग्राम में है।

*३३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त बकाया में कितने ऐसे बकाया हैं जो ५० रुपये से ज्यादा के हैं ? इन बकायों के इतने दिनों से पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---उपर्युक्त बकाया में ५० रुपया से अधिक मालगुजारी और तकावी की क्रमशः ५,३४० रुपया व ६३,८२० रुपया की धनराशि बाकी है। इन बकायों के इतने दिनों से पड़े रहने के निम्नलिखित कारण हैं :---

(१) इस बकाया की अधिकतम धनराशि बाढ़ क्षेत्र की है जहां कि लगभग प्रतिवर्ष छूट, मुल्तवी तथा स्थगन हुआ करता है और वसूली की कार्यवाही समुचित रूप से नहीं चल पाती है।

(२) प्रति वर्ष प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण काश्तकारों की आर्थिक कठिनाइयां।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल हल्का ५२ और ५६ में बहुत से गरीब किसान ऐसे थे जिनपर कुर्की और वारंट इश्यू हुआ था और उसमें किसी काश्तकार पर मजम्मत की रपट भी हुई है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या बाढ़ एरिया में वही एक गांव ऐसा था या अगल-बगल के और भी गांव हैं जिन पर कई वर्ष की मालगुजारी बाकी है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---बाढ़ एरिया में और गांव भी होंगे, लेकिन सब से अधिक का बतलाया गया है और यही पूछा भी गया था।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि उस तहसील में उस गांव से ज्यादा बाढ़ग्रस्त दूसरे क्षेत्र हैं जहां सख्ती से लगान वसूल कर लिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये स्थान बतलाइये कि कौन-कौन से हैं तब माननीय मंत्री बतला सकते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी---उस तहसील में चकदा और टेहरी का इलाका पटवारी इलाके से ज्यादा बाढ़ग्रस्त रहता है जहां लगान सख्ती से वसूल कर लिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। मैं कांटे से तौल नहीं सकता कौन कम और कौन ज्यादा है।

*३४---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा**---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३५-३६---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

कोटवा तथा छपिया के अग्निपीड़ितों को सहायता

*३७---**श्री अमरनाथ**---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले के महराजगंज तहसील के कोटवा, छपिया ग्राम में गत अप्रैल मास में आग लग गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त अग्निकांड में कितने धन-जन की हानि अलग-अलग गांवों में हुई तथा पीड़ितों को क्या सहायता दी गई?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जी हां। ग्राम कोटवा में अनुमानतः २०,००० रुपये धन की हानि हुई। किसी जन और पशु की हानि नहीं हुई थी। पीड़ितों को ८७० रुपये नकद बांटा गया और मकान बनाने के लिये लकड़ी इत्यादि मुफ्त दी गयी।

छपिया ग्राम में अनुमानतः १४,८४० रुपये की हानि हुई। किसी जन की हानि नहीं हुई केवल एक पशु की हानि हुई थी। प्रभावित मनुष्यों को २१५ रुपये नकद और मकान बनाने के लिये लकड़ी इत्यादि मुफ्त दी गई।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि छपिया ग्राम में नुकसान की रकम देखते हुये सहायता क्यों कम दी गई और इत्यादि, इत्यादि जो लिखा है जो उसमें कौन सी चीज दी गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---घर बनाने के लिये लकड़ी दी गई।

डुमरियागंज तहसील से चकबन्दी की अपीलें

*३८---**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज (जिला बस्ती) में वर्ष १९५८ व १९५९ में चकबन्दी की कितनी अपीलें जिलाधीश, बस्ती को की गयीं, कितनी स्वीकार हुयीं, कितनी अस्वीकृत हुयीं और कितने मुकदमें अभी विचाराधीन हैं?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में वर्ष १९५८-५९ में चकबन्दी से सम्बन्धित कुल १५६० रिवीजन दायर हुये, जिनमें ४४३ स्वीकृत हुये, १००९ अस्वीकृत हुये और १०८ विचारधीन रहे।

*३९---**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में वर्ष १९५८ व १९५९ में कितने गांवों (जिनकी चकबन्दी पूरी हो गई थी) की चकबन्दी शिकायतों के फलस्वरूप डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर सहायक व डाइरेक्टर चकबन्दी द्वारा उलट दिये जाने के आदेश दिये गये?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---किसी में भी नहीं। वस्तुतः ऐसे किसी ग्राम में चकबन्दी उलट दिये जाने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

*४०---**श्रीमती राजेंद्रकिशोरी**---क्या सरकार राज्य में उन गांवों की जहां चकबन्दी उपर्युक्त प्रकार से उलट दी गई है जिले वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---प्रश्न उठता ही नहीं।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या माननीय मंत्री बतायेगें कि १०८ मुकदमे जो विचाराधीन हैं उन पर कब तक यह सरकार विचार करेगी ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—मुकदमों पर सरकार विचार नहीं करती, अदालत में विचार होता है और वह यथासंभव उनका विस्तारण करेगी ।

श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—जो अपीलें किसानों ने क्लेकटर साहब के यहां दी हैं उनका फैसला कब तक हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—इसका उत्तर मानमीय मंत्री जी नहीं दे सकते ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—शीघ्रातिशीघ्र निर्णय करने के लिये क्या माननीय मंत्री जी अपने डिप्टी डाइरेक्टर, चकबन्दी को वहां भेज देंगे जैसे कि प्रदेश में और जगह भेंजे जाते हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—डिप्टी डाइरेक्टर, चकबंदी इसी काम के लिये जा रहे हैं या जा चुके हैं ।

देहाती क्षेत्रों में बन्दूक के लाइसेंस देने की प्रार्थना

*४१—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका विचार प्रदेश के जिलों के देहाती क्षेत्र में जनता के रक्षार्थ बन्दूकों का लाइसेन्स प्रत्येक गांव सभाओं में कम से कम दो तीन के हिसाब से स्वीकृत करने की व्यवस्था करने का है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

श्री मुक्तिनाथराय—इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में अकसर सशस्त्र डकैतियां पड़ती हैं तो ग्रामों की रक्षा के लिये सरकार कौन सी समुचित व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन्, इसमें प्रश्न किया गया है कि गांव सभाओं को तो गांव सभाओं के सम्बन्ध में यह था कि अभी कोई ऐसी योजना सामने नहीं है । यों तो काफी दिन से इस बात की चेष्टा हो रही है कि गांवों में कुछ बन्दूकें दे दी जायें और इसके लिये समय-समय पर सरकार से आदेश भी निकाले गये हैं । विशेष कर जो हमारी ग्राम सुरक्षा समितियां हैं उनमें से दो, तीन आदमियों को चुन करके जिनको अधिकारी इस योग्य समझें कि विश्वसनीय हैं उन्हे लाइसेन्स दिया जा सकता है और इस प्रकार के आदेश भेजे जा चुके हैं ।

एक बात और कह दूं, श्रीमन्, कि गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने पार्लियामेंट से आर्म्स ऐक्ट पारित करवा लिया है । उसके रूल्स अभी बन रहे हैं । उसके लागू होने के बाद बन्दूक आदि के लाइसेन्स मिलने के सम्बन्ध में जो बाधायें आज हो रही हैं वे बहुत हद तक दूर हो जायंगी ।

श्री गौरीशंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी के यह बार-बार कहने के बाद भी कि लाइसेन्स देने में लिबरल व्यू लिया जाय अभी जिलों में लाइसेन्स देने में वह उदारता नहीं बरती जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कैसे आप को मालूम है, किसी शिकायत के जरिये से ?

श्री गौरीशंकर राय—जी हां ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की कोई खास शिकायत किसी गांव सभा की ओर से नहीं आई ।

श्री गौरीशंकर राय—कोई आम शिकायत ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आम शिकायत भी नहीं आयी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि ग्राम सभाओं के द्वारा निर्देशित खास व्यक्तियों को लाइसेंस देने पर विचार हो जिससे कि औसतन हर गांव सभा में एक-एक आदमी को लाइसेंस पहुंच जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्रीमन, मैंने उस आर्म्स ऐक्ट का जिक्र किया जिसे पार्लियामेंट ने पारित कर लिया है। उसके रूल्स बन रहे हैं। सारे देश में वह ऐक्ट शीघ्र ही लागू होगा। अभी जो लाइसेन्स दिये जाते हैं वह पुराने आर्म्स ऐक्ट के नियमों के अनुसार दिये जाते हैं। उस ऐक्ट में उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन कर दिया है। और उस संशोधन का बड़ा भारी असर यह होने वाला है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो ला एबाइडिंग है वह बन्दूक का लाइसेन्स बिना किसी बाधा के प्राप्त कर ले। यह बहुत बड़ी सहूलियत उन्होंने कर दी है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री के पास कोई ऐसी सूचना आई है कि तहसील से पुलिस की सिफारिश अच्छी लिखी हो फिर भी क्लेक्टर ने लाइसेन्स नहीं दिया ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसा तो बहुधा होता है क्योंकि अधिकार तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लाइसेन्स देने का है।

गोंडा जिले में लाशों का पोस्ट मार्टम

*४२—**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में एक जनवरी, सन् १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कितनी लाशें पोस्टमार्टम के लिये आईं ? उनमें कितनी मौतें शस्त्रों द्वारा तथा कितनी विष द्वारा हुयीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१०३ लाशें पोस्टमार्टम के लिये आयीं उनमें २ मौतें विष द्वारा तथा ५९ मौतें सशस्त्रों द्वारा हुयीं।

मानसिक रोगों के लिये चिकित्सालय खोलने की जानकारी

*४३—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया बातेयेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजा गया राज्य में मानसिक रोगों से पीड़ितों की संख्या तथा रोग विस्तार को रोकने के निमित्त ऐसे रोगियों का सर्वेक्षण कराने तथा तत्सम्बन्धी चिकित्सालय खोलने के लिये उपयुक्त स्थान निर्धारित करने का सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये सरकर ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, स्वास्थ्य से सम्बन्धित केन्द्रीय वर्किंग ग्रुप के सचिव ने दिसम्बर, १९५९ में देश में मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिये एक टिप्पणी शासन को भेजी थी जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये कुछ सुझाव थे। इस सम्बन्ध में तीसरी पंचवर्षीय योजना के आलेख्य में शासन ने कुछ योजनायें रखी हैं। किन्तु जब तक नियोजन आयोग सीलिंग का निश्चय नहीं कर देता, यह बतलाना कठिन है कि उक्त सुझावों में कौन-कौन सी योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जा सकेंगी।

श्री मदन पांडेय—मन्त्री जी ने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि जो सुझाव वहां से आये थे, उनकी बिना पर शासन में भी कुछ सुझाव तैयार कर रहें हैं, लेकिन जब तक सीलिंग फिक्स न हो जाय तब तक उन पर निश्चय नहीं हो सकता तो क्या यह सदन जान सकता है कि जो शासन ने सुझाव रखे हैं इस सम्बन्ध में वे क्या-क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—मेन्टल हेल्थ के परसोनेल की ट्रेनिंग के बारे में और कुछ बैड स्ट्रेन्थ के बारे में और कुछ मेन्टल हेल्थ क्लिनिक खोलने के बारे में हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब की बार जो मेन्टल हेल्थ क्लिनिक खोलने का इरादा हो रहा है उसमें बहराइच भी सम्मिलित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नहीं, गोरखपुर की महाराजगंज तहसील सोची है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार ने राज्य सरकार से मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा था तो उससे क्या पता चला कि कितने ऐसे रोगी हैं और उनके इलाज के लिए कितने चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अभी कहां किया है । जब सीलिंग फिक्स हो जायगी तीसरे प्लान में तब यह सवाल आयेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मानसिक रोगियों की चिकित्सा इन्हीं चिकित्सालयों में की जायगी या उनके लिए पृथक चिकित्सालय खोलकर उनकी चिकित्सा आरम्भ करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---यह कब्ल-अज-वक्त वावैला है । अभी तो हमारी तीसरा प्लान स्वीकृत हो जाय तब बतला सकते हैं । पहले से कैसे बता सकते हैं ?

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास ऐसी सूचना है कि इस तरह के रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ लोगों के दिमाग ज्यादा खराब हो रहे हैं ।

*४४---**श्री मदन पांडेय**---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर में टेक्निकल इन्स्टीट्यूट को विश्वविद्यालय में न सम्मिलित करना

*४५---**श्री मदन पांडेय**---क्या यह सत्य है कि गोरखपुर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट को गोरखपुर विश्वविद्यालय में सम्मिलित किये जाने की योजना विचाराधीन है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---जी नहीं ।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन कारणों से इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी से सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कानपुर में एक आल इंडिया टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट खुलने वाला है । इसके खुलने के बाद हम अंतिम रूप से निर्णय करेंगे । ऐसा प्रस्ताव शुरू में आया था और हमारी भी ऐसा योजना थी कि वहां के टेक्निकल इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी के साथ कर दिया जाय और उस पर विचार हो रहा है । लेकिन देखने की आवश्यकता यह है कि यह आल इंडिया टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट जो बनने वाला है उसका क्या स्वरूप बनता है । मुमकिन है ऐसे सभी इंस्टीट्यूट को इससे संबंधित करने की आवश्यकता हो । इसलिये इसको रोक रखा है ।

वाराणसी जिले में वृहत जोतकर की वसूली

*४६---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में कितने लोगों को वृहत् जोतकर सन् १९५९ में लगा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वाराणसी जिले में सन् १९५९ (१३६६ फसली) में ३९६ व्यक्तियों पर वृहत जोतकर लगा ।

*४७---**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने लोगों ने उक्त टैक्स का रुपया अदा कर दिया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---४७,२९५ व्यक्तियों ने टैक्स का रुपया अदा कर दिया है ।

*४८--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है कि जिन लोगों के ऊपर बृहत जोतकर लगा है उन्हों फर्जी तौर पर बटवारा कर लिया है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं ।

समदहा ग्राम के चकबन्दी कर्त्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

*४९--कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समदहा, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर में चकबन्दी के सिलसिले में किसानों को फार्म २० (बीस) जो पुराने रकबे तथा कब्जे को बताता है बिना किसी A.C.O. के हस्ताक्षर तथा सरकारी मुहर के बांटा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, सम्बन्धित चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी की गलती से जौनपुर से ग्राम समदहा में जोत चकबन्दी आकार पत्र २० (बीस) के उद्धरण बिना सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर के व सरकारी मोहर के बंट गये थे ।

*५०--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मामला क्षेत्रीय विधायक द्वारा नवम्बर, १९५९ में चकबन्दी आयुक्त के पास ले जाने पर S.O.C. शाहगंज को उक्त मामले की जांच के निमित्त नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो जांच के बाद उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी हां, उक्त विषय के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक ने चकबन्दी आयुक्त के पास उक्त ग्राम के कृषकों का एक आवेदन-पत्र प्रेषित किया था जो बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, जौनपुर के पास रिपोर्ट के लिये भेजा गया था । जांच से सहायक चकबन्दी अधिकारी व चकबन्दीकर्ता की असावधानी सिद्ध हुई । उनके विरुद्ध आवश्यक वैभागिक कार्यवाही की गई है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--मंत्री जी बतायेंगे कि क्या आवश्यक विभागीय कार्यवाही की गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--उनके विरुद्ध चरित्र पंजिका में इस तरह का उल्लेख कर दिया गया है ।

जालौन जिले में बावनी राज्य के सम्मिलित गांवों में चाही वसूल करने की शिकायत

*५१--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विलीनीकरण के पश्चात् बावनी स्टेट के जो गांव जिला जालौन में सम्मिलित हो गये हैं उनमें सरकार की ओर से आबपाशी करने वालों से आबपाशी महसूल के अतिरिक्त (चाही टैक्स) वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र से अब तक सरकार को चाही टैक्ट के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--जी नहीं । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*५२-५३--श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद), श्री रामसुन्दर पांडेय, कुंवर श्रीपाल सिंह तथा श्री ऊदल--[हटा दिये गये ।]

शिक्षा संबंधी योजनाओं पर व्यय

*५४--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि बुनियादी शिक्षा पर तथा अन्य शिक्षा पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कितनी रकम खर्च करने की व्यवस्था की गई थी और प्रतिवर्ष कितनी खर्च की गई ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५२ पर ।)

*५५--**श्री गेंदा सिंह**--यदि उपर्युक्त मदों में योजना से कम खर्च हुआ तो उसका क्या कारण है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर क्या किया जा रहा है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--कारण संलग्न तालिका 'घ' में दिये हैं । योजनाओं को कार्यान्वित करने में विशेषतः प्रथम वर्ष विलम्ब अवश्य हुआ पर वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत जो लक्ष्य रक्खे गये वे बहुत कुछ पूरे हुये और अनुभव में जो कठिनाइयां आईं उन्हें जहां तक सम्भव हो सका है दूर करने का प्रयास किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५३ पर ।)

*५६--**श्री गेंदासिंह**--उपर्युक्त शिक्षाओं के सम्बन्ध में लक्ष्य क्या है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--वर्तमान योजनाओं को चालू रखने के अतिरिक्त जो अन्य लक्ष्य आगामी वर्ष के आयोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं उनका संक्षिप्त विवरण तालिका 'ग' में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५४ पर ।)

श्री गेंदासिंह--यह जो खर्च नहीं की गई है रकम, २ करोड़ ८० लाख की केवल तीन वर्षों में है, तो क्या अगले वर्षों में जो खर्च की जाने वाली रकम है उसके अतिरिक्त यह रकम है जिसे खर्च करने की व्यवस्था सरकार कर रही है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--ऐसा सोचते हैं कि उसमें से कुछ अगले साल खर्च की जाय ।

श्री गेंदा सिंह--तो क्या यह भी विचार है कि सन् ६१ और ६२ में सब से अधिक रकम खर्च की जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अधिक रकम खर्च होगी ही । सभी विभागों में होगी । इस विचार से कि योजना का जो प्रथम वर्ष होता है उसमें खर्च नहीं हो पाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है और इसमें तो और दिक्कत हो गई थी कि सन् ५७ का एलेक्शन हुआ तो बजट भी हमारा कहीं अगस्त में या सितम्बर में जाकर पारित हुआ । तो इससे उस वर्ष उसमें दिक्कत हुई । पैसा कम खर्च हुआ । अब इस बात की चेष्टा तो है ही कि योजना के जो अन्तिम दो वर्ष हैं उनमें जहां तक हो सके अधिक से अधिक उन टार्गेट्स को पूरा करने की कोशिश करें जो अब तक बाकी रह गये हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना में अब तक कितना खर्च किया जा सका है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--१० करोड़ ७८ लाख ५७ हजार ५ सौ छब्बीस (१०,७८,५७,५२६) रुपया जिसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तिम तीन माह के अनुमानित व्यय के आंकड़े सम्मिलित हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २ करोड़ ८० लाख जो खर्च नहीं हो सका है जिसके कारण उन्होंने कुछ उस संकलित विवरण-पत्र में सदन की मेज पर रखे हैं, उनमें से मुख्य मुख्य कारण क्या थे खर्च न होने के, यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--वह उन्होंने बता दिये ।

*५७--**श्री कल्याण चन्द मोहिले**--[हटा दिया गया ।]

मुकुन्दपुर कृषि फार्म के लिये दी गई तकावी का मामला

*५८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सच है कि आजगमढ़ में मुकुन्दपुर कृषि फार्म की उन्नति के लिये जो तकावी दी गई थी उसके सम्बन्ध में राजस्व परिषद् ने कोई पत्र सं० २३६५/२ colln 79(B)(54), दिनांक १४ फरवरी, १९५९ माल सचिव को भेजा है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--जी हां ।

*५९--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी अथवा उसकी मुख्य-मुख्य बातों से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--तकावी की अदायगी के सिलसिले में श्री इन्दुभूषण जी ने एक रिट पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है जो अब भी चल रही है, जिसका निर्णय सम्भवतः अभी नहीं हुआ है । ऐसी अवस्था में कथित पत्र की प्रतिलिपि तथा उसकी मुख्य-मुख्य बातों को सदन में उपस्थित करना जनहित में न होगा, तथा इसके बारे में और कुछ कहना भी उचित न होगा ।

*६०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या यह सच है कि इसी संबंध में २ जुलाई, १९५९ को आजमगढ़ के कलेक्टर ने भी कोई पत्र माल सचिव को भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि या मुख्य-मुख्य बातें सदन पर प्रकट करने की कृपा करेगी ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--इस सम्बन्ध में भी स्थिति वही है जो प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में बताई गई है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि १४ फरवरी, १९५९ को जब यह पत्र पहुंच गया था उसके पास, उसके कई महीने बाद आश्वासन समिति में यह कहा गया कि इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है कि पत्र पहुंचा या नहीं और इस सदन में भी यही बात कही गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह बात तो मुझे याद नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--यह आश्वासन समिति के सामने मामला है, अभी तो । इस पर आगे प्रश्न न कीजिये ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी नहीं, यह सदन में भी कहा गया । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जब सरकार ने यह उत्तर दिया कि इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और अब यह कहा कि मिल गई, वहां पर यह कहा और यहां भी यह कहा कि 'नहीं मिली' तो यह क्या बात है ? उस समय कहा गया कि 'नहीं मिली' है और आज कहा गया कि १४ फरवरी, को मिल गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दोनों बातें सही होंगी । गलत तो कभी कहूंगा नहीं । लेकिन हमें यह स्मरण नहीं है कि कब क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया ?

डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ से राइफलों की चोरी

*६१--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लगभग तारीख २७-१-६० के लखनऊ डी० ए० वी० कालेज से ११ राइफलें चोरी गई हैं ? यदि हां, तो वे किस बोर की हैं तथा किसकी गलती से वे चोरों के हाथ लगीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--२५/२६-१-६० की रात्रि में ११ राइफलें चोरी गई थीं । ये राइफलें .३०३ बोर की हैं । मामले में गुप्तचर विभाग द्वारा जांच हो रही है, अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि गलती किसकी थी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह राइफलें जो चोरी गई थीं वह सब की सब बरामद हो गईं या कोई बाकी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने कहा, अभी तो जांच हो रही है और बरामद हुई नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई बरामद नहीं हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां ।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह राइफलें, जो चोरी गई हैं, काम के काबिल थीं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह कंडेम राइफलें थीं । असल में इनकी नाली में आर-पार छेद था इसलिये उनमें ब्लैन्क कारतूस चल सकती थीं । अगर वह छेद बन्द कर दिया जाय तो उनसे वैसी ही गोली चलाने का काम लिया जा सकता है ।

*६२-६३---**श्री हरकेशबहादुर** (जिला प्रतापगढ़)---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

ए० एम० बी० एस० स्नातकों का वेतन क्रम

*६४---**श्री प्रतापसिंह**---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि A. M. B. S. (Ayurvedacharya, Bachelor of Medicine and Surgery) के graduates को P. M. S. II के समकक्ष वेतन एवं अन्य सुविधायें दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सरकार ने आयुर्वेद शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये एक आयुर्वेद सर्विस का निर्माण किया है जिसका वेतन क्रम एलोपैथिक के P. M. S. II के वेतन-क्रम के समकक्ष है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ए० एम० बी० एस० ग्रेजुएट हैं उनको वह सुविधा नहीं दी जाती है जो पी० एम० एस० II को दी जाती है ? यदि हां, तो भविष्य में इस पर विचार किया जायगा कि उनको भी वे सुविधायें दी जायं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो हमारे कैडर में आ जाते हैं उन सब को वह सुविधा दी जाती है ।

श्री प्रतापसिंह---माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पी० एम० एस० II को सरकार क्या वेतन देती है और ए० एम० बी० एस० ग्रेजुएट जो होते हैं उनको क्या वेतन देती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पी० एम० एस० II के कैडर का वेतन २०० से ४००रुपया है । जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट इस कैडर में आ जाते हैं उनको भी यही वेतन मिलता है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक कालेज विद्यार्थी यूनियन ने इस बात की दरख्वास्त की है कि उनको भी वे तमाम सुविधायें दी जायं जो पी० एम० एस० II को दी जाती हैं और साथ ही उनके कालेज को भी किसी यूनिवर्सिटी से एफिलियेट कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब किसी रिप्रिजन्टेशन की बात मुझे याद नहीं है लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा जो कैडर शुरू हो गया है उसमें पी० एम० एस० II के बराबर ही आयुर्वेदिक ग्रेजुएट हैं और जो उसमें नियुक्त हो जायगा उसको वही फैसिलिटी मिलेंगी ।

टेहरी गढ़वाल जिले की दोगी पट्टी में आयुर्वेदिक तथा नरेन्द्रनगर में क्षय रोग चिकित्सालय खोलने की प्रार्थना

*६५--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार टेहरी-गढ़वाल की दोगी पट्टी के मध्य में आयुर्वेदिक औषधालय कब तक खोलने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी इस सम्बन्ध में निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

*६६--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार टेहरी-गढ़वाल के नरेन्द्रनगर नामक स्थान में क्षय रोग चिकित्सालय खोलने की कब तक कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या इस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है, क्योंकि टेहरी में ४३ डिसपेन्सरी इस वक्त चल रही हैं, और जिलों में कम हैं । लिहाजा विचार करके तय किया जा सकता है कि वहां खोला जाय या नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी वहां पर टी० बी० रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुये सहानुभूति-पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--विचार तो हम सारे सूबे के लिये कर रह हैं।

*६७--श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन--[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*६८--श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--[हटा दिया गया।]

इंगलिश स्कूलों में भर्ती के संबंध में सुझाव

*६९--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को जनवरी, १९६० में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाने वाले हाई स्कूलों में भर्ती का आधार न प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति के क्रमानुसार रखा गया है और न छात्रों की योग्यता के अनुसार ही, वरन् उनमें भर्ती का आधार संप्रदाय होता है, अर्थात् रोमन कैथोलिक स्कूल में रोमन कैथोलिक छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है और प्रोटेस्टेंट स्कूलों में प्रोटेस्टेंट छात्रों को ? यदि हां,तो क्या सरकार यह आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि ऐसे प्रत्येक स्कूल में एक रजिस्टर रखा जाय जिसमें प्रत्येक प्रवेशार्थी का प्राप्ति क्रमानुसार नाम दर्ज किया जाय और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले इंटर कालेजों में भर्ती का आधार हाई स्कूल तथा सीनियर केम्ब्रिज परीक्षाओं में प्राप्तांकों के अनुसार रखा जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना एकत्र की जा रही है।

*७०--श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़)--[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

भदेसिया ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या

*७१--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम भदेसिया, थाना कुर्सी में १ दिसम्बर, १९५९ ई० को किसी व्यक्ति को जान से मार डाला गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०४ के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है और जांच हो रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट लिखी गई है वह किस व्यक्ति ने लिखाई है और किन-किन व्यक्तियों का नाम लिखाया है?

श्री रामस्वरूप यादव---बकरीदी चौकीदार ने रिपोर्ट थाने में की थी और उसने यह लिखाया था कि कुछ लोग जुआ खेल रहे थे एक जगह और फिर उसके बाद उस ग्राम के पूर्व की ओर शव मिला।

जालौन जिले में कुरौली ग्राम की डकैती

*७२---**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जालौन में सन् १९५९ में कुल कितनी डकैतियां किन-किन ग्रामों में पड़ीं, इनकी सूची थानेवार क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५५ पर)

*७३---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या यह सही है कि २६ जनवरी, १९६० की रात्रि को ग्राम कुरौली तथा जराहला, थाना कुंठौद, जिला जालौन में डकैती पड़ी, और डकैतों के पास २० बन्दूकें थीं?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां। ग्राम कुरौली और जराहला में सशस्त्र डकैती पड़ी। डाकुओं के पास ५-६ बन्दूकें थीं।

*७४---**राजा वीरेन्द्रशाह**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त डकैती में कितनी जान-माल की हानि हुई और क्या यह डकैतों का गिरोह बाहर का था या मुकामी और क्या कोई इस सिलसिले में पकड़ा गया?

श्री रामस्वरूप यादव---उपर्युक्त डकैती में कोई नहीं मरा और कुल ६,२१६. ५० नये पैसे की सम्पत्ति लूटी गई। इस डकैती में मध्य प्रदेश के जिला भिंड के डाकू थे। इस डकैती के सम्बन्ध में एक आदमी गिरफ्तार किया जा चुका है।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या माननीय पुलिस मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन थानों में डकैतियां ज्यादा पड़ीं और क्या उन जिलों से चौकियां बढ़ाने के लिये प्रार्थना की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव---चौकियों के बारे में तो नोटिस की आवश्यकता है।

राजा वीरेन्द्र शाह---जो डकैती २६ तारीख को पड़ी उसके डकैत, उसी रात में उस जिले में, एक और डकैती डाल कर आये थे, क्या यह बात सरकार को मालूम है?

श्री उपाध्यक्ष---यह बिना नोटिस के कैसे बतलाया जा सकता है?

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमन्, जो २६ तारीख को डकैती पड़ी, उसमें चूंकि रिपोर्ट दोनों डकैतियों की है तो इस वजह से मैं पूछता हूं कि सरकार को क्या यह मालूम है कि वे लोग एक डकैती डाल कर आये और दूसरी डकैती उन्होंने डाली उसी रात में?

श्री राम स्वरूप यादव---इसकी सूचना नहीं है, श्रीमान्।

प्रतापगढ़ जिले में चकबन्दी कार्य पर व्यय

*७५---**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में चकबन्दी का काम चालू करके रोक देने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रतापगढ़ जिले में चकबन्दी का कार्य प्रशासकीय कारणों से रोका गया था।

*७६---**श्री त्रिलोकीसिंह** (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जितने दिन तक चकबन्दी का काम चालू रहा, उस पर राज्य कोष का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्रतापगढ़ जिले में चकबन्दी का कार्य यथार्थ रूप में प्रारम्भ नहीं किया गया था। केवल सर्वेक्षण का कार्य दिनांक १ अक्तूबर, १९५९ से १५ दिसम्बर, १९५९ तक जारी रहा। इस सम्बन्ध में कुल २३,००६ रु० ५२ नये पैसे का खर्च हुआ।

लखनऊ जिले में खरीफ की फसल को क्षति

*७७---**श्री त्रिलोकी सिंह**---(अनुपस्थित) क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कम वर्षा होने के कारण कुवार मास से माघ मास तक लखनऊ जिले के असिंचित इलाके की फसल को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---पिछली खरीफ की फसल को ७ ग्रामों के कुछ खातों में क्षति की मात्रा रुपये में ८ आना या उससे अधिक थी, और ५२७ ग्रामों में क्षति की मात्रा रुपये में २ आना से लेकर ६ आना तक हुई है। मौजूदा रबी की फसल की क्षति की बाबत अभी कहना पूर्णतया सम्भव नहीं है। अनुमान है कि क्षति रुपये में २ आने से ६ आने तक कहीं-कहीं हो।

*७८---८०---**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

इटवा अस्पताल में शव परीक्षा गृह न होना

*८१---**श्री रामलखन मिश्र**---क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि इटवा अस्पताल, जिला बस्ती में शव परीक्षा गृह बनाने की व्यवस्था को स्वीकार किया जा चुका है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी हां। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

रामनगर में कन्या जूनियर हाई स्कूल की आवश्यकता

*८२---**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार रामनगर, जिला बाराबंकी में कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कबतक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---नहीं। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में सम्भव नहीं है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता

*८३---**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों के कितने-कितने छात्रों ने आर्थिक सहायता हेतु वर्ष १९५८-५९ में आवेदन-पत्र सरकार को दिया था ?

*८४---उनमें से कितने-कितने छात्रों को कितना-कितना पया आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दिया गया ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---मांगी हुई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा।

श्री गौरीराम गुप्त---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसे उन लोगों का नाम बतलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने कहा कि इकट्ठा करने में दिक्कत है, बतलाने में नहीं।

गोरखपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहाय--

*८५---**श्री गौरीराम गुप्त**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में अब तक कितने लोगों को कितने-कितने मासिक धन की राजनीतिक पीड़ित पेंशन तथा एक मुश्त सहायता दी गयी है ?

गृह मंत्री के सभा-सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)---गोरखपुर जिले में १२६ व्यक्तियों को मासिक राजनीतिक पीड़ित पेंशन और २८ व्यक्तियों को एक मुश्त अनुदान दिये गये हैं। उनका विस्तृत ब्योरा संलग्न तालिका "क" और "ख" में देख लें।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६५६-६५८ पर)

*८६--८८---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[१८ मार्च, १९६० के लिये प्रश्न ११२-११४ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*८९---**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पाठ्य पुस्तकों के मान्य प्रकाशक

*९०---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन तथा विक्रय करने के लिये सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने प्रकाशक मान्य हैं ? क्या सरकार उनकी लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस काम के लिए कोई विशेष मान्यता नहीं दी जाती है बल्कि प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त आवेदनों में से चुनाव होता है जिसकी वर्तमान सूची † सदन की मेज पर रख दी गयी है।

*९१---**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राजकीय प्रकाशन की बेसिक पुस्तकें छापने तथा विक्रय करने का एलाटमेंट किन सिद्धान्तों या नियमों के आधार पर किया जाता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अच्छे कार्य की अपेक्षा, यथा संभव छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रकाशकों और मुद्रकों (प्रेसों) का ध्यान एवं विस्तृत वितरण।

लखीमपुर थाने के अन्तर्गत विभिन्न अपराध की घटनायें

*९२---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि जुलाई, सन १९५९ से लेकर अब तक जिला खीरी के थाना लखीमपुर में चोरी की कुल कितनी रिपोर्ट दर्ज की गईं, उनमें से कितनी वर्क आउट हुईं और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक १-७-५९ से २०-२-६० की अवधि में चोरी की १०६ रिपोर्टें दर्ज हुईं जिनमें ३४ मामले वर्क आउट करने के बाद न्यायालय भेजे गये और ५९ में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई।

*९३---**श्री शिवप्रसाद नागर**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के थाना लखीमपुर में जुलाई, सन १९५९ से लेकर अब तक कुल कितनी डकैतियां व राहजनी हुईं और इन घटनाओं में कितनी जानें गईं ?

---

† सूची छापी नहीं गई।

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक १-७-५९ से २०-२-६० तक की अवधि में डकैती की ६ व राहजनी की १ घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई। केवल डकैती की घटना में १ व्यक्ति डाकुओं द्वारा जान से मारा गया।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन चोरियों में फाइनल रिपोर्ट लिख दी गयी उसमें कितनी ४,००० रुपये से ज्यादा की हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---इसके लिये दूसरा प्रश्न पूछिये या यह तो पहले ही पूछ लिया जाना चाहिये था।

श्री शिवप्रसाद नागर---४,००० से ज्यादा की चोरियों में इमीडियेट तफतीश होती है, तो इसलिये मैं पूछता हूं कि·····

श्री उपाध्यक्ष---आप दूसरा प्रश्न पूछिये और नोटिस दे दीजिये।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह घटना कहां और कब हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---किस जगह हुई, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि यह जो राहजनी की घटना हुई है यह पुलिस चौकी खीरी से एक मील के भीतर हुई है और उस चौकी से पुलिस कप्तान को टेलीफोन करने के लिये जब टेलीफोन उठाया गया तो उसके लिये वहां की पुलिस ने मना कर दिया ?

श्री उपाध्यक्ष---आप इस तरह से पूंछिये कि क्या माननीय मंत्री जी ने इसकी जांच करायी है।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, इसकी शिकायत डी० आई० जी० तक गयी थी और जो लुट गया था उसने टेलीफोन द्वारा उसकी सूचना देनी चाही थी, मगर टेलीफोन उसको नहीं करने दिया गया। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, जो राहजनी की घटना बतायी गयी है उसमें चार आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और वह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिये उसके सम्बन्ध में और प्रश्नों के उत्तर देना उचित न होगा।

गोंडा जिले में जनसंघ द्वारा अयोजित प्रदर्शन

*९४---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे तथा श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा)---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोंडा जिले में गत दिनांक २५ सितम्बर, को उतरौला तहसील तथा २६ सितम्बर, को बलरामपुर तहसील और १५ अक्तूबर को जिलाधीश की कचहरी पर भारतीय जनसंघ द्वारा आयोजित किसानों का वृहत् प्रदर्शन हुआ था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं और उन मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, जनसंघ द्वारा आयोजित प्रदर्शन हुये थे। मांगों की सूची संलग्न है।

मांगों पर की गई कार्यवाही की सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मांगों की जो प्रतिलिपि सरकार के पास आयी है उसमें मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और अब तक उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मान्यवर, सूची तो लम्बी है, आप इजाजत दें तो पढ़ दूं, वैसे वह उत्तर के साथ संलग्न है।

श्री उपाध्यक्ष---उत्तर के साथ संलग्न है, तो रहने दीजिये।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जो उत्तर में कहा है कि अभी जवाब नहीं आया है, तो वह कब तक आयेगा और अब तक डिले का क्या कारण है?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---मान्यवर, बहुत सी बातें हैं, उनके बारे में विस्तृत सूचना आने में समय लगेगा ही।

आठपुरा निवासी धनपत की कुरावली थाने में मृत्यु

*९५---**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या १६/१७ नवम्बर, ५९ की रात में धनपत, निवासी आठपुरा, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी की मृत्यु कुरावली थाने में हो गई थी? यदि हां, तो मृत्यु का क्या कारण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, यह घटना २६-२७ नवम्बर, १९५९ को हुई थी।

मृतक के शरीर पर अनेक चोटों तथा गले पर दबाव पड़ने के फलस्वरूप उत्पन्न मानसिक आघात के कारण मृत्यु हुई थी।

इस संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई जिससे यह पता चला कि पुलिस द्वारा थाने में मृतक को पीटा गया था।

थाना कुरावली के एस० ओ० और एक कांस्टेबिल को, जो संदिग्ध पाये गये, मुअत्तल कर दिया गया है। उक्त घटना का अपराध धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया है।

इस संबंध में सी० आई० डी० द्वारा विवेचना हो रही है।

अतौलिया ग्राम में बेदखलियां

*९६---**श्री गयाप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अतौलिया, परगना मानिकपुर, तहसील कुन्डा, जिला प्रतापगढ़ के प्रधान ने सन् १९५६ ई० में कितने किसानों को ग्राम समाज की भूमि से बेदखल किया है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ग्राम समाज की भूमि से १९५६ ई० में ४४ व्यक्ति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-ग के अन्तर्गत बेदखल किये गये।

श्री गयाप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ४४ व्यक्ति बेदखल किये गये हैं वे हरिजन और पिछड़ी जाति के भूमिहीन किसान हैं और इसी दस गुना न देने के जुर्म में बेदखल किये गये हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---कानून के अन्दर जो नाजायज तरीके से कब्जा करेंगे उनको बेदखल किया जायेगा, वह कोई भी हो।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कब से कब्जा किये हुये थे और आज तक काबिज हैं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---यदि वह नियम के अन्दर काश्तकार हो सकते होते तो वे हो गये होते। वे नियम के अन्दर नहीं आते थे इसलिये निश्चित अवधि के अन्दर वे बेदखल हो गये।

श्री बृजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को बेदखल किया गया है उन लोगों के घर भी उन खेतों में थे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

संडीला तहसील में चकबन्दी योजनान्तर्गत ड्राफ्ट्समैन

*९७---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी स्कीम के अन्तर्गत कार्य करने वाले ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिये कोई आयु की सीमा उन्होंने निर्धारित की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सरकारी कर्मचारियों के लिये निर्धारित आयु सम्बन्धी सामान्य सीमा के अतिरिक्त सरकार ने चकबन्दी योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले ड्राफ्ट्समैनों के पदों के लिए कोई अन्य आयु की सीमा निर्धारित नहीं की है।

*९८---**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील संडीला, जिला हरदोई में चकबन्दी के अन्तर्गत कितने ऐसे ड्राफ्ट्समैन हैं जो अनक्वालीफाइड हैं तथा जिनकी आयु ५८ वर्ष से अधिक है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ड्राफ्ट्समैन के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार ने कोई शिक्षा योग्यता निर्धारित नहीं की है। इस पद पर नियुक्ति उम्मीदवारों की प्राविधिक दक्षता (technical efficiency) के आधार पर की जाती है। तहसील संडीला, जिला, हरदोई में भी ड्राफ्ट्समैनों की नियुक्ति इसी आधार पर की गई है और उनमें से किसी की आयु ५८ वर्ष से अधिक नहीं है।

गाजीपुर जिले के हायर सेकेंडरी स्कूल

*९९---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं तथा इस जिले से सन् ५८ में कितने लड़के इन्टर परीक्षा में उत्तीर्ण हुये थे? उनमें से कितने लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गाजीपुर जिले में ३४ मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें २३ इन्टरमीडिएट कालेज हैं।

१९५८ में ६०१ परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। इनमें से कितने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

राजापुर कलां में आग लगाने की घटना

*१००---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि पिछले दो महीनों में सीतापुर के परगना कोड़री के ग्राम राजापुर कलां में दीवानी के सिपाहियों ने आग लगा कर कुछ किसानों के घर खड़े-खड़े जला दिये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---आग लगाये जाने की घटना सत्य है। चूंकि इस संबंध में एक मुकदमा अदालत में विचाराधीन है अतः घटना पर प्रकाश डालना उचित नहीं होगा।

*१०१---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---दीवानी के सम्बन्धित सिपाही मुअत्तल कर दिये गये हैं और उनके तथा डिगरीदार के आदमियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके अदालत को भेज दिया गया है।

फर्रुखाबाद जिले में भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण

*१०२—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में भूदान में तहसीलवार कितनी जमीन किन-किन मौजों में दी गयी ? क्या उस भूमि पर भूदान समिति का अधिकार हो चुका है और क्या उस भूमि का भूमिहीन काश्तकारों में बटवारा किया जा चुका है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६६०-६६१ पर)

उस भूमि पर भूदान समिति का अधिकार हो चुका है। भूदान में प्राप्त कुल भूमि में से २८६.१६ एकड़ भूमि भू-दान समिति द्वारा भूमिहीन काश्तकारों में वितरित की जा चुकी है।

*१०३—श्री होरीलाल यादव—क्या यह सच है कि जिन भूमिहीन काश्तकारों में जमीन वितरित की गई हैं उन्हें अब तक उस जमीन पर अधिकार नहीं मिल पाया है और उनसे लगान वसूल किया जाता है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल—जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत शासन के पास नहीं आई।

कठिरांव परगना पन्द्रह में कन्या पाठशाला की आवश्यकता

*१०४—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कठिरांव, परगना पन्द्रह, जिला वाराणसी में कन्या पाठशाला खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। यदि स्थानीय सहायता से पाठशाला भवन उपलब्ध हुआ तो आगामी वर्ष १९६०-६१ में पाठशाला आरम्भ की जायेगी।

फर्रुखाबाद जिले में चकबन्दी के लिये कथित अनुपयुक्त भूमि

*१०५—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील के कुछ गांवों के सम्बन्ध में जहां चकबन्दी प्रारम्भ हो रही है चकबन्दी अधिकारियों ने यह रिपोर्ट दी कि ये गांव चकबन्दी करने के योग्य नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या उन गांवों में भी चकबन्दी होगी और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार जिला फर्रुखाबाद की सदर तहसील के किसी भी ऐसे ग्राम में चकबन्दी क्रियायें नहीं की जा रही हैं जिसके सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारियों ने चकबन्दी के लिए अनुपयुक्त होने की रिपोर्ट दी है।

वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् को बेसिक शिक्षा के लिये अनुदान

*१०६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक शिक्षा के लिये वाराणसी अन्तरिम जिला परिषद् को सन् १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० में कितना रुपया दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

१९५६-५७	में	१५,८२,३२१ रु०
१९५७-५८	में	१८,४९,९२२ रु०
१९५८-५९	में	२३,२१,८०३ रु०
१९५९-६०	में	१७,२६,३५७ रु०

नोट—तारांकित प्रश्न १०३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

खीरी अन्तरिम जिला परिषद् से हटाये गये अध्यापकों का बकाया वेतन

*१०७—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के कुछ अध्यापकों ने सरकार के पास कोई शिकायत भेजी है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल, सन् ५६ और जनवरी, सन् ५८ के वेतन अन्तरिम जिला परिषद् से निकाले जाने के बाद भी आज तक अध्यापकों को प्राप्त नहीं हुए हैं? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही सरकार की ओर से की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है ।

रामगढ़ ग्राम में श्री प्रद्युम्न सिंह की भूमि

*१०८—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित) —क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम रामगढ़, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के भूतपूर्व जमींदार की भूमि वहां के किसान पिछले कई वर्षों से जोतते-बोते चले आ रहे हैं, परन्तु उनका नाम कागज में दर्ज नहीं किया जा रहा है और वह भूमि जमींदार की सीर के नाम से दर्ज है ? इसका क्या कारण है और उपर्युक्त भूमि कितनी है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, भूतपूर्व जमींदार श्री प्रद्युम्न सिंह के नाम अंकित भूमि पर किसी अन्य काश्तकार का कब्जा नहीं है, अतएव उस पर किसी का नाम अंकित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

हाजीपुर तप्पा खास में गांव समाज की सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की शिकायत

*१०९—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गांव समाज हाजीपुर तप्पा खास, परगना सगेड़ी, जिला आजमगढ़ की बाबत कोई ऐसी शिकायत गत तीन वर्षों में कई दरख्वास्तों द्वारा आई हैं कि उक्त गांव समाज के प्रधान सम्बन्धित लेखपाल की साजिश से गांव समाज की सम्पत्ति तथा सार्वजनिक भूमि को नष्ट कर रहे हैं, तथा उससे निजी फायदा उठा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं । इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई ।

*११०—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा गांव समाज की सम्पत्ति की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जिले में अपराधों की रिपोर्ट ठीक न लिखने की शिकायत

*१११—श्री बुलाकीराम—क्या गृह मंत्री को यह सूचना प्राप्त हुई है कि जिला हरदोई में पुलिस विभाग द्वारा डकैती और राहजनी जैसे हीनियस अपराध छिपाकर मिनिमाइज करके लिखे जाते हैं ? यदि नहीं, तो मंत्री जी इसे सूचना मानकर गोपनीय विभाग के किसी निर्धारित बोर्ड द्वारा इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५९ में सरकार को ऐसे कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए । जिला अधिकारियों को उस साल में १४ शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । इन सब पत्रों की जांच की गई और १३ मामलों में जांच के बाद किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पड़ी । एक मामले में अदालत द्वारा घटना डकैती की नहीं पाई गई । यदि किसी विशेष मामले की जांच की प्रार्थना की जायगी तो सरकार उस पर विचार करेगी । एक पत्र अभी हाल

में प्रश्नकर्त्ता से इस संबंध में प्राप्त हुआ है जो जांच के लिए आई० जी० पी० को भेज दिया गया है।

हरदोई जिले में हरिजन कलेक्शन अमीन तथा चपरासी

*११२—श्री बुलाकीराम—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला हरदोई में कुल कितने year round तथा seasonal कलेक्शन अमीन और चपरासी हैं और उनमें से कितने अमीन तथा चपरासी हरिजन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६६२ पर)

झंझरी राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड में महालक्ष्मी कम्पनी नामक खाता

*११३—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा के राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, झंझरी में महालक्ष्मी कम्पनी के नाम कोई खाता है ? उसमें कितनी एकड़ में खेती होती है और कितने एकड़ कितने दिनों से बंजर पड़ा है तथा उपरोक्त बंजर भूमि को लेकर भूमिहीन किसानों को देने में क्या कठिनाई है ?

*११४—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में महालक्ष्मी कम्पनी के नाम उपर्युक्त खाते का लगान कितना बाकी पड़ा है और लगान वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोंडा में राष्ट्रीय सेवा खंड, झंझरी के ग्राम महदेया में महालक्ष्मी कम्पनी के नाम २८९.६६ एकड़ का एक खाता है। सारी भूमि पर कांटेदार झाड़ियां हैं और खेती नहीं होती है। यह भूमि प्राचीनकाल से बंजर है। इस भूमि को भूमिहीन किसानों को देने में इसलिये कठिनाई है क्योंकि यह भूमि २८ नवम्बर, १९५३ से वन विभाग के अधिकार में हो गई है।

उपर्युक्त खाते का लगान रु० ५,५९१.६९ नये पैसे बाकी है। भूमि के सम्बन्ध में मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः बकाया लगान की वसूली की कार्रवाई रुकी हुई है।

राज्य के विभिन्न जिलों में मालगुजारी व तकावी की वसूली का स्थगन

*११५—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग-अलग तहसीलों की सन् १३६७ फसली की कुल मालगुजारी किसानों पर क्या है तथा उनमें कितना अब तक वसूल किया गया और कितना बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूचना नत्थी 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६६३ पर)

*११६—श्री अमरनाथ—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग-अलग तहसीलों में वर्तमान वर्ष में कुल कितनी तकावी किसानों पर बकाया थी और उनमें कितनी अब तक वसूल हुई और कितनी बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—सूचना नत्थी 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६६४ पर)

*११७—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के वह कौन-कौन से जिले हैं जहां सूखा और बाढ़ के कारण मालगुजारी और तकावी की वसूली वर्तमान समय में स्थगित है और जिस वक्त स्थगित की गयी उस वक्त मालगुजारी और तकावी किसानों पर कितनी बाकी रह गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सूखा तथा बाढ़ के कारण मालगुजारी और तकावी की वसूली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वर्तमान फसल में ३० नवम्बर, १९५९ तक स्थागित थी। बकाया मालगुजारी की वसूली इस फसल में ३० नवम्बर, १९५९ के बाद उन ग्रामों में जहां कि खरीफ की फसल को आठ आने और उससे अधिक की क्षति है, पूर्णतया रोक दी गई है। उन ग्रामों में जहां कि क्षति ६ आने और ८ आने के बीच है, बकाया का आधा इस फसल में वसूल होगा। जिन ग्रामों में क्षति ६ आना से कम की है उन ग्रामों में इस फसल में वसूली हो रही है। जहां तक खरीफ १३६७ फसली की मालगुजारी की मौजूदा मांग (current demand) का सम्बन्ध है २५ जिलों के उन खातों की मालगुजारी की वसूली जिनमें नियमानुसार छूट मिल सकती है, छूट मिल सकने की धनराशि तक स्थगित है।

विवरण नत्थी 'ग' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६६५ पर)

मोहम्मदपुर बसोखा के किसानों पर मुकदमा

*११८—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के थाना हसनगंज में ग्राम मोहम्मदपुर बसोखा के किसानों पर चकबन्दी अधिकारियों की रिपोर्ट पर थाने की पुलिस ने कोई केस चलाया है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों पर और उसमें क्या औरतों पर भी केस चलाये गये हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। हसनगंज थाने की पुलिस ने मोहम्मदपुर बसोखा के १७ व्यक्तियों पर चकबन्दी कर्मचारियों की रिपोर्ट पर दफा १४७/३५३ ताजीरात हिन्द के अंतर्गत केस चलाया है। अभियुक्तों में दो औरतें भी हैं।

*११९—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त थाने में अभियुक्तों में से किसी ने चकबंदी कर्मचारियों के व्यवहार के प्रति थाना हसनगंज में रिपोर्ट की है? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही अमल में लायी जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन १७ व्यक्तियों में से विश्वनाथ नामक अभियुक्त की ओर से श्री महादेवप्रसाद ने चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट थाना हसनगंज पर लिखाई थी। मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतएव रिपोर्ट के विषय में और कोई सूचना देना संभव नहीं है।

पुखरायां तहसील में फसल प्रतियोगिता के विजेता को रिवाल्वर का लाइसेंस न मिलना

*१२०—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में यह घोषणा सन् १९५४ के बाद की गई है कि उत्तर प्रदेश फसल प्रतियोगिता के पुरस्कृत लोगों को रिवाल्वर का लाइसेंस, दिया जायगा? यदि हां, तो सरकार ने कितने ऐसे प्रार्थियों को रिवाल्वर का लाइसेंस उक्त घोषणा के पश्चात् प्रदेश में दिया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कृषि विभाग द्वारा घोषणा की गई थी कि पुरस्कार विजेता को बन्दूक या रिवाल्वर का लाइसेंस, यदि अन्यथा वे इसके लिये उपयुक्त हों तो, दिया जावेगा। उक्त घोषणा के पश्चात् १९५४ से १९५९ तक प्रदेश के ४५ जिलों में कुल ३६ पुरस्कार विजेताओं को शस्त्र का लाइसेंस दिया गया है। ६ जिलों से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

*१२१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सही है कि कानपुर जिले में तहसील पुखरायां की १९५७-५८ व १९५८-५९ के गेहूं की फसल प्रतियोगिता में क्रमशः तृतीय व प्रथम पुरस्कार विजेता को रिवाल्वर का लाइसेंस प्रार्थना-पत्र भेजने पर भी नहीं दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, क्योंकि वे रिवाल्वर के लाइसेंस के लिये उपयुक्त पात्र नहीं समझे गये।

गाजीपुर में डिग्री कालेज न खुल सकना

*१२२—**श्री यमुनासिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो २२ डिग्री कालेज खोले गये हैं वे किन-किन बातों का ध्यान देकर खोले गये हैं? उनमें गाजीपुर का नम्बर किन कारणों से नहीं आया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सम्बद्धता की शर्तों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयों ने इन कालेजों के खुलने की अनुमति दी है। गाजीपुर के किसी नये इंटर कालेज ने डिग्री कालेज खोलने के लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय को प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है।

हरदोई जिले में हरिजन कूपों व मकानों का अपूर्ण कार्य

*१२३—**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कुछ हरिजन व्यक्तियों को हरदोई जिले में हरिजन कल्याण कमेटी द्वारा १९५६-५७ में कुआं तथा मकान बनाने के लिये अनुदान दिया गया था और वह आज तक पूरा नहीं हुआ है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। अधिकांश निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

*१२४—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या हरदोई में बावन ब्लाक के अन्तर्गत कुछ लोगों को हरिजन कमेटी की ओर से कुआं बनाने के लिये १९५७-५८ में अनुदान दिया गया जिसके वाउचर तसदीक हो गये थे परन्तु बाद में रिपोर्ट होने पर फर्जी साबित हुये और उनसे १९५९ में रुपया वापस खजाने में जमा कराया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

पी० बी० कालेज, प्रतापगढ़ को डिग्री कालेज न बनाना

*१२५—**श्री राजनारायण**—क्या सरकार तिलक कालेज, प्रतापगढ़ को डिग्री कालेज बनाने जा रही है? यदि हां, तो पुराने तथा सुदृढ़ स्थिति का पी० बी० कालेज डिग्री कालेज क्यों नहीं बनाया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डिग्री कालेजों को मान्यता विश्वविद्यालय देते हैं।

बारा परगना में हरिजन कन्या पाठशाला व पुस्तकालय हटाना तथा हरिजनों को सहायता

*१२६—**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद, परगना बारा का हरिजन कन्या पाठशाला तथा पुस्तकालय वहां से हटा दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। वहां से हटा कर अब इन संस्थाओं को स्थान दुर्जनपुर, तहसील फूलपुर में खोल दिया गया है। कारण, अपने पूर्व स्थान पर ये संस्थायें सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही थीं। यह परिवर्तन स्थानीय अधिकारियों तथा प्रबन्धकों की सम्मति से किया गया है।

*१२७--श्री जोखई--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद, तहसील करछना, परगना बारा के हरिजनों को हरिजन कल्याण विभाग से सन् १९५७-५८ तथा सन् १९५८-५९ में कितने प्रकार की और कितनी सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इसका विवरण निम्न प्रकार है:--

		१९५७-५८	१९५८-५९
		रु०	रु०
१--शिक्षा के लिये	..	४,४०५·९३	३,८३९·२७
२--कूप-निर्माण के लिये	..	२,७००·००	२,२००·००
३--भवन निर्माण हेतु	..	३५०·००	--
४--कृषि के उत्थान हेतु	..	५००·०७	--
५--कुटीर उद्योग के लिये	..	१,३५०·००	५५०·००

*१२८--श्री जोखई--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला इलाहाबाद, परगना बारा की हरिजन कन्या पाठशाला तथा हरिजन पुस्तकालय, छतहरा के भ्रष्टाचार के संबंध में कोई तार संचालक हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास आया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी --जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जौनपुर जिले में बैनामों की तरमीम संबंधी मुकदमे

*१२९--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में बैनामे की तरमीम संबंधी कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जौनपुर जिले में बैनामे की तरमीम संबंधी ६,१०८ मुकदमे विचाराधीन हैं।

*१३०--श्री माताप्रसाद--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मुकदमों में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिन में ५ बार से अधिक तारीखें पड़ चुकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त मुकदमों में से १,३७५ मुकदमे ऐसे हैं जिन में ५ बार से अधिक तारीखें पड़ चुकी हैं।

स्वाधीनता संग्राम सैनिकों के पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*१३१-१३२--श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि २६ अगस्त, १९५५ से अब तक कितने स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों अथवा उनके संबंधियों ने पेंशन के लिये प्रार्थनायें कीं ? उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं तथा कितनी अस्वीकृत हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। इसमें लगभग २ माह का समय और लगेगा।

राज्य में भूदान में प्राप्त भूमि का वितरण तथा कृषि योग्य परती भूमि

*१३३--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस प्रदेश में कितनी भूमि १९५२ से अब तक ग्राम दान, भूदान आदि के रूप में प्राप्त हो चुकी है और उसमें से कितनी भूमिहीनों को वितरित की जा चुकी है, और जो बाकी है वह किसके अधिकार में है और उसकी क्या व्यवस्था भविष्य में होगी तथा उसका लगान क्या है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--इस प्रदेश में सन् १९५२ से सितम्बर, १९५९ तक २,९५,४३१ एकड़ भूमि, ग्राम दान, भूदान में प्राप्त हो चुकी है जिसमें से ९७,३८३ एकड़ भूमि भूमिहीनों में वितरित हुई। शेष भूमि भूदान यज्ञ समिति के अधिकार में है। इस भूमि को भूमिहीनों में वितरित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसका लगान अनुमानतः २ लाख रुपया सालाना लगाया गया है।

*१३४--श्री इन्दुभूषण गुप्त--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जिलेवार ऐसी कितनी भूमि खेती योग्य है जो ग्राम सभाओं के अधिकार में है और वह परती है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--अभी तक केवल ४६ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है और वह भी पूरी नहीं प्रतीत होती है। जब तक पूरी न हो जाय, सदन में वह सूचना देना उपयुक्त न होगा। बाकी दो जिलों से आंकड़े प्राप्त करने में तथा प्राप्त सूचना को पूरी कराने में कम से कम दो महीने का समय लगेगा।

कलेक्ट्रियों के आउट साइडर क्लर्क्स

*१३५--श्री देवीप्रसाद मिश्र (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि राज्य में कुल कितने कलेक्ट्री के ऐसे क्लर्क हैं जो १० साल या अधिक से आउट साइडर के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

*१३६--क्या सरकार इनमें से कुल या कुछ के स्थायीकरण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

*१३७--क्या सरकार इन लोगों को बिना इम्तहान पेड अपरेंटिस बनाने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--वांछित सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

बलरामपुर तहसील के लेखपाल के विरुद्ध मुकदमा

*१३८--श्री दशरथप्रसाद--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में तहसील बलरामपुर के कितने लेखपाल के विरुद्ध १ जनवरी, १९५९ से अदालती कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--एक के विरुद्ध।

*१३९--श्री दशरथप्रसाद--सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है वे मुअत्तल हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन--जी हां।

सदर तहसील में चकबन्दी पर व्यय

*१४०—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया की सदर तहसील में चकबन्दी का काम कितने दिनों तक जारी रहा और उसमें कितना काम तथा खर्च हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया जिले की सदर तहसील में चकबन्दी का कार्य यथार्थ रूप में आरम्भ नहीं किया गया था। केवल सर्वेक्षण का कार्य दिनांक ८ अक्तूबर, १९५९ से २५ नवम्बर, १९५९ तक जारी रहा। इस सम्बन्ध में कुल १०,६९५ रु० ४६ नये पैसे का खर्च हुआ।

पेपर बुक न छपने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन अपीलें

*१४१—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में फर्स्ट सिविल अपीलों के कितने मुकदमे इस वक्त न्यायालय में विचाराधीन इसलिये पड़े हैं कि अभी उनकी पेपर बुक नहीं छपी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—३१ जनवरी, १९६० को पेपर बुक न छपे होने के कारण ३,३२१ फर्स्ट अपीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन थीं।

*१४२—श्री भुवनेशभूषण शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन उपरोक्त मुकदमों की पेपर बुक नहीं छपी उनकी अपील किस-किस सन् में दायर की गई थीं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—एक तालिका सदन की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ६६६ पर)

आजमगढ़ जिले में हरिजन व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*१४३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८-५९ और १९५९-६० के लिये कितना धन छात्रवृत्ति वितरित करने के हेतु आजमगढ़ जिले में सरकार की ओर से दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ६६७ पर)

*१४४—श्री विश्रामराय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस रकम का वितरण कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के छात्रों में हुआ और कितने प्रार्थना-पत्र १९५८-५९ और १९५९-६० में प्राप्त हुए थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के मर्ज्ड एम्प्लाईज को महंगाई भत्ता न मिलना

*१४५—श्री सूरतचन्द्र रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल के शिक्षा विभाग के मर्ज्ड स्टेट एम्प्लायईज को सौ रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो पांच रुपये पिछले साल के बजट में बढ़ाई रुपया इस चालू वर्ष के बजट में वृद्धि हुई है वह क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—स्पष्ट सूचना पूर्णरूप से अभी एकत्रित नहीं हो सकी है।

कानपुर जिले के कुछ मान्यता प्राप्त हायर सेकेंड्री स्कूलों को सहायता न मिलना

*१४६---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में ऐसे कौन-कौन हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं जिनको मान्यता मिली है लेकिन प्रार्थना करने पर भी सरकारी आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकी है, सहायता न दे सकने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ६६९ पर)

सहायता न दे सकने के निम्नलिखित दो कारण प्रमुख हैं :

प्रथम यह कि द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत असाहायिक विद्यालयों को अनुदान देकर सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची पर लाने के लिये केवल १,८०,००० रु० का प्राविधान है जिसमें बालकों एवं बालिकाओं के कुल ६० विद्यालयों को ही अनुदान दिया जा सकता है। अतः यह सम्भव नहीं है सभी विद्यालयों को प्रारम्भिक अनुदान मिल सके क्योंकि असाहायिक विद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है।

२---सहायता न देने के और कारण उप-शिक्षा संचालक मंडल एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की संस्तुति का न होना, परीक्षाफल का सन्तोषजनक न होना, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष की कमी, अदीक्षित एवं अस्थायी अध्यापकों की बाहुल्यता, छात्र संख्या की न्यूनता, भवन एवं सज्जा उपस्कर की कमी आदि हैं।

विधायक निवास के कर्मचारियों की वर्दी पर व्यय

*१४७---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब तक गर्मी की वर्दी क्यों नहीं प्रदान की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विधायक निवासों के स्थायी कर्मचारियों को गर्मियों की वर्दी हर दूसरे वर्ष दी जाती है। उनको पहली गर्मी की वर्दी जुलाई, १९५८ में दी गई थी और उनको वर्दी फिर जुलाई, १९६० में दी जायगी। विधायक निवासों में अस्थायी कर्मचारियों को, जो तीन साल से अधिक कार्य कर रहे हों, गर्मी की वर्दी इस वर्ष से देने का निश्चय हुआ है।

*१४८---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवासों में काम करने वाले कर्मचारियों की गर्मी की वर्दी में कुल कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---विधायक निवास के स्थायी कर्मचारियों को जो वर्दी जुलाई, १९५८ में दी गई थी उसमें कुल खर्चा १,२८२ रु० ८९ न० पै० हुआ। इस साल स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को वर्दी दी जाने में अनुमानतः २,२०० रु० खर्च होगा।

आजमगढ़ जिले में बिना डाक्टरों के अस्पताल

*१४९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के किन-किन एलोपैथिक अस्पतालों में कब-कब से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आजमगढ़ जिले के निम्नलिखित एलोपैथिक अस्पतालों में उनके आगे लिखित तारीखों से डाक्टर नहीं हैं :

	तिथि
(१) मधुवन	.. ६-१०-५९
(२) मेहनाजपुर	.. २०-१२-५९
(३) लालगंज	.. २०-१-६०
(४) कोपागंज	.. २७-२-५९

फैजाबाद में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौन्सल की नियुक्ति

*१५०---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में दिसम्बर, १९५९ या जनवरी, सन् १९६० में डी० जी० सी० की नियुक्ति हुई है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---जी हां, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंन्ट कौंसल (सिविल) की नियुक्ति हुई है ।

*१५१---श्री बलदेवसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिनकी नियुक्ति हुई है उनकी वकालत की कितने दिन की प्रैक्टिस है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---उनकी वकालत की दस वर्ष की प्रैक्टिस है ।

*१५२---श्री बलदेवसिंह---किन-किन लोगों ने डी० जी० सी० के उक्त पद के लिये प्रार्थना की थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सर्वश्री जगन्नाथप्रसाद सिन्हा, ठाकुर प्रतापसिंह, हृदय-नारायण मेहरोत्रा, हरिहरदत्त पान्डे, रामदेवसिंह, सूर्यभानुलाल श्रीवास्तव, नारायणदास खत्री, कैलाशकुमार श्रीवास्तव, बशीर अहमद खां और विष्णुनारायण सावन्त ने इस पद के लिये आवेदन-पत्र दिये थे ।

देवरिया जिले में हरिजनों को सहायता

*१५३---श्री उग्रसेन---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में देवरिया जनपद में हरिजन सहायक विभाग द्वारा हरिजनों को कितने धन की सहायता भवन, कूप, छात्रवृत्ति के मद में दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---७२,९३० रुपये तथा ५० नये पैसे ।

कलेक्टरी में कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये बी० ओ० में कथित आदेश

*१५४---आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---क्या यह सही है कि १३ दिसम्बर, १९५६ में बी० ओ० नं० २५७९०-२५८४०/बी० आर० (एडमे) के अन्तर्गत सरकार ने यह आदेश दिया था कि "ए" श्रेणी के जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों को जो ५ अक्तूबर, १९५६ को ३ साल की अखंडित और ५ साल की खंडित सेवा की अवधि पूर्ण कर चुके हों तथा पूर्वोक्त बी० ओ० में अपेक्षित तीनों शर्तें पूरी कर चुके हों, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---शासकीय आदेशों के आधार पर राजस्व परिषद् ने उल्लिखित पत्र में आदेश जारी किए जिसके अनुसार कलक्ट्रेट में उक्त बी० ओ० में लिखित तीनों शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे अस्थायी कर्मचारी :

(अ) जो परीक्षा द्वारा पेड अप्रेन्टिस की नियुक्ति हेतु चुने गए थे किन्तु नियुक्त नहीं हो सके, तथा

(ब) जो अस्थायी नियुक्तियां हेतु परीक्षा द्वारा चुने गए तथा ५ अक्तूबर, १९५६ को तीन वर्ष की अखण्डित सेवा या पांच वर्ष की खंडित सेवा की अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें बिना किसी परीक्षा के पेड अप्रेंटिस नियुक्त किया जाय । उन्हें स्थायी करने के कोई आदेश जारी नहीं किये गए ।

*१५५---आचार्य दीपंकर---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि मेरठ में इस वर्ष बी० ओ० के अनुसार कितने कर्मचारी अब तक स्थायी किये गये तथा कितने स्थायी होने बाकी हैं ?

*१५६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो कर्मचारी पूर्वोक्त बी० ओ० की तमाम शर्तों को पूरा करने के बाद भी स्थायी नहीं किये जा सके वे कब तक स्थायी कर दिये जायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उक्त बी० ओ० में स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

१९४२ के आन्दोलन में आजमगढ़ जिले में जलाये गये मकानों का मुआवजा

*१५७---श्री इन्दुभूषण गुप्त---उत्तर प्रदेश विधान सभा के १४ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो १,०८, ५२० रु० की सहायता, आजमगढ़ में दी गई थी उसमें से तहसील सगड़ी के किन-किन ग्रामों के कितने व्यक्तियों को कितना-कितना धन दिया गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तहसील सगड़ी के केवल एक व्यक्ति श्री महादेवसिंह, निवासी ग्राम जोखाबार को २,००० रुपये का मुआवजा दिया गया ।

*१५८---श्री इन्दुभूषण गुप्त---क्या यह सही है कि किसी ग्राम के किसी व्यक्ति के प्रति जिलाधीश की यह आख्या होते हुये भी कि उसका केस नियमों के अन्तर्गत नहीं आता, सहायता की गई थी ? यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---चूंकि सम्बन्धित अभिलेख पूर्णतः उपलब्ध नहीं है अतः अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

जालौन जिले में कथित अस्थायी मान्यता पाने वाली शिक्षा संस्थायें

*१५९---श्री गोविन्दनारायण तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में ऐसी कितनी शिक्षा संस्थायें हैं जिन्हें गत वर्ष अस्थायी मान्यता दी गई थी परन्तु इस वर्ष नहीं दी गई ? इस संस्थाओं के अस्थायी मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जिला जालौन में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे गतवर्ष अस्थायी मान्यता दी गई हो, परन्तु इस वर्ष (१९५९) में चालू न की गई हो । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क पर व्यय

*१६०—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की किन-किन तहसीलों में कहां-कहां टेस्ट वर्क चालू वर्ष में हो रहा है और अलग-अलग कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ६७० पर)।

शिक्षा विभाग की कथित राजाज्ञा

*१६१—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में शिक्षा विभाग के जी० ओ० संख्या ए-१-६५९९—१५/२२९६-५५, दिनांक २१ जून, १९५९ का पालन किन-किन शिक्षा संस्थाओं द्वारा किया जाता है और किन-किन संस्थाओं द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस तिथि में कोई राजाज्ञा इस विषय पर नहीं जारी हुई।

*१६२—श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त जिन संस्थाओं द्वारा उसका पालन नहीं किया जा रहा है, उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज के संबंध में शिकायतें तथा राज्य में चिकित्सा कालेजों पर व्यय

*१६३—श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उसके पास इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज में अनियमितता तथा गबन की कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। शिकायतें अनियमितता तथा गबन के बारे में थीं। सरकार ने शिकायती पत्र अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा संचालक तथा चेयरमैन होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश को जांच तथा रिपोर्ट के लिये भेज दिया था। परिषद् ने जांच की। तदुपरान्त स्वास्थ्य सेवा संचालक ने उप-न्याय मंत्री जी के साथ स्वयं जांच की। शिकायत असत्य प्रमाणित हुई। फिर भी कालेज के प्रबन्धकारिणी बोर्ड को कालेज की स्थिति सुधारने के लिये कहा गया और चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में ऐसी शिकायतें आयेंगी तो अनुदान बन्द कर दिया जायगा।

*१६४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने होम्योपैथिक, एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक कालेज सरकार की ओर से चल रहे हैं तथा किन-किन कालेजों को कितना-कितना धन १९५८-५९ तथा १९५९-६० में अनुदान तथा ऋण के रूप में दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश में निम्नलिखित होम्योपैथिक, एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक कालेज सरकार की ओर से चल रहे हैं:—

होम्योपैथिक कालेज

१—नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।

एलोपैथिक कालेज

१—मेडिकल कालेज, आगरा ।

२—मेडिकल कालेज, कानपुर ।

आयुर्वेदिक कालेज

१—आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ ।

१९५८-५९ तथा १९५९-६० में अन्य कालेजों को जो अनुदान दिया गया उसका विवरण संलग्न है । इन वर्षों में ऋण किसी भी कालेज को नहीं दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ. ६७१-६७२ पर)

हरिजन कल्याण विभाग के कर्मचारी

*१६५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के अन्तर्गत हरिजन कल्याण विभाग में कुल कितने कर्मचारी व आफीसर हैं और उसमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना निम्न प्रकार है :—

समस्त कर्मचारियों की संख्या	पिछड़ी जाति	हरिजन	अधिकारियों की संख्या	पिछड़ी जाति	हरिजन
५७८	६६	२३४	८३	४	२५

बेसिक एल० टी० की लखनऊ में परीक्षा

*१६६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५९ में शिक्षा विभाग की तरफ से बेसिक एल० टी० की परीक्षा लखनऊ में हुई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने विद्यार्थी बैठे थे और कितने पास हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१६७—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुये उनको जगह दे दी गई है ? यदि हां, तो कहां ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

हरदोई जिले में थानों की इमारतों में अपराध

*१६८—श्री बुलाकीराम—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ में जिला हरदोई के विभिन्न थानों की चहारदीवारी के अन्दर किन-किन प्रकार के कितने अपराध हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुई है ।

(देखिय नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

जौनपुर जिले में हरिजन कूप निर्माणार्थ सहायता देने का आश्वासन

*१६९---श्री माताप्रसाद---क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जौनपुर जिले में सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ में हरिजन सहायक उप-समिति की स्वीकृति से हरिजनों के पानी पीने के कुंयें जो बन गये और बन रहे हैं उन्हें रुपया इस लिये नहीं दिया जा रहा है कि अब जिला हरिजन कल्याण विभाग का कहना है कि हमारे विभाग में रुपया ही नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कुछ भुगतान धनाभाव के कारण रुक गये हैं ।

*१७०---श्री माताप्रसाद---क्या गृह मंत्री जौनपुर हरिजन कल्याण विभाग को स्वीकृत छः कूपों की धनराशि भुगतान करने के लिये विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां ।

अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय न मिलने पर आपत्ति

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि या तो हमारी बेंचेज ऐसी जगह पड़ती हैं कि काफी चेष्टा करने पर भी चेयर का ध्यान आकृष्ट करने में सफलता नहीं मिल रही है और हमारे दल के सदस्य अपने पूरक प्रश्नों के करने का अवसर नहीं पा रहे हैं, या फिर हमें अवसर आप देना नहीं चाहते । यह स्थिति असहनीय है, अतः कोई निश्चित व्यवस्था हो जाय, जिससे अच्छी तरह से पूरक प्रश्नों का मौका मिले । मैं ही कई बार उठा, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं आकृष्ट कर सका ।

श्री उपाध्यक्ष---यह जो काफी प्रश्नों को लेने की व्यवस्था मैंने की है वह इसलिये कि मैं चाहता हूं कि तमाम माननीय सदस्यों क प्रश्नों पर विचार किया जाय और उनको मौका दिया जाय । आमतौर पर बहुत ही साधारण प्रश्नों पर बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और सप्लीमेंटरी पूछने लगते हैं । आप की सीटों के कारण से कोई रुकावट नहीं हुई ।

जहांतक यह कहा गया कि सीटें नहीं दिखलायी पड़तीं, तो अगर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न था तो उस पर उचित ध्यान दिया गया और साधारण प्रश्न पर अगर खड़े हुए तो जैसा व्यवहार इस प्रकार के प्रश्नों पर अन्य माननीय सदस्यों के साथ किया गया वैसा ही आपके साथ हुआ ।

अब और आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय अध्यक्ष महोदय से कहा गया था कि न्याय मंत्री और गृह मंत्री के पास बहुत से विभाग हैं, इसलिये बहुत से प्रश्न एक साथ हो जाते हैं । तो माननीय अध्यक्ष ने यह आश्वासन दिया था कि वह बहुत शीघ्र कोई ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि ये अलग हो जांय । आज ही देखिये कि १७० सवाल थे और १२० व १२१ संख्या पर हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन वह नहीं आ सके । तो ये जो २ या कई विभागों के मंत्री हैं, इनको अलग किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---वह प्रश्न माननीय अध्यक्ष के समक्ष है और वह पत्रावली उन्हीं के पास है । वह शायद किसी माननीय मंत्री जी के पास भेजी गयी है कि उचित ध्यान दिया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के सम्बन्ध में जो असुविधा मैं अनुभव कर रहा हूं उसके सम्बन्ध में आपसे एक नम्र निवेदन अत्यन्त आदर के साथ करना चाहता हूं, और वह यह कि इस प्रयत्न का, जो प्रयत्न वांछनीय है और उसका उद्देश्य भी ठीक है, मैं आदर करता हूं । जिस द्रुतगति से दूसरे प्रश्नकर्ता

को बुला लिया जाता है उसका परिणाम यह तो होता ही है कि हम जो प्रश्न पूछने वाले होते हैं उनके सम्बन्ध में सोच-विचार करके जो पूरक प्रश्न अच्छी उपयोगी जानकारी करने के लिये करना चाहते हैं, उसका अवसर हमें नहीं मिलता और मेरा नम्र निवेदन आपकी सेवा में है कि जब हम पूरक प्रश्न करें तो आप यह समझें कि हम अनावश्यक कर रहे हैं और समय ले रहे हैं और आपका अधिकार है यह कहने का कि मैं इजाजत नहीं देता, लेकिन जब तक आप हमारे पूरक प्रश्न को सुनें ही नहीं तब तक आपको कैसे मालूम हुआ कि जो पूरक प्रश्न करने वाले हैं वह महत्वपूर्ण है या नहीं ? और जल्दी तो इतनी की जाती है कि कई प्रश्न रह जाते हैं जल्दी में, जैसे अभी.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझ गया ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---एक निवेदन इतना और करूंगा कि इस बात को देखते हुए कि हम लोगों में इतनी योग्यता नहीं है कि शीघ्रता से सब बातों को समझ सकें, तो हमारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए आप इतनी अनुकम्पा कर सकें कि कुछ स्पीड कम कर दें तो कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय पालीवाल जी का अनुगृहीत हूं कि अपनी असुविधा की तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया, लेकिन जहां तक डिस्क्रिशन का सवाल है, उसका इस्तेमाल मैं ही कर सकता हूं । अगर ऐसी कठिनाइयां माननीय सदस्यों को हो जाती हैं तो उसका दूसरा इलाज यह है कि वह तुरन्त अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछें और मैं फौरन उचित कार्यवाही करूंगा । यह तय करना कि कौन-सा उचित है और कौन सप्लीमेंटरी एलाऊ किये जायंगे, उसका अन्तिम अधिकार चेयर का है । अगर इस व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुझसे बाद में पूछना चाहें तो मैं स्वागत करता हूं, और मैं केवल यह चाहता हूं कि काफी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के ऊपर विचार हो सके ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---जहां तक अन्तिम अधिकार का प्रश्न है तो बड़े बड़े जजों को अधिकार होता है, लेकिन वह शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता हो, इसलिये इस प्रकार उसे प्रयोग में न लाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई खास प्रश्न लाइये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आज मैं ४८ बार उठा और बैठा और एक बार मुझे मौका मिला । यह मेरी कठिनाई है, इस पर ध्यान रहे ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि काफी वादविवाद हो चुका है, अब आप बैठिये । अगर आपको असुविधायें होती हैं तो आपने प्रश्न उठाया और अब अलग मुझसे मिलकर बात भी कर सकते हैं । मैं इस बात पर नहीं तुला हूं कि माननीय सदस्यों की असुविधा के लिये कोई काम करूं बल्कि सुविधा की जो कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष---अब इस पर वादविवाद नहीं होगा ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं वादविवाद नहीं करना चाहता, लेकिन एक निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रश्नों के पूछने के अधिकार में इस तरह से कमी की जायगी तो मुझे इस बात के लिये विवश होना पड़ेगा कि मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप मुझे दंड दें, मुझे इंगित करें आपकी आज्ञा के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिये अब मैं खड़ा हूं आप मुझे इंगित करें । आप इंगित करेंगे सदन छोड़ने के लिये तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा लेकिन इस तरह से यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह की कार्यवाही की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपको इंगित करने की आवश्यकता हो ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---अब कर रहा हूं इसलिये कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---आपकी बात का जहां तक सवाल है, मैंने ५ मिनट आपको दिये और मैंने आपसे निवेदन किया कि ऐसी बातें हों तो मुझे अलग बता दी जायं उन पर म सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा, लेकिन यह उचित नहीं है कि हर माननीय सदस्य इसी समय हठ करें कि हम तो यहीं पूंछे और यहीं जवाब देना पड़ेगा । आपको जो स्पसिफिक ग्रीवान्सेज हों वह लिखकर दें ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इस समय में आपकी आज्ञा मान लेता हूं, लेकिन भविष्य के लिये मैंने यह बात कह दी ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय पालीवाल जी को बतला दूं कि चेयर को डिस्क्रीशन होता है, उस समय वह जो मुनासिब समझता है वह करता है, लेकिन अगर आप किसी बात की तरफ ध्यान आकृष्ट करेंगे तो उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा ।

नैनीताल जिले की सितारगंज तहसील में जेल फार्म बनाने हेतु किसानों की जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास बहुत से प्रश्न प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं और उसमें एक प्रश्न को मैंने महत्वपूर्ण पाया है । उस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि माननीय समाज कल्याण मंत्री अपना भाषण दें । . . . . . .

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये ।

श्री टीकाराम पुजारी---बैठा तो रहता ही हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, बाद में उठा लीजियेगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत वह प्रश्न माननीय प्रतापसिंह जी ने उपस्थित किया है । वह इस प्रकार से है---

"प्रदेशीय सरकार द्वारा जिला नैनीताल की सितारगंज तहसील में जेल फार्म बनाने के कारण वहां के २५० परिवारों की ४०० एकड़ जमीन ली जा रही है । किसानों को बिना इत्तला के पुलिस व ३०० कैदी सम्पूर्णानन्द कैम्प से काम करने को भेजे गये हैं जिससे २५० परिवारों के जीवनयापन की एक नयी समस्या खड़ी कर दी गई है । माननीय मुख्य मंत्री के लिखित आश्वासन पर कि इस पर जांच हो रही है फिर भी कैदियों व पुलिस को वहां भेजकर जबरदस्ती जमीन किसानों से ली जा रही है । इस विषम परिस्थिति की ओर माननीय जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं" । इस सम्बन्ध में माननीय समाज कल्याण मंत्री को क्या कहना है ?

*समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, एक अत्यन्त उपयोगी योजना के अन्तर्गत जेल की ओर से एक कृषि फार्म स्थापित करने की यह योजना है और इसी में यह सितारगंज तहसील में करीब ६ हजार एकड़ भूमि लिये जाने की योजना बनाई गई है। इसमें से ३,११५ एकड़ भूमि वह है जिसको एक्वायर करने के लिये इस समय कार्यवाही की गई है और ५ फरवरी, १९६० को उसके सम्बन्ध में नोटीफिकेशन धारा ६ (१) के अन्तर्गत निकाली गई है। इसके अलावा तीन हजार एकड़ भूमि वह है जो सरकारी खाम भूमि है जिसमें कोई नोटीफिकेशन वगैरह निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वहां पर किसी को खेती करने की आज्ञा दी गई हो तो उसको वापस लेने की बात है।

१५० बन्दी वहां भेजे गये हैं जो खाम भूमि के कुछ हिस्से में बसे हुये हैं जो मिल गया है। बाकी हिस्से की जहां खेती है हस्तगत कर लिया जायगा और वहां कृषि तथा औद्योगिक फार्म स्थापित करने की योजना है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या गांधी जी के वर्धा आश्रम के कर्नल जीवन सिंह जी को मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी को भेज कर जांच करावेंगे ? यदि हां, तो क्या वह ऐसा कराने की कृपा करेंगे जिससे जबरदस्ती कोई फार्म वहां न बन सके ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अच्छा होता यदि प्रतापसिंह जी पहले मुझे यह बतला देते, मैं शायद कागजों को देखकर बतला सकता। इस समय मुझे ठीक याद नहीं है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो २०० परिवार वहां से उजाड़े जा रहे हैं क्या यह सम्भव नहीं है कि उन्हें एक कोने पर वहीं जमीन दे दी जाय और इसके लिये फार्म का रकबा कुछ कम कर दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मुझे किन्हीं २०० परिवारों के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है। कुछ ऐसे परिवार होंगे जिन्हें इस खाम भूमि में कृषि की आज्ञा दी गई होगी, लेकिन उसके साथ आवश्यकता पड़े तो भूमि लेने की शर्त भी होती है। बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि जेल फार्म जैसे उपयोगी कार्य के लिये भूमि ली जाय और हमारे मित्र परिवारों का प्रश्न लेकर यहां उपस्थित करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या इन परिवारों को दूसरा ठिकाना देने की कोई योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास इस सम्बन्ध में आज तक किसी व्यक्ति ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और न कोई सामूहिक प्रार्थना-पत्र मुझे प्राप्त हुआ है।

श्री प्रतापसिंह---इस बात को देखते हुये कि वहां गुरू नानकमत्ता का बड़ा भारी मन्दिर है और नानक सागर से प्रभावित लोगों की समस्या पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं विचार करवा रहे हैं और वहां मिलीटरी अफसर को जमीन एलाट की गई है, तो इन बातों को देखते हुये मुख्य मंत्री जी फिलहाल इस कार्यवाही को रोक कर जांच करावेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नानकमत्ता वाली बात तो मुझे मालूम है और निश्चय ही जांच भी हो रही है। हमने मदद करने का आश्वासन दिया है। कौन उजाड़ा जा रहा है, क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं मालूम है। यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि खाम जमीन से कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

नहीं हटाया जायगा। इसके मानी यह हो जावेंगे कि लोगों को खाम जमीन पर बसने की कभी इजाजत ही न दी जाय। अगर हम उनको कोई मदद कर सकते हैं तो बगैर इस बात को माने हुये कि उनका उस जमीन पर कोई अधिकार था, हम उनकी मदद अवश्य करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या लैंड टू दी टिलर (land to the tiller) वाले सिद्धांत को मानते हुये सरकार इन लोगों की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हम सभी के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोशिश करते हैं, यह हमारा धर्म है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---२५० परिवारों को उजाड़ कर खेती का फार्म बनाकर कितने सरकारी नौकरों की यह सरकार परवरिश करेगी जबकि फार्मों पर सरकार को बराबर घाटा रहता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह सारे प्रदेश की बहबूदी से संबंधित एक बड़ी योजना का अंग है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि बंशीधर जी बिलकुल गलत समझ रहे हैं। यहां पर एक भी सरकारी नौकर के पालन-पोषण का सवाल नहीं है। माननीय समाज कल्याण मंत्री ने शायद उनके प्रश्न को ठीक से सुना नहीं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---वे परिवार उस जमीन पर कितने दिनों से बसे हैं और क्या सरकार उनके लिये और कहीं बसाने पर विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री जी ने जवाब दिया कि यह प्रश्न उनके सामने किसी रूप में भी नहीं रखा गया है। पहले भाग का उत्तर मंत्री जी के पास यदि हो तो देने की कृपा करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मेरे पास यह सूचना नहीं है कि वे कितने दिन से वहां रह रहे हैं।

३ सितम्बर, १९५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७-८ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---मान्यवर, दिनांक ३ सितम्बर, १९५९ को हुई विधान सभा की बैठक में श्री रामशरण यादव के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न* संख्या ७-८ के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय कुछ त्रुटि हो गई है। श्री यादव ने पूछा कि जो रिपोर्ट थानेदार द्वारा थाने में लिखाई है उसमें क्या कारण गोली चलाने का दिखाया गया है और कौनसा स्थल दिखाया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह दिया गया था कि घटना की रिपोर्ट एक व्यक्ति ने थाने में इस तरह से लिखाई है कि थानेदार एक गांव राधानगर को एक डकैती की तहकीकात के सम्बन्ध में कुछ कांस्टेबुलों के साथ जा रहे थे तो गांव हुमायूंपुर के पास बुल्लनसिंह के दो लड़कों को उन्होंने बेंत से पीटा और पीटने के बाद जब थानेदार उस गांव में गये, जहां तहकीकात करनी थी तो हुमायूंपुर के लोग वहां गये और थानेदार ने उनके ऊपर गोली चला दी।

संशोधित उत्तर निम्नलिखित है---

"थानेदार द्वारा घटना की रिपोर्ट इस प्रकार लिखी गई है कि थानेदार एक डकैती की जांच के सम्बन्ध में एक हेड कांस्टेबुल तथा तीन कांस्टेबुल के साथ १२ अगस्त, १९५९ को ग्राम नगला राधानगर गये। रास्ते में उन्हें खेत पर काम करते हुये हुमायूंपुर के बुल्लनसिंह के दो लड़कों ने अपशब्द कहे। थानेदार ने उन्हें

चेतावनी दी जिस पर दोनों लड़के यह कहते हुये कि हम तुम्हें देख लेंगे, अपने गांव को चले गये। थानेदार ने राधानगर पहुंचकर जांच शुरू की, इसी समय हुमायूंपुर के २०/२५ लोग लाठी, कांटे तथा भालों से लैस होकर वहां आये और थानेदार को गाली देने लगे। इन व्यक्तियों को ग्राम हुमायूंपुर के लोगों ने समझा बुझा कर वापस भेज दिया। करीब आध घंटे बाद फिर यही व्यक्ति ठाकुर धुल्लन सिंह के साथ आये और उन्होंने पुलिस तथा उसके आदमियों पर आक्रमण कर दिया जिससे थानेदार व उसके आदमियों को चोटें आयीं। निरुपाय होकर थानेदार व कांस्टेबुल अभयराम को गोली चलानी पड़ी जिससे धुल्लनसिंह की मृत्यु हो गई।"

१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०—कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध, अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (क्रमागत)*

कृषि उप-मंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—माननीय, आज जो कृषि का अनुदान आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत है, उसके ऊपर पेश किये गये कटौती के प्रस्ताव पर दिये गये भाषणों को मैंने बड़े मनोयोग और ध्यान से सुना। मैं यह सोचता था कि कोई नवीन सुझाव मिलेंगे ताकि सरकार यह जान सके कि उसकी भूल कहां पर है और हम किस प्रकार से उसको सुधार सकते हैं और हमको उससे प्रेरणा भी मिलेगी। परन्तु जो बातें मैंने सुनीं उनसे मुझे कुछ संतोष नहीं हुआ। मैं तो एक विद्यार्थी के रूप में माननीय सदस्यों को सुनाना चाहता था क्योंकि बजट के अवसर पर सरकार के लिये एक अवसर आता है कमियों को जांचने का क्योंकि अनुदान के विषय में सरकार यहां एक वकील के रूप में नहीं बैठती है बल्कि उसने क्या ठीक किया है या नहीं किया, इसके बारे में उसको सुझाव दिये जाते हैं और उससे सरकार को एक प्रकार का सबक मिलता है। जनतंत्र में यही एक मौका होता है जब कि सरकार अपने आपको सुधार सकती है। लेकिन अगर टीका केवल टीका के लिये ही हो और कोई सुझाव न दिये जायं कि आखिर हमें किस प्रकार से काम करना चाहिये तो वह केवल हमारी परेशानी का कारण हो जाता है।

मेरे विचार से इस प्रकार के वाद-विवाद में ३ बातें आनी चाहिए, किन्हीं स्थितियों में कुछ बातें आयी भी हैं। पहली बात तो वाद-विवाद में यह होनी चाहिये कि स्थानीय शासन में क्या क्या खराबियां हैं जिनको ठीक करना है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो नीति है, हमारे जो कार्यकलाप हैं, उनमें कहां खराबी है। तीसरी बात यह होनी चाहिये कि जो नीति है उसको कार्यान्वित करने में कहां-कहां खराबी आ रही है। जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है शासन की टीका-टिप्पणी की गयी है। मैं यह मानने को तैयार हूं कि शासन में बहुत-सी खराबियां हैं। उनके बारे में मेरी यह नीति रही है कि कभी किसी माननीय सदस्य ने यदि मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया है तो मैंने उन पर पूर्ण रूप से विचार करने की कोशिश की है। मैं ऐसा भी सोच रहा हूं कि क्षेत्रवार माननीय सदस्यों को, चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों, आमंत्रित करूं और आज भी माननीय सदस्यों को दावत देता हूं कि स्थानीय शासन में जो भी खराबी हो, कहीं भी उनको अगर परेशानी हो, तो उसको मुझे बताने का कष्ट करें, मैं उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।

---

*३ मार्च, १९६० की कार्यवाही से।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

कहा जाता है कि नीति की चर्चा के बारे में कटौती करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसके साथ हमें यह भी बताना चाहिये कि आपके उसके विषय में सुझाव क्या हैं, लेकिन मुझे खेद है कि किसी तरफ से भी कोई सुझाव हमें नहीं मिला । जहां तक नीति को कार्यान्वित करने का प्रश्न है, वह पहले प्रश्न के अन्तर्गत आ गया । जो भी हमारी गलती हो, हम उसको सुनने के लिये तैयार हैं, सुनना चाहिये और सुनना पड़ेगी, लेकिन आदरणीय सदस्यों ने इन बातों का बहुत कम ध्यान रखा । जो थोड़ी बातें कही गयी हैं उनके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

पहली बात तो यह कही गयी कि हमारे प्रदेश के अन्दर उत्पादन नहीं बढ़ा । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं, चाहे तो आप आंकड़ों से उसको देख लीजिये, चाहे जो हमारा आज आर्थिक स्तर है, उससे देख लें, चाहे जन जीवन से उसको आंक लें, चाहे जिस प्रकार खाद्यान्न बांटे गये हैं, उसको देख लें और चाहे उनसे अन्दाजा लगा लें कि जो साधन कृषि को दिये गये हैं । इन सब बातों से ये सारी बातें साबित हो जाती हैं कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है । पिछले ५–१० वर्षों में भी बढ़ा है और पिछले वर्ष में भी बढ़ा है ।

एक ओर तो माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारे आंकड़े ठीक नहीं हैं और दूसरी ओर उन्हीं के द्वारा किसी चीज को साबित किया जाता है और उनको गलत तौर से पेश किया जाता है । अतः उन आंकड़ों की दृष्टि से ही पहले मैं अपनी बात को रखने का प्रयत्न करूंगा । सन् ५०–५१ में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गयी थी, गेहूं, जौ, चना, बाजरा आदि खाद्यान्नों का उत्पादन ११२·३० लाख टन हुआ, ५८–५९ में १२४·१० लाख टन और ५९–६० में १३७·२५ लाख टन हो गया । इस तरह से हम देखते हैं कि उत्पादन ११·८ प्रतिशत बढ़ा है । इसके अलावा जो पहले ३२ हजार टन फर्टिलाइजर बांटा गया था वह बढ़ कर १,२१ हजार टन हो गया और जो इर्रीगेशन पहले १२७·९७ में होती थी वह जाकर पहुंच गयी १३२·३४ । इससे प्रतीत होता है कि सिंचाई भी बढ़ी है और उसका उपयोग किसानों ने बेकार ही नहीं किया होगा ।

कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यों के लिये किसानों को इन कोआपरेटिव बैंक से जो लोन दिये गये वे इस प्रकार हैं—

सन् १९५५–५६ में जहां ४ करोड़ रुपये दिये गये थे वहां सन् १९५६–५७ में ६·५६ करोड़ रुपये दिये गये, सन् १९५७–५८ में १०·७७ करोड़ रुपये दिये गये, सन् ५८–५९ में १५ करोड़ रुपये दिये गये और सन् ५९–६० में २० करोड़ रुपये दिये गये । इसके द्वारा किसानों को कृषि सम्बन्धी तरक्की के सारे साधन जुटाये गये हैं ।

इसके अलावा जो कैश क्राप्स—गन्ना, तम्बाकू आदि हैं उनकी खेती में भी काफी वृद्धि हुई है और उनकी उपज भी बढ़ी है । यह स्वाभाविक है कि जिस चीज से ज्यादा पैसा मिलता है उसकी तरफ किसान ज्यादा आकर्षित होता है ।

माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी ने बीज के आंकड़े देते हुए बतलाया था कि गेहूं का बीज सन् ५६–५७ में जहां ३१·१४ टन दिया गया वहां सन् ५८–५९ में ३०·३६ टन ही दिया गया, जौ का बीज भी १५·९६ टन के बजाय १३·९५ टन ही बांटा गया और अरहर का बीज भी कम ही बांटा गया । एक बात यह भी कही गयी कि पहले एकरेज ज्यादा था जो ५८–५९ में जाकर कम हो गया । पहले गेहूं का एकरेज जहां ९९·८० लाख एकड़ था वह ९५·६४ लाख एकड़ रह गया, जौ का एकरेज ५४·३४ लाख एकड़ से कम हो गया और अरहर का भी एकरेज १६ लाख एकड़ से १५ लाख एकड़ ही रह गया । मेरा खयाल है कि एकरेज भी इस साल बढ़ा है और पैदावार भी बढ़ी है और हमारा प्रदेश आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ा है इसमें कोई शक नहीं है । इसके सबूत एकरेज के साथ

साथ आज की वस्तुस्थिति भी है जिसके साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह से अगर इन तमाम एकरेज को देखा जाय तो सन् ५६-५७ में ४०१·२३ लाख एकड़ जमीन जहां खेती के लिये मौजूद थी वहां सन् ५८-५९ में ४३७·२३ लाख एकड़ जमीन थी। तो इस तरह से जहां तक एकरेज का सम्बन्ध है ८·९७ परसेंट इसमें भी तरक्की हुई है और जहां तक पैदावार का सम्बन्ध है ११२·३० लाख टन की जगह १२४·१० लाख टन अन्न पैदा हुआ, तो इस तरह से १०·५ परसेंट इसमें भी तरक्की हुई ह। इससे साफ मालूम होता है कि जहां एकरेज में २ परसेंट की वृद्धि हुई है वहां पैदावार में भी ५, ७ परसेंट की वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यों द्वारा जब पैदावार को कम दिखलाना होता है तो यह कह दिया जाता है कि एकरेज बढ़ा है इस वजह से ज्यादा पैदावार दिखलायी पड़ती है, इसके माने तो यही हुए कि डाक्टर बीमार से कहे कि बीमारी से नुकसान है इसलिये बीमारी शब्द को ही छोड़ दो। इस तरह की बात कहते रहना तो मेरी समझ से बहुत गलत है। आदरणीय सदन के सामने जब आंकड़े रखे जायं तो उसकी कोई रूपरेखा भी सदन को बतलानी चाहिये कि वह क्या है। अगर सारी चीजों को इस दृष्टि से देखा जाय तो कृषि क्षेत्र में हमारी लगातार तरक्की होती जाती है। परन्तु मैं इस समय अधिक बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि समय तो निर्धारित ही है। लेकिन मैं दावे के साथ माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि चाहे जिस प्रकार से भी देखें हमारी तरक्की चतुर्मुखी हो रही है और कृषि का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है, शर्म नहीं है कि जितनी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हुई है। इसकी वजह यह है कि हमारे अन्दर भी तो ब्लैकशाप्स मौजूद हो सकते हैं, हमारे विधायकों में भी तो ऐसे हो सकते हैं जो यहां पर तो दूसरी बात कहें और जनता में जाकर उससे उल्टी ही बात करें। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, उस खयाल से मैं इसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन असलियत यही है कि यहां तो दूसरी बात कही जाती है और जनता के सामने जाकर दूसरी बात ही रखी जाती है।

मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में कहा जाता है कि सारे के सारे साधन उन्हें प्राप्त हैं, सारा का सारा पानी मिलता है, सारे के सारे बीज मिलते हैं फिर आखिर हर साल उनमें टोटा ही क्यों नजर आता है। अगर हर साल उसमें नुकसान ही होता है तो हम फिर किस प्रकार से जनता के सामने सहकारिता के आधार पर खेती करने की बात को रख सकते हैं। मैं माननीय सदन के सदस्यों के सम्मुख एक निवेदन अवश्य करूंगा कि हम सभी को देखना चाहिये कि हमारे यह जो यंत्र-संचालित फार्म हैं उनकी रूपरेखा क्या है। यह फार्म हमारे बहुमुखी फार्म हैं जिन का ध्येय केवल अर्थ संचय करना ही नहीं है और केवल पैसा कमाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। वह हमारे कोई कामर्शियल फार्म नहीं हैं। अगर उनका हम नाम बदल दें तो हम आसानी से कह सकते हैं कि वह हमारे रिसर्च सेन्टर हैं। वहां हम देखते हैं कि नये नये प्रकार के बीज तैयार किये जाते हैं, नये नये जानवरों के ब्रीड तैयार किये जाते हैं। अगर आप देखें तो मालूम होगा कि वहां पर हम ने बहुत-सी गायों को रखा है, हमारा जो माधुरीकुंड फार्म है वहां पर उसमें हम ने बहुत सी गायों को इसलिये रखा है कि एबार्शन जो हो जाता है उसके कारण और इलाज के अन्वेषण के लिये रखा है। यह देखा जा रहा है कि किस तरह से वहां इसकी रोकथाम हो सकती है। हम ने वहां मुर्रा भैंस के ब्रीड को और जमुनापारी ब्रीड को भी रखा है ताकि कोई नस्ल खत्म न हो जाय। हम ४ सेर दूध देने वाली भैंस को भी रखते हैं और १६ सेर दूध देने वाली भैंस भी रखते हैं। अगर हमें केवल पैसा ही पैदा करना होता तो हम केवल १६ सेर वाली भैंसे ही रखते। तो इस से साबित है कि वह हमारी कोई व्यापारिक संस्थायें नहीं हैं और न वहां कोई नफे नुकसान का सवाल है। जिस तरह से

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

हम अपने यहां स्कूल, कालेज और अस्पताल खोलते हैं और उनमें कोई नफे की बात नहीं सोचते, हम अस्पताल खोलते हैं तो उससे कोई लाभ का सवाल नहीं करते, हम इन सब संस्थाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिये आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से जहां रिसर्च का काम होता है, नई-नई किस्में तैयार की जाती हैं, नये एक्सपेरीमेंट्स होते हैं वहां हम कभी भी कामर्शियल प्वाइंट आफ व्यू नहीं रख सकते, वह कोई बनिये की दूकान नहीं है कि जहां हम नफा या नुकसान उठा सकें।

एक बात मैं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि यह जो फार्म हैं उनमें भारी नुकसान है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह १ लाख ८५ हजार का नुकसान नहीं है बल्कि यह ८ लाख का खर्च है। बात यह है कि. . .

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, मेरा प्रश्न व्यवस्था का यह है कि माननीय मंत्री जी इतनी अधिक फास्ट स्पीड से बोल रहे हैं कि किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इस तरह से उनका बोलना ही निरर्थक हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—इस बात का श्री मोतीलाल जी स्वयं भी ध्यान रखें तब तो ठीक है। (हंसी)

श्री कालीचरण अग्रवाल—मुझे खेद है कि जो मास्टर साहब हर वक्त बच्चों को समझाते रहते हैं वह मेरी बात नहीं समझ पाते, उन्हें तो मुझसे भी अधिक तेजी से कही बात को समझना चाहिये था। उनको परेशानी हो सकती है, लेकिन यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—जरा धीरे-धीरे बोलिये।

श्री कालीचरण अग्रवाल—श्री टम्बरेश्वरप्रसाद जैसे लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, जो समझना ही नहीं चाहते उनको समझाने की जरूरत नहीं है। तो यह जो यंत्रीकरण द्वारा संचालित हमारे फार्म हैं उनका हिसाब यह है कि यह २,३८,३५९ रुपया तो टूट-फूट का है जो हमने पिछले साल दिया है और जो कैपिटल लगा है उसके ब्याज का हमने २,५८,२५९ रुपया दिया है और आडिट का १३,४६१ रुपया दिया है और यह ५,७२३ रुपया पेन्शन्स का है और इस के अलावा वहां के यातायात के साधनों को भी सम्हाला गया है जो सड़कें आदि बनी हैं उनमें हम ने ९,६५० रुपया लगाया है। इसके अलावा प्लाउमेन का वेतन दिया जाता है, सारे आदमियों को जिनको काम पर लगाया जाता है उनका भी खर्च होता है। अगर कोई काश्तकार अपनी खेती करता है तो तमाम तरह के उसके खर्च होते हैं, जानवर रखे जाते हैं उनका खर्च भी होता है। वहां जा कर देखा जाय तो तरह-तरह के खर्च नजर आते हैं। इस तरह से आप देखें कि ५-७ लाख का ही नुकसान होता है। (एक आवाज—एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स तो नहीं लगता।) वह इस पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी जो आय होगी उस पर लगेगा। मैंने कहा कि १ लाख ८१ हजार के ऊपर जो टैक्स दिया जाता है वह शामिल नहीं है। उस को देने का सवाल नहीं है। मैंने अभी निवेदन किया था कि यह तो प्रयोगशाला की और अन्वेषण की बात है, यह हमारे बहुधंधी काम वहां होते हैं। हम उन फार्म्स को नफे नुकसान के मापदंड से नहीं देख सकते।

इसके अलावा एक बात और कही गई। जो हमारे सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हैं उनके बारे में कहा गया कि इनमें कोई लाभ नहीं होता है। हमारी माननीया सदस्या श्रद्धादेवी ने कहा था कि अगर १०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से फायदा कर सकते हैं उनसे तो हम समझते हैं कि उनकी उपयोगिता हो सकती है। मैं निवेदन करूं कि हमारी २० यूनिट्स हैं जिनके अन्तर्गत ४४९ फार्म्स आते हैं। पिछले साल के लेखा-जोखा से जो निष्कर्ष निकलता

है वह यह है कि हमारे यहां की एकड़ ५० रुपये से १४५ रुपये तक का फायदा हुआ है। १०० रुपये प्रति एकड़ का एवरेज जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक सुपरवाइजर रहता है जिसको ७५ से १०० रुपया तक मिलता है, २५ रुपया डियरनेस, एक महीने की छुट्टी, हर शनिवार की छुट्टी, मेडीकल रिइम्बर्समेंट उसका और कुटुम्ब का, इस तरह से १५०-२०० रुपया उसके ऊपर खर्च करना पड़ता है। जो प्लाउमैन है उसको २७ रुपये से ३२ रुपये तक देते हैं, २० रुपये डीयरनेस एलाउन्स। उसके ऊपर भी करीब ५५-५६ रुपया माहवार खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा साढ़े १२ हजार रुपये जमीन की खरीद के ऊपर ६ परसेंट के हिसाब से सूद देना पड़ता है। ७५० रुपये सूद देते हैं। तो यह सारी की सारी सुविधाएं हों और इसके बाद ५० रुपये से १४५ रुपये तक का फायदा मिल जाय तो और क्या आप चाहते हैं?

एक निवेदन और करूं जो निर्माण-कार्य हैं उनका हमने विकेन्द्रीकरण किया है बजट के अन्दर। साढ़े ७ हजार तक के जितने निर्माण-कार्य हैं चाहे इर्रीगेशन प्राजेक्ट हों या कोई और हों, वे ग्राम पंचायत में हों। इस तरह से हमारा जो जन-जीवन है उसको उठाने में हम समर्थ होंगे। काटन और जूट के बारे में जो काम किया है वह सभी जानते हैं। लेकिन हमारे सामने एक परेशानी है इर्रीगेशन की। हम देखते हैं कि समन्वय नहीं हो पाता है कृषि विभाग और इर्रीगेशन विभाग में। इस वर्ष ऊपरी स्तर पर प्रयत्न किया गया। इर्रीगेशन एक्सटेंशन सर्विस इस साल कायम की है। गोरखपुर और झांसी में सेन्टर होंगे। अगर सफल हुए तो आगे बढ़ सकेंगे।

श्रीमन्, अगर हम केवल बुराइयां ही देखते रहें, उससे काम होने वाला नहीं है। मुझे याद आ जाती है उस जमाने की जब कि स्वतंत्रता संग्राम में देश लगा हुआ था। उस समय एक महिला आई थी और वह कहती थी कि इस देवताओं के देश में सारी चीजें खराब हैं। हमको क्षोभ हुआ। गांधी जी ने कहा कि वह ड्रेन इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी अगर २४ घंटे यह कहें कि मर रहे हैं, मर रहे हैं तो इस बात का वातावरण देश के अन्दर पैदा कर देंगे, अपने प्रदेश में पैदा कर देंगे जिसका आपको खमियाजा उठाना पड़ेगा उस समय जब आप इधर आकर सरकार बनायेंगे .....

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, इस अनुदान पर न बोलने का लोभ मैं संवरण न कर सका। ऐसा जरूर है कि समय बहुत कम है इसलिये बहुत सी ऐसी चीजों को कहने से महरूम रह जाऊंगा जिनको कह कर मैं खुद भी प्रसन्न होता और शायद मैं सदन की और कुछ अधिक सेवा करता .....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय उपमंत्री को २० मिनट मिले। अगर आप संतुष्ट हो जायं तो आप भी २० मिनट ले लीजियेगा।

श्री गेंदासिंह---आपने बड़ी कृपा की। अब शायद मैं कुछ और बातों को कह पाऊं। मैंने मंत्री जी के भाषण को कल बड़े ध्यान से सुना और समझता रहा कि वे कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे सचमुच हमको भी रोशनी मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे सुझाव चाहते हैं। उन्होंने बताया कि पालिसी में तो कोई गड़बड़ी नहीं है काम करने में जरूर कुछ गड़बड़ी है इसीलिये टार्गेट पूरा नहीं कर पाते। तो मैं सुझाव से अपने भाषण का श्रीगणेश करूंगा।

पहला सुझाव तो यह है कि अगर वे कृषि और सहकारी, इन दोनों संस्थाओं को छोड़ कर, कोई दूसरा काम मंत्रिमंडल में अपने हाथ में ले लें तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस प्रदेश और देश

[श्री गेंदासिंह]

का बहुत भला करेंगे। मैं उनकी बुद्धि पर कोई शुबहा नहीं करता। बुद्धि बहुत तेज और पैनी है उनकी ....

श्री उपाध्यक्ष—बड़ी उपजाऊ भी। (हंसी)

श्री गेंदासिंह—नहीं, उपजाऊ नहीं। श्रीमन्, आपने ख्वामख्वाह मेरे मुंह से, जो मैं कहना नहीं चाहता था, वह कहलवा दिया। जहां उनकी बुद्धि लग जाय वहां ऊसर हो जाता है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर खेती का मुहकमा उनकी तीव्र बुद्धि से बच जाय तो देश का कल्याण होगा और मैं समझता हूं कि शायद वह दूसरे काम के लिये अनुकूल भी है। मैं यह भी सुझाव दूंगा कि मंत्रिमंडल में पार्लियामेंट्री अफेयर का महकमा खोल दिया जाय जिसमें गोटें बैठाने का काम होता है। यह काम वह बखूबी अंजाम दे सकते हैं चाहे मैं भी उसका शिकार कभी-कभी हो जाऊंगा तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होगी। मैं खेती वाले काम में शिकार नहीं होना चाहता। यह हमारे प्रदेश और देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें ७० से ८० फीसदी लोग लगे हुए हैं तो इसमें ज्यादा खूबी के साथ काम चलना चाहिये। यों तो मेरी राय है कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल गैर-खेतिहर है, उसमें खेतिहर के स्वार्थ को देखने की क्षमता नहीं है, यह मैं कहने में संकोच नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से भुगतना पड़ रहा है। बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। जिस मुल्क में, जिसके वोट से आपकी बेहबूदी है, जिसकी बेहबूदी से यह मुल्क फलेगा और फूलेगा, पिछले वर्षों में जो कारगुजारी हुई है, जरा उसके आंकड़े देखे जायं, पिछले सालों में जो उनका सबसे कारगुजारी का जमाना रहा है पंचवर्षीय योजनाओं में, उसमें उन लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है जो खेती नहीं करते हैं और उसी के साथ खेती करने वालों को देखें। उन लोगों की आनुपातिक आमदनी कितनी बढ़ी है जो खेती करते हैं ? अगर खेती करने वालों की आमदनी उन लोगों के मुकाबिले में घटी है जो दूसरा उद्योग-धंधा चलाते हैं जिसे सरकार अर्थ तथा संख्या विभाग भी बतलाता है तो यह सोचना होगा कि मुल्क कहां जा रहा है। दुनिया सारी जानती है कि खेती के आंकड़ों को चेक करने के कोई साधन हमारे पास नहीं हैं। खेती के आंकड़ हमारे मुल्क क गलत हैं। अगर उन पर विश्वास करके चल तब भी आमदनी घटी है।

खेती के आंकड़ों के सम्बन्ध में जरा मैं कह दूं। उन्होंने कहा कि जूट, गन्ना और कपास के टार्गेट में भी पीछे रह गये। बढ़ कहां गये ? धान व तिलहन में बढ़ गये, सरसों में बढ़ गये ? अब मैं कहना चाहता हूं कि जिसमें नाप-जोख नहीं होती है उसमें बढ़ गये और जिसमें तोल होती है उसमें घट गये। जूट की तोल होती है मन व गांठों में उसमें घट गये। कपास की भी मन व गांठों में तोल होती है उसमें घट गये। गन्ने की भी मनों में तोल होती है उसमें भी घट गये। बढ़ गये हम अनाज में जिसके क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट के लिये हजार मर्तबा कहा जा चुका है कि जब यह एक्सपेरीमेंट हो तो गांव के सभापति को बुला लीजिये। लेकिन ऐसा जब नहीं किया गया तो किस बुनियाद पर वे कहते हैं कि धान या किसी अनाज की उपज बढ़ गयी ? लेखपाल इस क्राप कटिंग एक्सपेरीमेंट को करता है। उसके कागज का कितना इत्मीनान होना चाहिये यह सोचने की बात है। १०० में से ५० एक्सपेरीमेंट तो जमीन पर होते ही नहीं और उसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि हमारी उपज बढ़ी।

यह तो साधारण माकूला सा है जितनी सप्लाई बढ़ेगी उतना ही भाव नीचे गिरेगा। ५८–५९ के लिये कहा जाता है कि सबसे ऊंची उपज रही है और उसी ५८–५९ में सबसे ज्यादा कीमतें रही हैं पिछले १० वर्षों में। सही बात यह है कि उपज नहीं बढ़ी और फर्जी उपज बढ़ी हुई बतलायी जाती है। नीयत है खराब। किसकी नीयत खराब है यह सोचना होगा ? एग्रिकल्चरिस्ट की आमदनी बढ़ा कर दिखाओ क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेशन करना है और उस आमदनी को बचाओ जो किसान की गाढ़ी कमाई हुई सम्पत्ति को ले जाता है और यह सब स्टेटिस्टिक्स

पर निर्भर करता है। इस तरह के स्टेटिस्टिक्स बनाने का परिणाम यह होता है कि आज हिन्दुस्तान के एग्रिकल्चरिस्ट पर ही सारा बोझ पड़ा हुआ है, जमीन पर सारा बोझ पड़ा हुआ है क्योंकि वह कन्ज्यूमर भी है और कच्चे माल का प्रोड्यूसर भी है।

इस सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि उपेक्षित है आज भी अपने देश में। राजा साहब नालागढ़ की सदारत में एक कमेटी बैठी थी, भारत सरकार द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी ने उसकी रिपोर्ट को जरूर पढ़ा होगा। उसमें साफ लिखा है कि देश में ऊंचे से ऊंचे अफसर जो कृषि के मुहकमे का है वह भी दूसरे मुहकमों से कम तनख्वाह पाता है और यह समझा जाता है उसको कि यह गोरू बैल वाला है। उसका सम्मान कम होता है। यह इस रिपोर्ट की मन्शा मैं आप से कहता हूं। इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई उस घराने में भी जो घराना बड़े लोगों का है ? इस विभाग की वह प्रतिष्ठा नहीं है जो दूसरे मुहकमों की है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—कोई रूल्स ही नहीं बने हैं।

श्री गेंदासिंह—बहुत ठीक कहा माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कि अब तक कोई सर्विस रूल्स ही नहीं बने हैं। मैंने एक सवाल किया था कि सर्विस रूल्स बने हैं या नहीं। तो कृषि मंत्री जी ने कहा कि इसका जवाब मैं अल्पसूचित प्रश्न के तौर पर नहीं दूंगा। इसलिये नहीं देंगे कि उसकी चर्चा हो जायेगी आज चर्चा मैं करता हूं। हजारों आदमी जो उसमें लगे हुए हैं वे किन सर्विस रूल्स के मातहत गवर्न होते हैं ? और इतनी प्रखर बुद्धि वाले मंत्री के आने के बाद भी सर्विस रूल्स नहीं बने। आखिर उनके सर्विस रूल्स तो बनने ही चाहिये ताकि उन कर्मचारियों को संतोष तो हो जाय।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हरिजनों और पिछड़ी जातियों की चर्चा बहुत होती है इस सदन में। मैं चुप चाप बैठा सुनता रहता हूं। मेरा जन्म तो एक सवर्ण के घर में हुआ। मैं खासतौर से जयराम वर्मा जी और दूसरे लोगों से जो अपने आप को पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधि कहते हैं कहना चाहता हूं। अगर वे वाकई पिछड़ी जातियों और हरिजनों को सुविधा देने के मामले में सिन्सियर हैं तो यह कर दिया जाय कि ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट में एनिमल हस्बैन्डरी में, फिशरीज में और अगर हो सके तो कोआपरेटिव में भी सिवाय हरिजन और पिछड़ी जातियों के और किसी दूसरे की नियुक्ति न हो। छोड़ दीजिये ला डिपार्टमेंट को और दूसरे डिपार्टमेंट को, उनमें अगर उनका १८ पर सेंट नहीं पूरा कर सकते, कम्प्टीशन का झगड़ा है तो क्या हरिजन मछली और गाय भैंस पालना भी नहीं जानता है ? क्या पिछड़ी जाति वाले हल जोतना नहीं जानते, ढेला फोड़ना नहीं जानते, बीज डालना नहीं जानते ? तो अगर यह सरकार वाकई सिन्सियर है इन लोगों की मदद करने में तो इन डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल निश्चित कर दिया जाय केवल इन लोगों के लिये और उसका सख्ती से पालन किया जाय। इसमें स्टाकमैन, सुपरवाइजर अथवा अन्य पदाधिकारी जितने लोग हों सब हरिजन रखे जायं अथवा पिछड़ी जाति में से। बड़ा चालाक डिपार्टमेंट यह है और खासतौर से एनिमल हस्बैंडरी। उसमें एक बड़े अफसर हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई पूछ दे कि एनिमल हस्बैंडरी क्या जानेंगे इसलिये अपने नाम के पीछे उन्होंने चौधरी लगा दिया। मैं नहीं जानता कि चौधरी से क्या मतलब है, लेकिन उस मुहकमे में मैं जानता हूं कि सिफारिश चलती है। मैंने समझा कि चौधरी के माने कोई अहिर होगा या कोई जाट होगा। तो मैंने अहिर की सिफारिश गरीब समझकर कर दी। वह अहिर बेचारा मारा गया क्योंकि बाद को मुझको मालूम हुआ कि चौधरी साहब का मतलब अहिर जाति से नहीं है, कुछ धोखा है।

दो, एक बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं। पिछले साल मैं कानपुर कृषि कालेज में गया था। प्रदेश में चारों तरफ बहुत वृद्धि हो रही है, बहुत पैसे खर्च किये जा रहे हैं। मैं जानना

[श्री गेंदासिंह]

चाहता हूं कि कानपुर के कृषि कालेज पर कितना रुपया खर्च किया गया है और उसे कितना बढ़ाया गया है। कितना रुपया ५-१० वर्ष के भीतर उस पर खर्च किया गया क्योंकि सारा प्रदेश इसी के ऊपर निर्भर रहा है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हम रुद्रपुर में कालेज खोल रहे हैं, लेकिन मैं अनुपात से जानना चाहता हूं कि जो रुपया आपने दूसरी एजूकेशन पर खर्च किया है उस हिसाब से रुपया ऐग्रिकल्चरल एजूकेशन पर खर्च हुआ है। देवरिया में एक कृषि कालेज है और दीपनारायणमणि त्रिपाठी जी उसके सर्वेसर्वा हैं। लेकिन उस कालेज को हमेशा रोना पड़ता है। उसमें शिक्षक नहीं हैं और हड़ताल होती है। वहां के विद्यार्थी हमारी मदद मांगते हैं। उसकी क्या सहायता की गई है? हम हर जगह हड़ताल नहीं करा सकते हैं। श्रीमन्, बड़े गरीब लोगों का इलाका है। फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री खुलने का सवाल आया तो वह बनारस में खोली जायगी। मैंने मंत्री जी से कहा कि देवरिया को इसमें जोड़ लीजिये तो उन्होंने कहा कि नहीं जोड़ी जायगी। खैर, छोड़िये इन सब बातों को, लेकिन कम से कम पार्टीबाजी इस मामले में न चलाइये ताकि हम लोग भी जिन्दा रह सकें।

श्रीमन्, कोआपरेटिव ऐसा मुहकमा है .....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो बाद में ग्रांट आने वाली है।

श्री गेंदासिंह—तो श्रीमन्, न कुछ कहूं।

श्री उपाध्यक्ष—कह लीजिये।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, हमारा भविष्य इसी पर निर्भर करता है। मैंने जो सुझाव दिये हैं अगर उनको न माना जाय तो कृषि मंत्री जी कुछ तो बदलें हम लोगों को। उनका जो फारमूला है कि हमारी कलम से किसी विरोधी को कोई चीज मिल नहीं सकती है, यह ठीक नहीं है। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि यह चीज गलत है और डेमोक्रेसी में चल नहीं सकती है। परन्तु वह तो अपने हठ पर दृढ़ हैं। इसलिये मैं इस राय पर पहुंचा हूं कि कृपा करके कोआपरेटिव को बख्श दीजिये। इसमें बिना भेदभाव के सब लोगों को जाना होगा। अगर ऐसा होगा तो शायद खेती की तरक्की भी हो सकेगी। कोआपरेटिव को यदि खेती में इंट्रोड्यूस करना है तो दो बातों को ध्यान में रखना होगा।

एक बात तो यह कि जो विषमता, भेदभाव इस समय है, उसमें कोआपरेटिव नहीं चल सकता है। हमारे यहां हजार एकड़ और अधिक जमीन के मालिक भी हैं और ढाई एकड़ खेत वाले ६७ प्रतिशत हैं। अगर आप इनमें कोआपरेटिव चलायेंगे तो बधिया बैठ जायगी। इतनी विषमता में कोआपरेटिव संगठन नहीं चल सकता।

पहली बात यह है, मैं अशुभ बात नहीं निकालना चाहता, लेकिन उससे इसका जनाजा निकल जायगा अगर उन्होंने अपना विचार नहीं बदला। उन्होंने कोआपरेटिव का कितना हित किया है, बतलायें। मैंने उनसे कहा कि देवरिया बैंक को एक साल के लिये चलाने का हमें मौका दीजिये और जो लगान लगाना चाहें लगा लीजिये और अगर हम नाकामयाब हों तो निकाल दीजिये। लेकिन उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और तीन आदमियों को नामजद करके तार द्वारा आदेश भेजा और उनके हाथ में बैंक दे दिया है जो निहायत ही अनडिजायरेबिल लोग हैं। यह काम अकेले देवरिया में ही हुआ है, ऐसा नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि बहुत से जिले में ऐसी हरकत हुई है देश के किसानों के नाम पर मैं कहता हूं कि इन दोनों महकमों को बख्श दीजिये गौतम जी महाराज और दूसरे मुहकमों को लेकर चलाइये। जिससे प्रदेश का कल्याण हो।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर और खास तौर से उस अवसर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर जबकि श्री गेंदासिंह जी के अनेक सुझाव आये थे उस समय मुझे आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये, आपको कोटिशः धन्यवाद। माननीय गेंदासिंह जी आप जायं न, आप बैठिये। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह बजट ही कितना बड़ा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि ७ करोड़ के करीब आबादी है इस सूबे की और जो इतना महत्वशाली विषय है····

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरा वक्ता महोदय से यह पूछना चाहता था कि उन्होंने कभी हल भी देखा है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह एक कृषि का डिग्री कालेज चलाते हैं, हल देखा हो या न देखा हो।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—तो जिसके लिये चार करोड़ रुपया भी नहीं है और हिसाब अगर लगाया जाय तो कितना रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खेती पर खर्च इस बजट के मुताबिक पड़ेगा। इसलिए अगर सबसे न्यून है और सबसे कम पैसा है तो मेरी राय में इसका ही है। इस थोड़े से द्रव्य से उत्तर प्रदेश की पूरी खेती का प्रबन्ध और उसके उत्थान और कार्यकलाप के बारे में सभी विधियां पूरी हो जायं यह कैसे संभव है ? तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके जो सुझाव आ रहे हैं वह यह समझकर आ रहे हैं कि इसमें बड़ा धन है और यह परिपूर्ण मुहकमा है, यह मानकर आप बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह से सोचें कि आखिर तीन चार करोड़ रुपये में पूरी खेती का प्रबन्ध करना और जबकि गल्ले का अभाव हो और सारी परेशानियां हों, इस विभाग की सतर्कता के बाद भी जैसा आप चाहते हैं कैसे पूरा हो सकता है। इस पर आप सोचें। श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं आपके द्वारा सदस्यों से कि आपके जो सुझाव हों, उत्तम सुझाव आप दें, उनको हम मानेंगे, कौन ऐसा होगा जो उनको नहीं मानेगा। किन्तु जरा आप ध्यान दीजिये। मैं आपके द्वारा बताता हूं कि यह जो समय है, इस समय के बारे में लेख आया हुआ है श्रीमन्, कि कैसी दशा होगी, किस प्रकार के लोग होंगे और खेतीबाड़ी किस प्रकार की होगी। इसके बारे में दो एक श्लोक मैं सुना दूं 'शस्य हीना भवेत् भूमौ' यानी इस युग में प्रायः ऐसा होगा कि अन्न की कमी होगी, तालाबों और पोखरों में लोग खेती करेंगे, झूठ बहुत बोलेंगे, अर्थ के अनर्थ किये जायेंगे, वगैरह वगैरह, बहुत-सी चीजें आयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री नन्दराम के खड़े होने पर) आप कृपा करके बैठिये। मैं बार-बार बीच में बोलने की इजाजत नहीं दे सकता।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—तो ऐसी दशा में मैं यह बताता हूं कि जिस समय कलियुग आ रहा था तो उसी समय श्रीमन्, पृथ्वी भाग चली गाय का रूप बनाकर, पृथ्वी और धर्म दोनों भाग चले इस डर से कि यहां अब कैसे रहें, ऐसा जमाना आयेगा कि लोग धर्म को नहीं मानेंगे और जहां कि धर्म नहीं होगा वहां पर पृथ्वी बिना धर्म के टिकती नहीं, इसलिये वह दोनों भाग चले जैसा कि परीक्षित के इतिहास में आपको मालूम होगा। "धर्महीना भवेत् भूमौ"

श्री उपाध्यक्ष—समय कम है, माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—वही २० मिनट आप मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—जी नहीं, २० मिनट तो नहीं मिलेगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—ऐसी दशा में धर्म जब नहीं रहेगा····

श्री नन्दराम---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो धर्म से इनका मतलब क्या है? धर्म कहते किसे हैं, यह जरा वह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष---आप पहले तो यह जान लीजिये कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सदस्य का जानकारी प्राप्त करना अनियमित है। भविष्य में आप ऐसा मत कीजियेगा।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---मान्यवर, मैं बोल रहा था कि यह जो गल्ले वगैरह की कमी पड़ती है उसमें सरकार के इन्तजाम की तो मामूली सी बात रखनी चाहिये। सारी जो खराबी आई है वह केवल इस वास्ते कि धर्म विहीन जो देश होगा उसमें महंगी होगी, गल्ला नहीं होगा, परेशानियां और खराबी होगी।

अब मैं इस विभाग के विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग को मैंने बड़े निकट से देखा है। जो इस विभाग के साधन हैं उन साधनों को देखते हुए मैं आपको दृढ़तापूर्वक बता रहा हूं कि उसने बड़ी सफलता प्राप्त की है और खासकर के इस एक दो वर्ष के अन्दर। श्रीमन्, मंत्री जी के पास जाइये, इनकी इस बात की चेष्टा और इच्छा रहती है कि जो भी उनको अच्छा सुझाव मिले वे उसके मुताबिक करने के लिये तैयार रहते हैं। इसमें संदेह नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यह कृषि विभाग खासतौर से जब से ये मंत्री महोदय आये हैं, इन्होंने प्रांत के उन सभी कालेजेज को जो किसी से मान्यता प्राप्त हैं, उनको एक एक वैटरिनरी अध्यापक दिया है। अगर ये वैटरिनरी अध्यापक न देते तो वे प्राइवेट कालेज किसी तरह से उन वैटरिनरी अध्यापकों को प्राप्त नहीं कर सकते थे क्योंकि साधारणतः उनको इस तरह से नहीं मिल सकते थे। अच्छी योग्यता के अध्यापक गवर्नमेंट ले लेती है। इनकी यह बड़ी भारी कृपा है कि इन्होंने उन कालेजों को दे दिये। उन अध्यापकों के लिये हमारे बजट में प्रबन्ध किया हुआ है।

दूसरी बात यह है कि यह पशुपालन विभाग भी अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने कई कालेजों को अपनी तरफ से २०,२० हजार का अनुदान दिया है जिसके द्वारा वहां पर डरी का कार्य होता है। जहां तक मुझे मालूम है प्रतिवर्ष तीन को जरूरत है तो चार को दिया जाता है। जिनकी अर्जी ठीक समय से पहुंच जाती है तो उनको २० हजार रुपया मिल जाता है। इससे वे डेरी का काम सम्पादन कर रहे हैं। बड़हरगंज, उदयप्रताप, चन्द्रेश्वर और आजमगढ़ आदि कालेजों को २० हजार रुपये का अनुदान दिया गया है और वहां डेरी चालू है। अगर यह स्कीम इनकी न चलती तो किसी कालेज में किसी तरह से यह स्कीम नहीं चल सकती थी। इस वास्ते इस स्कीम को चलाया गया है। यह भी स्कीम है कि जो भी शिक्षा देते हैं चाहे कालेज हों या इंटरमीडियेट कालेज हों उनको कुछ न कुछ सहायता दे। इनके पास पैसा कम है। पहले इसमें इस तरह से सहायता देने का कोई रूप नहीं था, लेकिन इन मंत्री महोदय के जमाने में इस बात की चेष्टा की गई है कि जो गैर-सरकारी कालेज हैं उनको अपनी स्कीम चालू करने के लिये कुछ न कुछ हम सहायता दें। उसके लिये कुछ बजट में रखते हैं। जिन कालेजों के प्रार्थना-पत्र समय से आते हैं। डिप्टी डाइरेक्टर उसको लेता है और डाइरेक्टर महोदय अपनी संस्तुति करता है और बिना किसी संकोच के और बिना किसी सिफारिश के वह उसकी सहायता करते हैं। पिछले वर्ष भी इन्होंने ४ संस्थाओं को सहायता दी जिसके नाते उनका बड़ा कल्याण हुआ है।

जहां तक देवरिया कालेज का संबंध है, मैं जानता हूं कि चाहे वह दीपनारायणमणि जी त्रिपाठी हों या गेंदासिंह जी हों इसके लिये यहां पर लैक्चर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये अर्जी देना पड़ेगा और समय के अन्दर देना होगा। जो लोग पीछे रहते हैं उनको अवसर नहीं मिलता है। मुझे मालूम है कि देवरिया कालेज की कोई अर्जी विभाग को सहायता के लिये समय के अन्दर नहीं गई या बिलकुल ही नहीं गई। मैं इस बात के लिये जुर्माना देने के लिये तैयार हूं। पहले जरा मेहनत कीजिये और फिर देखिये क्या होता है। यहां पर

खड़े होकर विभाग की आलोचना करने से काम नहीं चलेगा । विभाग उदारता के साथ अनुदान देता है । इस विभाग का मुझे पूरा ज्ञान है । इस विभाग के संचालक या सेक्रेटरी जो भी हों वे सब योग्य हैं और चुन चुन कर इकट्ठा किये गये हैं । केवल प्रश्न इतना है कि इस तरफ हम ज्यादा सहयोग करें । मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है । इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

श्रीमन्, अब मैं सुझावों की तरफ आ रहा हूं । अन्न की पैदावार को बढ़ाने के लिये कृषि मंत्री महोदय जो विचार कर रहे हैं उसमें एक योजना हर जगह २५, २५ एकड़ के फार्म खोलने की भी है । मेरा इस संबंध में सुझाव है कि देवरिया, आजमगढ़ आदि में जहां खेती कम है और बंजर जमीन अधिक है वहां ये फार्म बंजर जमीन पर खोले जायं और अगर जरूरत हो तो २५ के बजाय ३०, ३५ या ४० एकड़ जमीन ले ली जाय । वहां बहुत बंजर पड़ा हुआ है, आजमगढ़ में तो बिना पैसे इतनी जमीन भी दिलाने की मैं चेष्टा करूंगा । अगर ऐसा किया जायगा तो लोगों में एक भाव पैदा होगा कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यह सब कर रहा है और वे उससे कुछ सीख सकेंगे । इससे अन्न तो शुरू के सालों में कुछ कम पैदा होगा, लेकिन बाद में अधिक हो सकता है और लोग ऊसर जमीन को उर्वर बनाना सीख सकेंगे । मैं समझता हूं कि अगर इस स्कीम को मान लिया जाय तो कल्याण होगा ।

श्रीमन्, मेरी माननीय सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है कि वे जो सुझाव दें वे उन्हें देश हित का ध्यान रख कर दें । मंत्री कोई रहें या न रहें, सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन श्रीमन्, हमें सोचना है कि हम कुछ उत्तरदायित्व ले कर यहां आये हैं और इसका एक लेखा-जोखा होगा कि आप अध्यक्ष थे और हम सब सदस्य थे और हमने यहां अपने कर्त्तव्य का पालन किया है या नहीं । यदि हम अपने सही कर्त्तव्य का पालन न करेंगे तो उसके दोषभागी होंगे । तो जब हम सुझाव दें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो यहां दर्शक, अखबार वाले या सुनने वाले हैं वे हमारी बातों का अनुकरण कर सकें और देश के निर्माण में सहयोग देने वाले वे सुझाव हों । क्योंकि किसी बात पर हमने कुछ कहा, आपने कुछ जवाब दिया, इस प्रकार की प्रथा से काम नहीं चलेगा । आप जितने सत्य-परामर्श देंगे वे स्वीकार किये जायेंगे, लेकिन अगर वही सुझाव विकृत रूप में होंगे तो कैसे मान्य हो सकते हैं ।

अंततः मैं कृषि विभाग के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि उनका काम पूरा न होने का कारण पैसे की कठिनाई है । "सब पर दया चिनर पर नाहीं ।" वित्त विभाग ने अधिक से अधिक कटौती इसी विभाग में की है और सीधे सादे हमारे मंत्री जी हैं, न लड़ने वाले न झगड़ने वाले । तो इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)––व्यवस्था का प्रश्न । बजट की बहस में, उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों को अधिक समय दिया जाता था और सरकारी पक्ष को कम, लेकिन यह देखा जा रहा है कि यहां विरोधी पक्ष को सरकारी पक्ष से कम समय मिल रहा है । इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । विरोधी दल इतना कम समय मिलने के कारण अपने विचार पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकता ।

श्री उपाध्यक्ष––मैंने यह व्यवस्था खुद दी थी कि बजट के समय में एक माननीय सदस्य विरोधी पक्ष से बोलेंगे और फिर एक दूसरे पक्ष से । इसके पहले, माननीय सदस्य को याद होगा कि जब एक माननीय सदस्य विरोधी पक्ष से बोलते थे तो ३ कांग्रेस की तरफ से । उसके बाद मेरी व्यवस्था के बाद एक इधर से बोलते हैं और एक उधर से । अब कोई खास प्वांट हो और उसके बारे में यदि कोई माननीय सदस्य मेरा ध्यान आकर्षित करेंगे तो मैं उसको देखूंगा, वैसे जो मेरी व्यवस्था है उसका पालन होना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ लहरी—श्रीमन्, यह प्वांट तो बहुत महत्वपूर्ण है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—मैं कई बार कह चुका हूं, जब मैं कोई व्यवस्था के प्रश्न पर अपनी रूलिंग देता हूं तो फिर उसके बाद कोई बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो कृषि अनुदान के संबंध में कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। अगर माननीय कृषि मंत्री महोदय उसे मान लें तो देश की बढ़ती हुई समस्या सुलझ सकती है। उधर से यह कहा जाता है कि विरोधी दल की तरफ से आलोचना ही होती है और कोई सुझाव नहीं दिया जाता है, मैं उसी सिलसिले में केवल यही कहना चाहता हूं कि जो सोता हो उसे जगाना आसान है, लेकिन जो जागता हो और सोने का बहाना करे, उसे जगाना बड़ा कठिन है।

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—श्रीमन्, मैं एक बात यह पूछना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुरू करते हुए यह कहा था कि "मैं आपके आदेश से इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं" तो आपका आदेश तो बोलने के लिये था न कि कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, यह ठीक है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—मैंने श्रीमन्, यह कहा है कि मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो माननीय नेगी जी ने जो प्रश्न किया, क्या वह व्यवस्था का विषय था ?

श्री उपाध्यक्ष—यह मनोरंजन का विषय था। (हंसी)

(इस समय २ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

श्री इन्दुभूषण गुप्त—मान्यवर, अभी तमाम देशों की कृषि प्रदर्शनी दिल्ली में हुई, मैं स्वयं कृषि में बहुत इन्ट्रेस्टेड हूं, इसलिये खासतौर से उसे देखने गया था। मैंने प्रत्येक स्टाल को अच्छी तरह से देखा था और उसी सिलसिले में मुझे उत्तर प्रदेश के स्टाल को भी देखने का अवसर मिला। मैंने वहां यह देखा कि उत्तर प्रदेश का जो स्टाल था उसके बनाने में हो सकता है कि बहुत ज्यादा रुपया खर्च हुआ हो, परन्तु उसमें कोई शिक्षा वाली बात नजर नहीं आयी। हम कृषकों को कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली कि जिससे यह प्रतीत होता कि हमारे प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कितनी उन्नति की है और प्रदेशों के मुकाबिले में जब कि हमने दूसरे प्रदेशों के स्टालों को देखा और उसमें यह देखा कि उनके प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में कितनी-कितनी प्रगति की है। दूसरे देशों के मुकाबिले में हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ था, कृषि के मामले में यह वहां देखने को मिलता था। उस प्रदर्शनी को देखने के बाद भी हमारे कृषि मंत्री जी की तरफ से या कृषि विभाग की तरफ से यह कहा जाये कि कोई कान्सट्रक्टिव सुझाव नहीं आते, उस ओर कोई कदम नहीं उठाये जाते, तो यह बड़े आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, इस संबंध में मैं एक गीता का श्लोक पढ़ना चाहता हूं :

"अन्नाद् भवति भूतानि, पर्जन्यादन्न सम्भवः
यज्ञाद्भ भवन्ति पर्जन्योत, यज्ञः कर्म समुद्भवम्।"

इसका अर्थ यह है कि अन्न का उत्पादन वर्षा से होता है। वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्म से होता है। इस स्पष्ट व्याख्या के बाद कि अन्न के उत्पादन के लिये सिंचाई की,

पानी की बहुत सख्त जरूरत है, मैंने एक सुझाव सरकार के सामने लिखित रखा कि जो आपके ट्यूबवेल्स हैं उनकी दरों को घटावें, यह जो भी सिंचाई के साधन हैं कोई पेइंग कंसर्न नहीं है, इसलिये आप कास्ट रेट पर कृषकों को पानी दें। साथ ही जहां कहीं ट्यूबवेल और नहर की व्यवस्था है उसको ग्राम सभापति के अन्डर कर दें या और जो लोकल बाडी है उनकी व्यवस्था में रख दें ताकि जो और एडीशनल एक्सपेंडीचर उनपर पड़ता है वह न पड़े और साथ ही साथ काश्तकारों को जो पानी लेने में घूस देना पड़ता है, जो वेटिंग लिस्ट में पड़े रहना पड़ता है वह कठिनाई न हो। लेकिन सरकार ने उस सुझाव को नहीं माना। कम्पोस्ट योजना के संबंध में सरकार से पूछा तो मालूम हुआ कि कम्पोस्ट योजना में प्रति वर्ष प्रदेश में कई लाख रुपये का घाटा होता है। उस सिलसिले में मैंने सुझाव दिया कि जब लोगों में उत्साह होगा कम्पोस्ट योजना के संबंध में उत्पादन तभी बढ़ सकेगा जब सस्ती और अच्छी खाद मिलेगी, इसलिये ट्रांस्पोर्ट एक्सपेंसेज कम किये जायें इस पर उसे रुपया, सवा रुपया से घटाकर केवल ११ आने प्रति मील किया गया वह खाद जो बहुमूल्य खाद है वह बहुत सस्ती हो सकती है और अच्छे ढंग से इस्तेमाल भी की जा सकती है किन्तु आजकल लोग महंगी के कारण सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप यह देखें कि आपके जो उद्देश्य हैं कि उत्पादन बढ़ावें उनमें आप कितने प्रयत्नशील हैं।

तीसरी चीज, उत्पादन बढ़ाने के लिये, सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया और लोगों ने भी बतलाया, उत्पादन नहीं बढ़ा, बल्कि कृषि का क्षेत्र बढ़ा। और अगर सचमुच कुछ उत्पादन बढ़ा तो १९५५ में जरूर बढ़ा, उसका दावा शायद सरकार कर सके। वह इसलिये कि उस वक्त उत्पादकों में जो कृषि के थे, उनमें इस बात का उत्साह था और भरोसा था कि जमीन उनकी रहेगी। आज जो उत्पादन घट रहा है, वह क्यों घट रहा है ? वह आपकी नीति के कारण सीलिंग और सहकारिता की नीति के कारण, कृषि के ऊपर हर प्रकार के टैक्स लगाने की गलत नीति के कारण। मान्यवर, आप देखें कि आप सबको हर तरह का संरक्षण देते हैं, लेकिन कृषक ही ऐसा है कि जितना आपका समाजवाद और साम्यवाद है वह केवल भूमि वालों के लिये है, बाकी सब के लिये आपने खुली छूट दे रखी है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दूसरे व्यक्तियों की तरह मुझे भी १५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--मुझे तो मालूम है कि हर एक को १० मिनट का समय दिया गया है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--अभी १५ मिनट ब्रह्मचारी जी बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता--१० मिनट का ही समय दिया जाता है, अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो दे दूंगा।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--कृपापूर्वक आप दे दें। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकार की नीति है वह ठीक नहीं एक उदाहरण की चीज बतलाऊं। पूर्वी जिलों में कितना दुर्भिक्ष प्रत्येक पिछले ५-७ वर्षों से पड़ रहा है, लेकिन इस वर्ष कृषक को यदि कुछ राहत मिली, प्रकृति ने उनका साथ दिया और खेती अच्छी हुई तो सरकार ने ७-७ वर्षों की वसूली एक साथ जबरदस्ती की, बहुओं के डोले घर में घुसने न देकर वसूली की।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--पुरानी याद आ रही होगी।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—पुराने जमींदार किसी की बहू-बेटी और मुर्दे को नहीं रोकते थे, बाद में वसूली किया करते थे, आपकी तरह नहीं करते थे.....

श्री महीलाल—और मुर्गा भी बनाते थे ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—आप तो मुर्गे से भी बदतर उसको कर रहे हैं । मान्यवर, मैं कह रहा था कि जबतक सरकार की माल और कृषि विभाग की नीति एक अनुरूप नहीं होती, इर्रीगेशन की सुविधायें अधिक से अधिक नहीं प्रदान की जायंगी, खाद की अधिक सुविधायें नहीं प्रदान की जायंगी तब तक आप खेती की उन्नति नहीं कर सकते । अभी हमारे एक पूर्व वक्ता ब्रह्मचारी जी ने कहा कि रुपये की जरूरत है, लेकिन रुपये से अन्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती, आप खेत में रुपया नहीं डालेंगे ।

श्रीमन्, मैंने एक सवाल किया था कि क्या प्रदेश में कोई भी ऐसा कृषि फार्म है जिसमें बचत हो रही है और अगर है तो सरकार बतावे । सरकार ने उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन विधान परिषद् में सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश के फार्मों में १४ लाख और कुछ हजार सालाना घाटा होता है । आप देखें कि वहां पर पानी की तरह रुपया बहाया जा रहा है । हम भी फार्म कर रहे हैं, लेकिन अब हमको भय है, इस बात पर हम बहुत संदिग्ध हैं कि हम १०० मील दूर जाकर फार्म की देख-भाल उस वक्त कर सकेंगे या नहीं जबकि ३० एकड़ का फार्म रह जायगा । आज हमारे पास बचत होती है, हम छोटी पूंजी लगाते हैं फिर भी बचत होती है, लेकिन सरकार के फार्मों में जहां टेक्नीशियन्स हैं, रुपया पानी की तरह से बहाया जाता है वहां पर बचत के स्थान पर घाटा होना बड़े शर्म की बात है । उससे क्या सरकार कोई जन कल्याण कर रही है, जनता के पैसे का सदुपयोग कर रही है, क्या ऐसी ही बातों के लिये हम सरकार के बजट को बढ़ावा दें कि जितना चाहो पानी की तरह से रुपया बहा लो ? मान्यवर, यह तो एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिससे आप अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते थे, लेकिन आपकी इस नीति के कारण और आपके दूसरे तरीकों के कारण आज उत्पादन घट रहा है । मान्यवर, आज कृषक को कोई उत्साह नहीं है, अगर वह उत्पादन बढ़ाता है तो खाद्यान्न के भाव घट जायंगे । आप देखें कि गन्ने का उत्पादन हम लोगों ने अधिक किया और इसी आदरणीय सदन में हमने एक प्रस्ताव पास किया कि गन्ने का भाव एक रुपया १२ आना कर दिया जाय, लेकिन सरकार उसको हर्गिज नहीं मानती और चीनी मिल मालिकों को हर प्रकार की सुविधायें देती है । आज सरकार पूंजीपतियों के लिये हम कृषकों को हर प्रकार से मारने के लिये तैयार है । तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी इस दुर्नीति को छोड़े और कृषकों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करे अगर वह इस इन्डस्ट्री को डेवलप करना चाहती है जिसमें कि प्रदेश के ८० प्रतिशत आदमी लगे हुये हैं ।

इसके साथ-साथ मैं एक आवश्यक बात और कह देना चाहता हूं कि आज फार्म लेबरर्स की बहुत बड़ी समस्या है । फार्म लेबरर्स अशिक्षित हैं । आपने जो पिछड़े वर्ग सम्मेलन और समाज कल्याण के नाम पर नारे लगाकर उनमें जो वर्ग विद्वेष पैदा किया है उसके कारण वह लोग जो जमीन में काम करने के आदी थे, जिनकी पुश्तेहनी उसमें काम करने की स्ट्रेन्थ थी, वे आज कुर्सियों की तरफ दौड़ रहे हैं क्योंकि इसमें मेहनत कम है और अगर आपने उन मेहनत-कश आदमियों को वहां से हटा दिया तो आपका यह उत्पादन कभी नहीं बढ़ सकता ।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रस्तुत अनुदान जिसका सीधा सम्बन्ध कृषि प्रधान प्रदेश की कृषि तथा इस अन्न संकट-कालीन समय में अन्न की वृद्धि से है उसकी अहमियत के सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । मैंने माननीय कृषि मंत्री जी की तकरीर को जो एक विशाल apology के रूप में थी बड़े गौर से सुना । मैं उनकी हिम्मत के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी सफाई के साथ इस बात को स्वीकार किया कि बावजूद इसके कि दो-दो बड़े रबी और खरीफ के अभियान गत वर्ष इस प्रदेश में हुए, बावजूद इसके कि इस प्रदेश में दो विभागों के अन्तर्गत सहकारिता और एनीमल हजबेंड्री के

Departmental Empires काम करते हैं, वह उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये हैं। माननीय मंत्री जी ने इसके दो कारण बताये। एक तो उन्होंने बताया कि कृषि हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर की industry है और दूसरा यह कि हमारे प्रदेश की कृषि ठीक तौर से वित्त पोषित नहीं है। लेकिन मुझे खेद है कि इस प्रकार का अहसास होने के बाद भी कृषि मंत्री जी को यह अवकाश नहीं मिला कि वह इन grants की अंतरिम बनावट को देखते और यह देखते कि उनकी चालू स्कीमें क्यों विफल होती रहती हैं, वे आगे चल कर कैसे सफल हो सकती हैं और उनके स्वरूप को वह कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि उनका महकमा किसानों की दकियानूसी scum (पपड़ी) को दूर नहीं कर पाया। मुझे खेद है कि उनके बजट की अन्तरिम बनावट भी दकियानूसी है, उसमें भी कोई तब्दीली मुझे दिखायी नहीं पड़ती है बावजूद इसके कि उनको उसके कारण असफलताएं हुई हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि माननीय मंत्री जी में उसको बदलने की काबलियत या एफीशियेंसी नहीं है लेकिन उनको इस कार्य के लिये अवकाश नहीं मिला, इतना तो कह ही सकता हूं।

जो बातें मैंने कहीं उनके सम्बन्ध में मैं थोड़े समय में अपने सुझाव भी रखना चाहता हूं। जो स्कीम्स सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से वित्तपोषित हैं उनके नतीजे और कार्यप्रणाली के बारे में माननीय मंत्री जी को ईवेल्यूयेशन कराना चाहिये और कृपा करके सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से जो धन मंत्री जी को मिलता है उसको टैक्स-पेयर के लहू से कमाये रुपये के समान ही खर्च करने की कृपा करें। उसको किसी तरह का दान न समझें।

दूसरा सुझाव यह है कि इन अनुदानों के तहत में जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, मिसाल के लिये आलू की उन्नति से सम्बन्धित, काटन, तरकारियां, गेंहू, जौ और पैडी आदि से सम्बन्धित आपकी बहुत सी स्कीम्स है, आप इन तमाम स्कीम्स में हर एक विषय से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न स्कीमों को इन्टीग्रेट करें। इनको इन्टीग्रेट करने से लाभ यह होगा कि काम शीघ्र होगा और कम पैसे में होगा, दौरे भत्ते आदि में जो रुपया खर्च होता है, वह कम होगा।

इसके अतिरिक्त आपकी मुख्तलिफ स्कीम्स फंक्शनल बेसिस पर काम करती हैं। हर जिले के अन्दर आपके departments के regular कर्मचारी मौजूद हैं जो आपकी कृषि के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान रखते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि हर स्कीम को आप फंक्शनल बेसिस पर क्यों चलाते हैं। फंक्शनल बेसिस पर उन्हीं स्कीम्स को चलाना चाहिये जिनमें हमें विशेष एफीशियेन्सी की आवश्यकता हो और जिसको कृषि विभाग के दूसरे कर्मचारियों द्वारा आप चला न सकते हों। अगर आप इन grants को देखें तो जानकारी होगी कि अधिकांश खर्चा फंक्शनल बेसिस पर हो रहा है। ऐसी, एक नहीं अनेक मिसालें आपके सामने रखी जा सकती हैं। मिसाल के लिये आपने चूहों को मारने की योजना के लिये इस बजट में २३,८०० रु० की धनराशि रखी है। मैं समझ नहीं सका कि इसके लिये अलग से कर्मचारियों के रखने की क्या आवश्यकता है जबकि प्लानिंग विभाग और आपके एग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं और वे इस काम को क्यों नहीं कर पायेंगे। आपने खेतों की फसल कूतने के लिये एक योजना के तहत में दो तरह के स्टाफ रखे हैं। एक खाद्य फसलों के लिये और दूसरा अखाद्य फसलों के लिये। इस पर आप १,४६,९६७ रु० खर्च कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आपका रेगुलर स्टाफ जो जिलों में हैं वह क्यों इस सम्बन्ध में कार्य करने में असमर्थ है। इसी प्रकार से प्लान्ट प्रोटेक्शन स्टाफ पर आप ४,८८,९०० रु० केवल उन कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर खर्च कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह कार्य प्रदेश के किसी खास हिस्से के लिये नहीं है बल्कि प्लान्ट प्रोटेक्शन और स्वायत्त सर्वे की आवश्यकता प्रदेश के हर भाग में है। तो बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी रकम सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों और उनके भत्ते पर खर्च करें, आप इससे अप्लायंस और आपैरेटस खरीद कर हर जिले के हेडक्वार्टर पर भेज दें और अपने रेगुलर स्टाफ को ताकीद करें कि उनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाय।

[श्री शिवराजसिंह यादव]

मेरी तुच्छ राय में बीज बांटने का काम तथा उसकी वसूलयाबी का काम किसी प्रकार से टेक्निकल नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं, बीज गोदाम का काम निकट भविष्य में आपको कोआपरेटिव सोसाइटीज को देना चाहिये । आपको केवल उन बीज गोदामों को अच्छा बीज सप्लाई करने का काम अपने हाथ में रखना चाहिये । इसके अलावा अच्छे औजार बांटने का काम भी कोआपरेटिव सोसाइटीज को देना चाहिये और केवल टेक्निकल काम के लिए अच्छे औजार कौन हैं, किस तरह से उनका अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, इसे अपने हाथ में रखना पड़ेगा ताकि किसानों को उचित सलाह समय-समय पर दी जा सके और उनके लिये अच्छे औजारों का इन्तजाम हो सके । इस प्रकार Department के function में हेर-फेर करने से आपके स्टाफ को आपकी विशेष योजनाओं को जो फंक्शनल बेसिस पर चल रही हैं उनको भली प्रकार से चलाने के लिये उनको समय मिल जायगा और अन्न उत्पादन के प्रोत्साहन में उनकी मदद ली जा सकेगी । इसके लिये अलग से अधिक अन्न उपजाओ के सम्बन्ध में योजना चलाने और अलग से कर्मचारियों के रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी । आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट तथा आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उस कार्य के लिये काफी है ।

श्रीमन्, इसी ग्रांट के अन्तर्गत एक बहुत बड़ी धनराशि ५ लाख ६० हजार रुपये की माननीय मंत्री जी खर्च कर रहे हैं उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर जो किसानों के खेतों में जा जाकर प्रदर्शन करेंगे । मैं आपसे अपील करूंगा कि इस योजना के लिये जिले में कर्मचारी पहले से मौजूद हैं जो इस काम को बखूबी अच्छी तरह से कर सकते हैं । इसके लिये अलग से एक मुहकमा कायम करके कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्ते पर इतना रुपया खर्च करने के बजाय सरकार कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने पर subsidy के रूप में खर्च करें । मुझे खुशी है कि कल आदरणीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया कि जो रिसर्च का काम डिपार्टमेंट द्वारा हो रहा है उसके extension का कार्य सन्तोषजनक नहीं है । लेकिन मुझे खेद है कि बाद में उन्होंने सन्तोष प्रकट किया कि रूरल यूनिवर्सिटी खुलने के बाद Extension का कार्य संतोषजनक हो जायगा । मैं याद दिलाऊं कि रूरल यूनिवर्सिटी जहां खुलने जा रही है उसके करीब में सरकारी फार्म्स हैं artificial villeges है । रिसर्च का एक्सपेंशन किसानों में न होकर वहीं पर होगा जिससे किसान लाभ न उठा सकेंगे । रिसर्च का काम ऐसा नहीं है जो कि सीमित समय के लिहाज से हो सके पर मैं चाहूंगा कि गेहूं रस्ट के ऊपर जो रिसर्च हो चुका है उसका extension मैदान में होना चाहिये तथा उसकी दवा आदि किसानों तक पहुंचाने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

श्रीमन्, बहुत सी विशेष योजनायें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन के लिये रखी गई हैं । मेरी सरकार से अपील है कि हमारे पश्चिमी प्रदेश में भी जो बहुत उपजाऊ है और जो धन वहां लगाया जाता है उससे प्रोडक्टिव नतीजे भी निकलते हैं । उधर के लिये भी वह योजनाएं चालू करें और जो योजनायें प्रोडक्टिव नहीं हैं उनको रोक दें या और उचित परिवर्त्तन करके धन देकर उन्हें चालू करें ।

श्री उग्रसेन—श्रीमान अधिष्ठाता जी, मैं माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि का बजट पेश करते हुये आदरणीय सदन के सम्मुख जो सम्बोधन किया उसे मैंने गौर से सुना । माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में कहा था कि चूंकि किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता इसीलिये खेती की उपज का क्षेत्रफल कम हो रहा है और कैश--क्राप--तम्बाकू और गन्ना आदि फसलों की तरफ ज्यादा तवज्जह किसान की है । मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा जानना चाहूंगा कि इस १२ साल की हुकूमत में जब से आप कृषि मंत्री रहे या और आप के दूसरे साथी कृषि मंत्री रहे उत्तर प्रदेश की कितने एकड़ जमीन को वह किसानों के हल के नीचे ला पाये हैं ? आप के आंकड़ों पर गौर किया जाय जिन के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि "Lies damn lies and statistics" अगर हम उन्हीं के आंकड़े देखें तो इस साहित्य में लिखा है कि सन् ५६–५७ में

४०२.६ लाख एकड़ जमीन पर खेती हुई और सन् ५८–५९ में वह ४०५.७ हो गई। पहली पंचवर्षीय योजना पर हमारा करोड़ों रुपया व्यय हुआ और दूसरी योजना में भी यू० पी० में ढाई सौ करोड़ से ज्यादा रुपया व्यय हुआ या कुछ अभी होने को है, फिर भी कृषि में जो यह प्रगति है वह इस बड़ी रकम को देखते हुये बहुत कम है।

मैं सुझाव दूंगा, हमारी सोशलिस्ट पार्टी के भी आंकड़े हैं, आज हमारे प्रदेश में ९० लाख एकड़ जमीन पर्ती है, हमारी पार्टी की मांग है कि आप इस ९० लाख एकड़ जमीन पर खेती की व्यवस्था कर दें, सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि इस जमीन को भूमिहीनों में बांटकर काम में लावें। अगर सरकार को यह स्वीकार हो तो ठीक है नहीं तो हमारे जो कृषि फार्म चल रहे हैं उन में भी कुछ और कृषि फार्म बना दिये जायं। इस सम्बन्ध में मैं एक लाइन इस किताब "First Five-Year Plan for Development of the National Economy of Peoples' Republic of China" से पढ़ना चाहता हूं। आप देखें कि चीन में जब ऐसी स्थिति आई, वहां की आबादी का सवाल आया, तो उन्होंने क्या सोचा "Since our population is large while the area under cultivation is still limited, we must take energetic measures to open up *arable* land in a planned way so that we can finally solve the problem of shortage in agricultural produce." उन्होंने कहा कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और खेती में जमीन बहुत कम है इसलिये हमें जो हमारी परती और बंजर भूमि है उसको एक निश्चित योजना बनाकर काम में लाना चाहिये ताकि हमारी उपज की जो कमी है वह हम शीघ्र ही पूरी कर सकें। एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि उपज बहुत बढ़ गई, उपज भी बढ़ती जाती है और आय भी बढ़ती जाती है लेकिन जब हम आंकड़े देखते हैं तो २ साल पहले अगर एक ग्रामीण की वार्षिक औसत आय २१२ थी तो अब यह घटकर १९५ रह गई। इस तरह से वह कम हो रही है।

इसी तरह से फसलों के बारे में जो आंकड़े दिये हैं वे मैं सन् ५६–५७ और ५८–५९ के बताता हूं। गेहूं पहले था ३,११५ हजार टन और फिर ३,०३६ हजार टन रह गया, इसी तरह से जौ १५९६ हजार टन से १३९५ हजार टन रह गया; मक्का ५६–५७ में ९८६ हजार टन, ५८–५९ में ६११ हजार टन; अरहर १०५५ हजार टन ५६–५७ में और ५८–५९ में ६५० हजार टन। तो खास-खास उपज कम हो गई। पता नहीं माननीय मंत्री जी किस आधार पर कह रहे हैं कि तरक्की हुई है, उपज बढ़ नहीं सकती क्योंकि फंडामेंटल डिफरेन्स हैं। सरकार जमीन का बंटवारा करेगी नहीं। सिंचाई के साधन को जुटाएगी नहीं। अभी तालाबों से और जो देहात में छोटे-छोटे कुएं बने हैं उनसे ५० पर सेन्ट से ज्यादा सिंचाई होती है। ट्यूबवेल से जो सिंचित एरिया है वह बहुत कम है। खेती करने के लिये जमीन नहीं है। साढ़े ६ करोड़ में उत्तर प्रदेश में डेढ़ करोड़ से ज्यादा भूमिहीन हैं। दूसरे की खेती पर हल चलाते हैं, फार्म वालों के हल चलाते हैं वे समझते हैं कि साहब का फार्म है, हमारा क्या है, हमें तो मजूरी मिलेगी। अगर उन किसानों को यह हो जाय कि हम अपनी भूमि पर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पैदावार बढ़ेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के ८० परसेंट किसानों को भूखा न मारो। यह बता दिया जाय कि जमीन का बटवारा होगा या सरकारीकरण होगा, जैसे रूस में है वैसे कलेक्टिव फार्मस् होंगे, कोआपरेटिव फार्मिंग के तरीके पर खेती होगी या आर० के० पाटिल कमीशन जो चीन में देखकर आया है और उसकी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक होगा, क्या होगा। तो जब तक जमीन सम्बन्धी कायदे और कानून सरकार ठीक न कर लें तब तक उपज बढ़ाने के लिये किसान को कोई प्रोत्साहन नहीं होगा।

[श्री उग्रसेन]

फार्मों में १४ लाख का घाटा है, जैसा कि अभी कहा गया। फसल प्रतियोगिता हुई। बड़े बड़े फार्म वाले साहब लोग आये, उन्हें इनाम दिया गया। लेकिन यह नहीं पूछा गया कि बाकी जमीन में कम उपज क्यों हुई। फसल प्रतियोगिता में इनाम मिले और बाकी जमीन में फसल कम हो जाय! तो इस फसल प्रतियोगिता से कोई फायदा नहीं हुआ। (लाल बत्ती जलने पर) सबको १५ मिनट मिला है, श्रीमन्, मुझे थोड़ा समय और दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--अभी तो आपके दो मिनट बाकी हैं, आप बोलिये।

श्री उग्रसेन--पौधों के संरक्षण के बारे में माननीय शिवराजसिंह ने ठीक कहा। एक सन्टर पर हमने १० हजार ८४४ रु० खर्च किया। श्रीमन्, चीन में क्राप इंश्योरेंस है। फसल का बीमा होता है। मैंने पढ़ा था कि एक किसान ने यह शिकायत की थी कम्युनिस्ट पार्टी में की इस साल मेरा बीज डिसइन्फैक्ट नहीं हुआ, दवा नहीं छोड़ी गई, इसलिये फसल खराब हुई। उस पर कार्यवाही हुई। यहां बलिया में, देवरिया में, आजमगढ़ में चूहे नुकसान करते हैं। चूहा मार योजना में २३ हजार रुपया है। कहा गया कि यह करो, वह करो। लेकिन फायदा कुछ नहीं। बाढ़ और कटाव से हमारी फसल बरबाद हो जाती है उसके बारे में क्या किया गया? तो, श्रीमन्, पौधों के संरक्षण की बात है।

बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि ब्लाक स्तर पर जो फार्म बनाये गये हैं ये तीन सालों के अन्दर ३,००० बना लिये जायं लेकिन २३३ ही बने हैं। रिपोर्ट में लिखा है "दिस इज वेरी डिसऐप्वाइंटिंग"।

मंत्री जी ने कहा कि बहुत खाद दी गई। प्लान में लिखा है कि इतनी खाद देना चाहिये। मगर मैं कहना चाहता हूं, आप जानते हैं कितनी खाद खेतों में पड़ी। हमारे सलेमपुर से कई वैगन खाद चोर बाजारी में गया, बोरोली और बम्बई में माल पकड़ा गया। यह फर्टिलाइजर स्कैंडल इस प्रदेश का बहुत बड़ा है। सेन्ट्रल सरकार को मालूम है कि ८०,००,००० रुपये की खाद खेतों में न पड़ कर इधर-उधर निकल गई। मैंने भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, दुकानें बन्द कर दीं। जांच की जा रही है कि शायद बेचारा सुपरवाइजर ही तो ब्लैक नहीं करता लेकिन जिन्होंने ब्लैक किया उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। किसानों से जबरदस्ती लिखाया जाता है कि हमारे खेत में खाद पड़ी। तो कैसे उपज बढ़ सकती है?

लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में हार्टिकल्चर विभाग के सम्बन्ध में लिखा है कि एक बगीचे का एक हिस्सा टेनिस और क्रिकेट क्लब बनाने के लिये दिया गया। कहा जाता है कि ६५० रु० की घास से आमदनी हर साल सरकार को होती थी फिर भी ३,६० रुपये प्रति वर्ष की आवर्तक हानि सरकार को उठानी पड़ी। यह हार्टिकल्चर विभाग का हाल है।

"महाराजा प्रियदर्शी अशोक" ने पटना में जानवरों के लिये अस्पताल खोला था। हमारे यहां क्या है? एक स्टाकमैन गांव-गांव में है, वह भी बेचारा चला जाता है। यह हमारे यहां जानवरों के लिये व्यवस्था है। मंत्री जी पशुओं की गणना करा रहे हैं, इस साल बजट में उसके लिये ५,००० रु० रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि लाखों, करोड़ों जानवरों की गणना ५,००० रुपये में नहीं हो सकती है, कागज की खाना पूरी भले ही हो जाय। पशुओं की गणना कौन करता है? लेखपाल। यह पशुपालन विभाग क्या करता है? मैं कहना चाहता हूं कि पशुओं के लिये दवाई, अस्पताल का इंतजाम होना चाहिये। जिस देश में पौधों और पशुओं के लिये अस्पताल नहीं हैं वह देश कृषक देश नहीं है और वहां कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है और हमें देवरिया में भूखों रहना पड़ेगा, आम की गुठली खानी पड़ेगी और महुए की पत्ती उबाल कर खानी पड़ेगी। माननीय खाद्य मंत्री कहते हैं कि कौन भूख मरता है। लोग शौक से मरते हैं॥

इन शब्दों के साथ मैं माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि पिछले दिनों में तमाम आपदाओं के बावजूद भी हमारी खेती में तरक्की हुई है। गेहूं कम हुआ है, लेकिन ज्वार, चना और चावल की फसल ज्यादा हुई है। तिलहन की फसल भी अधिक नहीं हुई।

असली बात यह है कि हमारे इधर के साथियों ने कुछ हमारी नीति की ओर इशारा किया है। सवाल यह है कि एक तरफ हजारों, सैकड़ों एकड़ जमीन लोग दबाये रहें और दूसरी तरफ खेत पर काम करने वालों के पास जमीन न हो, उनके पास साधन न हों। हमारे साथी जो यहां आ करके खेती के बारे में, गरीबों के बारे में बात करते हैं वे चाहते हैं कि हजारों एकड़ के चक उनके कब्जे में बने रहें। लेकिन सोचना यह है कि जो खेत पर काम करने वाला है वह कैसे अपना खून पसीना बहा करके पैदावार बढ़ाये जब कि वह जानता है कि उस जमीन पर उसका हक नहीं है, सारी पैदावार जमीन के मालिक के पास जायगी। इसलिये जमीन जल्दी से जल्दी किसान के हाथ में जानी चाहिये जो खेत पर अपनी मेहनत और मशक्कत करता है, उसको जमीन मिलना चाहिये तब उत्पादन बढ़ेगा, तब हम अन्न की पूर्ति कर सकेंगे। हमने जमींदारियां इसीलिये खत्म कीं। जमींदारों के जुल्म अत्याचार थे, जमींदारों के जो जुल्म व अत्याचार थे उनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। अगर वे ऐसा न करते तो प्रदेश की जनता जमींदारी प्रथा को खत्म करने का स्वागत न करती और यह हुकूमत उसे खत्म ही नहीं कर सकती थी अगर कोटि-कोटि जनता उसे न चाहती।

आज बुन्देलखंड, प्रदेश में अन्न की कमी को बहुत कुछ पूरा कर रहा है। जो गल्ले की वसूली अभी हुई है, उसी हमारे बुन्देलखंड ने सब से अधिक गल्ला देकर कमी पूरा की है। आज जब अन्न का संकट है तो सरकार को बुन्देलखंड की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये खास कर सिंचाई के साधनों की तरफ। सरकार ने कुछ किया है। सिंचाई के साधन दिये हैं और ट्रेक्टर वहां चलाये हैं और परिणामस्वरूप पैदावार वहां बढ़ी है, लेकिन जो कुछ हुआ है वह काफी नहीं है। वहां पर अभी काफी ध्यान देने की जरूरत है।

बीज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीज समय पर किसान के पास नहीं पहुंच पाता है। उसको जब जरूरत है गेहूं और मक्का के बीज की तब उसको दिया जाता है अरहर का बीज। लिहाजा किसान के पास जिस बीज की जरूरत है उसे वह समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि बुन्देलखंड में आज जमीन के लिये पानी की जरूरत है और अगर पानी की व्यवस्था वहां हो जाय तो प्रदेश में अन्न की कमी को बुन्देलखंड के केवल ४ जिले ही पूरा कर सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की पैदावार बढ़े तो बुन्देलखंड की तरफ आपका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिये।

बीज के बारे में यह भी मुझे निवेदन करना है कि पहले साहूकार भी बीज किसान को देता था; उसकी लूट से किसान को बचाने के लिये सरकार ने बीज गोदाम खोले, कोआपरेटिव की तरफ से भी बीज गोदाम खोले गये। लेकिन फर्क क्या है? किसान को राहत क्या मिली सवाई तो साहूकार भी लेता था। उस परेशानी को दूर करने के लिये सरकार ने यह व्यवस्था की। लेकिन मुझे देख कर आश्चर्य होता है कि आज भी उस किसान से ५६ १/४ प्रतिशत व्याज लिया जाता है। आपने १०० मन बीज दिया और ६ महीने के अन्दर १२५ मन ले लिया। फिर खरीफ पर आपने १२५ मन दिया और ६ महीने के अन्दर फिर आपने १३१ १/४ मन ले लिया।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

इस तरह से आपने १०० मन का १५६ मन साल भर में वसूल कर लिया। दूसरी तरफ आप व्यापारियों को कर्ज देते हैं, तकावी देते हैं। उसमें आप ५,६ प्रतिशत व्याज लेते हैं। लिहाजा जब यह देश कृषि प्रधान है और आप किसान को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उसको आप हरा भरा देखना चाहते हैं तो आपको इस लूट को बन्द करना होगा।

इसके अलावा, लेते वक्त दूसरी तौल और देते वक्त दूसरी तौल होती है। इसे भी अधिकारियों को देखना होगा। इसके प्रमाण मौजूद हैं और मैं उनको यहां दोहराना नहीं चाहता।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीज दिया जाता है वह असली किसान को नहीं मिल पाता है दूसरों को ३५०–४०० मन दिया जाता है जो बीज लेकर बाजार में बेचते हैं, उन्हें महीने में ३–३, ४–४ बार दिया जाता है। यह बड़ी बुरी प्रथा है। इससे हमारा असली किसान बीज पाने से महरूम रह जाता है और जिन लोगों को दिया जाता है उनसे जब वसूल करने की बात होती है तो वह वसूल नहीं किया जाता। गत वर्ष फरवरी में इसी सदन में उस बीज की वसूली की चर्चा उठी थी। साल भर के प्रयत्न के बावजूद भी वह रुपया वसूल नहीं हो सका। तो जिन पर बीज के ८–८ हजार रुपये बाकी हैं उनसे तो वसूल नहीं किया जाता और दूसरी तरफ अगर किसी पर ५० रुपये बाकी हैं तो उसके साथ बुरा व्यवहार होता है। श्रीमन्, यह मेरे पास पत्र आया है, एक राजनीतिक पीड़ित हैं, उनको ५० रुपये तकावी के देने थे। उनका कहना है कि शिवरात्रि के दिन उनको पकड़ रखा गया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा बेइज्जती की गई और गालियां दी गईं। दूसरी तरफ जिनको ८–८ हजार रुपया देना है वह बुलाने पर आये तक भी नहीं।

इसके अलावा, श्रीमन्, हमारे यहां झांसी में एक कृषि अधिकारी थे। उनके खिलाफ बड़ी संगीन शिकायतें थीं। मैंने माननीय मंत्री जी के पास उनके खिलाफ शिकायत की। उसकी जांच हुई। उस जांच के परिणामस्वरूप वे मुअत्तल किये गये। और मुअत्तली के बाद सन् ५९ में मुझे पता नहीं मंत्री जी का कृषि विभाग बदलने से या क्या बात थी वह बहाल कर दिये गये। यदि मेरी शिकायत गलत थी तो मुझे भी सूचना मिलनी चाहिए थी, लेकिन वह फिर बहाल कर दिये गये।

श्री अधिष्ठाता—समय समाप्त हो गया।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—(जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। कृषि के अनुदान पर तो कटौती का प्रस्ताव न आ कर अगर विरोधी पक्ष की ओर से इस प्रकार का सुझाव आता कि इसमें इतना रुपया और बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा बेहतर होता। हमारे प्रदेश में ७८ फीसदी आदमी अपना जीवन निर्वाह कृषि पर करते हैं और उनकी जो हालत है वह सब को अच्छी तरह से विदित है। बावजूद इसके कि सरकार की नीति हमेशा से यह रही है कि कृषकों की हालत बेहतर की जाय, उनको हर तरह से बढ़ावा दिया जाय, अभी तक उनकी हालत में कोई बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं कि कृषि में जो सहायता और सहयोग डिपार्टमेंट की ओर से दिया गया है उसकी वजह से किसी प्रकार की उन्नति हुई ही नहीं लेकिन यह सही है कि जितनी उन्नति होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई।

एक चीज देखकर मुझे जरूर दुःख हुआ क्योंकि मेरा कृषि से भी सम्बन्ध है और व्यवसाय से भी कि हमारी स्टेट के जितने भी मेकेनाइज्ड फार्म्स चल रहे हैं उन सब पर घाटा हो रहा है। एक ओर तो हमारा लक्ष्य यह है कि ४० एकड़ भूमि ५ आदमियों के परिवार को दी जाय और उससे वह ३,६०० रुपये साल में कमायें और दूसरी ओर हमारे इतने बड़े-बड़े कृषि फार्म होते हुए भी उनसे कोई लाभ न हो, लाभ न हो तो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम घाटा तो न हो।

जब इन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तो जवाब यह मिलता है कि हमारे कृषि फार्मों पर अनुसंधान वगैरह बहुत से हो रहे हैं इस वजह से वे घाटे पर चल रहे हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम सूबे में एक माडेल फार्म ४०–५० एकड़ का जरूर ऐसा बनावें जहां पर रेक्वीजिट एमाउन्ट में सब चीजें खर्च की जायं और फिर दिखायें कि इतना फायदा हो सकता है ताकि लोग उससे सबक ले सकें और कृषि में उन्नति कर सकें।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह भी है कि जो गवर्नमेंट के डेमान्स्ट्रेशन फार्म्स हैं उनकी जगह पर प्रदेश में अब काफी ब्लाक्स चल रहे हैं, उन फार्म्स में जिन कृषकों की पैदावार बहुत अच्छी हो उन लोगों के फार्म्स पर अगर डेमान्स्ट्रेशन दिये जायं तो बहुत अच्छा हो। मान्यवर, उझानी में एक मोडल कृषि फार्म बनाया गया है और बदायूं में दो चीजों की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, आलू की और मूंगफली की। आलू से मेरा भी सम्बन्ध है और मैं बता सकता हूं कि जितनी पैदावार उझानी फार्म में होती है उससे ज्यादा मामूली किसान के खेत में होती है। श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में फार्म्स हों और कम से कम सरकारी फार्म हों तो उसका रिकार्ड पैदावार होनी चाहिये जिससे लोग सबक ले सकें और अपनी खेती की पैदावार को बढ़ा सकें।

श्रीमन्, एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कम्पोस्ट मैन्योर पर, और खेती के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। लेकिन इतने प्रचार के बावजूद इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि इसमें प्रगति न होने का कारण यह है कि लोगों को अपनी जमीन का लालच होता है और वह अपनी जमीन में ट्रेंच बनाने के लिये खाई खोद कर जमीन बेकार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ग्राम सभाओं में खाई बनाने का अलग से प्रबन्ध रहे और मामूली किराया लेकर लोगों को दिया जाय और लोगों को कम्पोस्ट मैन्योर बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाय। केवल प्रचार से इसका बनाना सम्भव नहीं है और जब तक यह नहीं बनेगा तब तक दूसरे अन्य फर्टिलाइजर्स से हमारी खेती का काम चलने वाला नहीं है।

तकावी के सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कम से कम मेरे जिले में लोगों को एक तो तकावी मिलती ही नहीं है और मिलती भी है तो इतनी कम कि जिससे काम नहीं चल सकता है। सिंचाई के कुओं के लिये कम से कम एक हजार रुपये की आवश्यकता होती है। लेकिन लोगों के दरख्वास्त देने पर और भाग-दौड़ करने पर ५००, ६०० रुपये दिये जाते हैं। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। चाहे कम आदमियों को तकावी दी जाय लेकिन इतनी दी जाय जिससे उनका काम चल जाय बजाय इसके कि ज्यादा आदमियों को दी जाय और इतनी कम दी जाय कि उनका काम पूरा न हो सके। यह ठीक नहीं है। काटेज इंडस्ट्री के लिये (मैं इंडस्ट्री का कोई विरोधी नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि यह खूब पनपें) कोई भी दरख्वास्त दे दे और जरा भी तिकड़मबाज हो तो उसको हजार, दो हजार रुपया ३ प्रतिशत सूद पर आसानी से मिल जाता है। लेकिन कुएं के लिये जो तकावी दी जाती है उसका सूद भी ज्यादा है और जैनुइन नीड होने पर भी पूरी तकावी नहीं मिलती है। दूसरी असुविधा इसमें यह होती है कि किसान अपनी दरख्वास्त तहसील या ब्लाक में दे आता है और उसको कोई रसीद नहीं दी जाती। वह ६–८–१० महीने तक दफ्तरों के चक्कर लगाता है। अब अन्दाजा लगाइये कि वह दिन भर की मजदूरी खराब करे और किराया खर्च करके पता लगाये। फिर भी उससे कहा जाता है कि तुम्हारी दरख्वास्त ब्लाक में गई है, कोई कहता है तहसील में गई है, कोई कहता है प्लानिंग आफिस में गई है। इस तरह से उसे चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक समय मुकर्रर कर दिया जाय कि

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

दरख्वास्त देने के इतने दिनों बाद उसको तकावी मिल जायगी और अगर मंजूर नहीं होगी तो उसकी सूचना मिल जायगी ताकि वह दूसरा प्रबन्ध कर सके।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाऊंगा जो उनके विभाग से सम्बन्धित नहीं है लेकिन खेती के लिये आवश्यक है। हमारे यहां कुएं बनाये गये हैं लेकिन गूलें नहीं बनाई गईं .....

श्री अधिष्ठाता---यह तो सिंचाई विभाग के अनुदान के समय बोलें। इससे यह सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---श्रीमन्, थोड़ा सा सम्बन्ध है क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं हो सकती।

श्री अधिष्ठाता---सिंचाई के जितने साधन हैं वह सब आ जायेंगे।

श्री श्रीकृष्ण गोयल---नहीं। श्रीमन्, मैं जनरल बात कह रहा हूं। मंत्री जी देखें कि हमारे यहां ट्यूबवेल बने हैं और गूलें नहीं बनी हैं। पहले गूलें बननी चाहिये, इसके बाद ट्यूबवेल बनने चाहिये। लेकिन गूलों के न बनने से कर्मचारी लोग जो .....

श्री अधिष्ठाता---आपके भाषण का समय समाप्त हो गया। इसका सम्बन्ध बिलकुल सिंचाई से था।

श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस अनुदान पर विचार हो रहा है उस पर मैं अपने विचार देने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह एक बहुत ही अहम सवाल है कि देश की गरीबी कैसे दूर की जाय। इसमें खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी सरकार हर साल पैसा खर्च करती है लेकिन यह देखा जाय कि उससे वह कितना पैदावार बढ़ाने में कामयाब होती है और कितना नाजायज खर्चा होता है। मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर जुताई ठीक से हो, खाद हो, पानी हो, श्रम हो तो कोई वजह नहीं है कि खेत की पैदावार न बढ़ जाय। लेकिन आप देखेंगे कि जुताई के लिये कुछ सामाजिक अड़चन भी है, जैसे हमारे यहां फागुन खत्म हो जाने के बाद किसान खेतों में जल्दी हल नांधने के लिये राजी नहीं होता है। लेकिन अत्यन्त आवश्यकीय है क्योंकि गर्मियों में खेत को जोतने से उसमें प्राकृतिक तरीके से खाद पैदा हो जाती है और हमारे यहां रूढ़िवादी गर्मी में खेत जोतने से मना करते हैं कि फागुन के बाद खेत में हल नहीं चलेगा। मेरा यह सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा गर्मी की जुताई करने के लिये लोगों को उत्साहित किया जाय।

दूसरी बात, फसलों का रोटेशन, हेरफेर होना चाहिये। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी फसलें हैं; जैसे जिस खेत में मटर बोते हैं दूसरे साल उसमें अगर गेहूं बोयें तो उसमें दाल वाली फसल बोने से उसकी पैदावार बढ़ती है। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा किसानों में इस तरह की मनोभावना पैदा की जाय ताकि वह अपने खेत में इस तरह की कार्यवाही करें।

दूसरी बात खाद के सम्बन्ध में है। हमारे गांवों में अधिकतर गोबर को गोहरा पाथकर, या कंडा पाथकर जलाने के काम में ले आते हैं। कुछ गोबर जो बरसात के दिनों में होता है उसको एक जगह इकट्ठा करते जाते हैं। उसको ठीक से गड्ढे में रख करके सड़ाते नहीं हैं कि उसकी खाद बन जाय क्योंकि सड़ी हुई एक गाड़ी खाद जो है वह वैसे कच्चे गोबर की पांच छः गाड़ी के बराबर होती है। तो इस तरफ विशेष ध्यान उनका दिलाना चाहिये ताकि उसकी अच्छी तरह से खाद बनायी जा सके।

हमारे यहां गोबर का तो कुछ सदुपयोग हो जाता है लेकिन गोमूत्र का, जिसमें नाइट्रोजन का हिस्सा ज्यादा होता है और जो फसल के लिये बहुत ही आवश्यकीय है, बिलकुल उपयोग

नहीं होता है। उसको काम में नहीं लाया जाता है। तो उसके लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये कि गोबर के साथ मूत्र जो है पशुओं का उसको भी एकत्रित करके खाद के काम में लाया जाय।

यह पुस्तिका जो बटी है इसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहां किसान सीड स्टोरों से बीज कम ले गये। इसके लिये उनका कहना है कि देर से बारिश हुई, या किसान के पास इस साल ज्यादा बोने का सामान, बीज, था इसलिये उसने बीज नहीं लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका कारण यह है कि यह जो सहकारी बीज भंडार कायम हुए हैं यह सहकारिता के पौधे में गरम पानी डाल रहे हैं ताकि वह सूख जाय, सहकारिता पनपे न। जब वह बीज देते हैं उस वक्त तो एक तरफ बोरा रखकर के दूसरी तरफ बोरा नहीं रखते हैं और जब वह लौटाने आते हैं तो उसकी सुखौनी भी काटते हैं और बोरा भी उधर रख लेते हैं। इस तरह से उसे बहुत ज्यादा घाटा देना पड़ता है। और जब उसकी वसूली होती है तो जो सुपरवाइजर होते हैं सीड स्टोर में वह धान जमा करते हैं लेकिन काश्तकारों से रुपया वसूल करते हैं जो महंगा पड़ता है और बाद को जो सरकार की तरफ से रेट आते हैं उसके अनुसार रुपया जमा करते हैं। इसलिये काश्तकार उससे भागता जा रहा है। ये सारी चीजें हैं लेकिन अगर किसान सजग नहीं है तो खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती है। अगर किसान सजग है और इन चीजों का उपयोग ठीक से करता है तो निःसंदेह पैदावार बढ़ सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह जो अमोनियम सल्फेट है, यह आज गांव में अधिक से अधिक पहुंच गया है और जिस काश्तकार के पास दो मंडा भी खेत है उसको २० सेर या एक मन जबरदस्ती दिया जाता है। उसकी खुशी पर उसको नहीं दिया जाता है जब कि सरकार यह खुद कहती है कि सिंचाई के साधन मुकम्मल नहीं है तो सिंचाई के साधन मुकम्मल न होने की वजह से जो सल्फेट खाद खेतों में छोड़ा जाता है उससे खेत की फसल सूखती चली जाती है। किसान की मरजी पर उसको खाद देना चाहिये मेरी ऐसी राय है।

आज आप जानते हैं कि बैलों की कीमत बहुत बढ़ गई है। एक हजार या डेढ़ हजार में एक जोड़ी बैल मिलते हैं। सरकार को इतना प्रयत्न करना चाहिये कि सांड़ छोड़े जायं। सरकार बहुत कम सांड़ छोड़ती है। आप जानते हैं कि गांव में गाय खेती करने वालों के पास सब के होती है। अगर इस तरफ सरकार ध्यान दें, कोई एरिया बाकी न बचे जहां पर सांड़ न हों, तो उससे उनके बैल मिल सकते हैं, पैदावार हो सकती है और पैदावार भी बढ़ सकती है। सरकार की तरफ से जो मुहकमा तरक्की के लिये कायम किया गया है उनका एक काम होता है कि चूने से बाग के पेड़ों की जड़ रंग दी जाती है। कोई मुस्तकिल प्रोग्राम नहीं होता है। हमारा कहना यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिये आप किसी एक गांव को ले लें। वहां के एक काश्तकार को आप लें ले और उसके खेत में अच्छा कम्पोस्ट बनाकर दें, उसको अच्छा बीज दें। अगर उस काश्तकार की पैदावार बढ़ गई तो गांव के जितने काश्तकार हैं वे बगैर किसी के कहे हुए ही उस तरीके का प्रयोग करने लगेंगे। कोई आदमी नहीं चाहता है कि उसकी हालत खराब रहे, वह गरीब रहे, दूसरों का कर्जदार बना रहे और उसके तन पर कपड़ा न रहे। कोई नहीं चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी होती है।

एक बात मैं और कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो सिंचाई के साधन हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने साधन गांव में उपलब्ध हैं, जैसे नहर है या ट्यूबवेल है, उन सबमें छोटे किसान के लिये कुंआ अधिक उपयोगी है। अगर किसी काश्तकार के पास कुआं है तो वह बहुधंधी खेती कर सकता है, व्यापारिक खेती कर सकता है। वह अपनी हालत सुधार सकता है। मुझे अपन खेती करने का अनुभव है कि साग ब्जी की खेती की जाय तो अन्न ज्यादा से ज्यादा घर में बच सकता है और आदमी आराम से रह सकता है।

[श्री दुर्योधन]

मैं गन्ने के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिये मुहकमे खोले गये हैं। उसकी तरफ से एलान होना चाहिये कि जो काश्तकार ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करेगा उसका गन्ना जल्दी से गिराने का प्रबन्ध किया जायगा। ऐसा मेरा विश्वास है कि ऐसा करने से गन्ने की पैदावार बढ़ सकती है। गवर्नमेंट फार्मों में हर साल घाटा होता चला जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस घाटे को रोकने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है। पशुपालन और खेती का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। सरकार ने जितने मुहकमे अभी तक कायम किये हैं सबमें अभी तक लोग लापरवाही से काम करते हैं। आप जानते हैं कि हर गांव में पोखर है और अगर किसानों की मनोवृत्ति बदल दी जाय तो वहां पर मछलियां पाल कर समस्या को हल किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि इससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सरकार की तरफ से जो अनुदान दिये जाते हैं उनको किसान तक पहुंचने में और सरलता बरती जानी चाहिये और किसानों को वे सहूलियत से मिलने चाहिये। जो अधिकारी इसके लिये नियुक्त किये गये हैं, वे अगर ऐसा न कर सकें तो गद्दार समझे जायेंगे, उनका नाम गद्दारों में लिखा जायगा और इसलिये काश्तकारों को सरकारी अनुदान सरलता से दिये जायं, यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय देने का कष्ट किया। यह कृषि और सहकारिता का अनुदान कल से चल रहा है और उस पक्ष के लोग इसका समर्थन करते हैं और इस पक्ष के लोग इस पर कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं लेकिन दोनों ओर के भाषणों को अगर देखा जाय तो उनमें एक ही बात हम लोगों को नजर आती है। केवल अन्त में उधर के लोग कह देते हैं कि मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और इधर के लोग कटौती का समर्थन करने की बात कह देते हैं। श्रीमन्, हमारे वंश में करीब-करीब सारे लोग कृषि करने वाले हैं और १९४७ से सहकारिता के आन्दोलन में हमने भाग लिया। मुझे दुख है कि इस समय हमारे सहकारिता मंत्री जी उठ कर चले गये।

श्री अधिष्ठाता—सहकारिता का बजट तो इस समय है नहीं।

श्री मोहनलाल वर्मा—आपकी इजाजत से अन्त में उस संबंध में मैं कुछ कहूंगा, बजट पर नहीं बोलूंगा। तो हमारे प्रदेश के ८० प्रति शत लोग खेती करते हैं और इसलिये यहां पर ८० प्रतिशत खेती करने वालों के प्रतिनिधि बैठे हैं। खेती के लिये अच्छा खेत होना चाहिये, अच्छा बीज होना चाहिये, पानी का साधन और अच्छे जानवर होने चाहिये। अगर यह चार चीजें हैं तो मनुष्य खेती कर सकता है। लेकिन वास्तव में आज खेती की हालत इतनी गिरी हुई है कि प्रति वर्ष हमें लाखों टन अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है और पूर्वी क्षेत्रों में तो हम देखते हैं कि गुठली खायी जाती है। लेकिन उस के बाद भी हम आंकड़ों से सिद्ध कर देते हैं कि यहां अन्न की पैदावार बढ़ती जाती है। किसी किसान को जब बीज की जरूरत होती है तो उसका एक कायदा है कि वह ज्वाइंट रेस्पांसेबिलिटी लेकर ३ आदमियों से फार्म भराये और तब उसे गल्ला दिया जाय। हमने देखा है और हमने एतराज भी उसके लिये किया है। उस तरीके से गल्ला काश्तकार को नहीं मिल पाता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वे गल्ला अपने नाम से ज्यादा निकलवा लेते हैं और उसी को ड्योढ़े पर छोटे काश्तकारों के हाथ उठाते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि बीज गोदामों से वही लोग फायदा उठाते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं।

इसके अलावा मैं तकावी के बारे में भी कहना चाहता हूं। हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से तकावी मिलती है। उस गरीब किसान को जिसे अपने बैलों के लिये, सिंचाई के, तथा अपनी दूसरी मुख्य मुख्य जरूरतों के लिये तकावी की जरूरत होती है उनको वह नहीं मिलती है। इसके अलावा एक मेरा और तजुर्बा है इस संबंध में और वह यह है कि जब

फाइनेंशियल इयर समाप्त होने को होता है, यानी ३१ मार्च से कुछ दिन ही पूर्व, तब कहा जाता है कि इतना रुपया है इसे इस तारीख तक बांट दो। इसका परिणाम यह होता है कि वह रुपया जिनको जरूरत होती है उनको नहीं मिल पाता, वे बेचारे नियमों की खानापूरी ही नहीं कर पाते हैं। पिछले वर्ष हरदोई में ३०हजार रुपया गन्ना विभाग को तकावी बांटने के लिये मिला और यह कहा गया कि इसको ४ दिन में बांट दो। दरख्वास्तें मंगाई गयीं तो पचासों दरख्वास्तें आ गयीं। अब जो गरीब थे उनको तस्दीक कराने के लिये न तो पटवारी मिलते हैं, न तहसीलदार मिलते हैं, न और कोई अधिकारी मिलता है, किन्तु जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनको पटवारी भी मिल जाता है और तहसीलदार भी मिल जाता है। नतीजा यह होता है कि वह रुपया बड़े-बड़े काश्तकारों को मिल गया। इतनी जल्दी छोटे काश्तकार तस्दीक ही नहीं करा पाये। जिनको ८,८,१०,१० हजार की जरूरत होती है उनकी तस्दीक तो फौरन हो जाती है लेकिन जिन्हें ४-५ सौ रुपये की जरूरत होती है उनकी तस्दीक नहीं हो पाती है। इस तरह से इस धन का जिस तरह से दुरुपयोग होता है उसको हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आज जो रुपया किसानों की भलाई के लिये दिया जा रहा है वह उन तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसी हालत में कैसे यह समझा जाये कि हम किसानों को तकावी दे रहे हैं। जितना रुपया छोटी-छोटी तकावी के रूप में किसान को दिया जाता है उतना रुपया तो उसका उसको लेने के लिये आने जाने में खर्च हो जाता ह। उसको उनसे कोई फायदा नहीं पहुंचता।

जानवरों के बारे में भी आप देखें कि उनको वह अच्छी तरह से नहीं रख पाता है। वह कहता है कि हम अपना पेट भरें या जानवरों का। जब उसका ही पेट नहीं भर पाता है तो जानवरों का पेट वह कहां से भरे? इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अब आप देखें, श्रीमन्, कि दिल्ली में कृषि प्रदर्शनी हुई। उसका कोई यंत्र यहां के काश्तकारों के लिये कहां तक हितकर है, यह देखने की बात है। हमारे यहां के काश्तकारों के पास ४-४, ५-५ बीघे जमीन है। उनमें वह यंत्र सफल हो ही नहीं सकता। हमको तो ऐसे यंत्र बनाने चाहिये जो कि हमारे यहां के खेतों में चल सकें। इससे ज्यादा फायदा हो सकता है। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे दो मिनट और दिये जायं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ब्लाक में ए० डी० ओ०, एग्रीकल्चर, वगैरह हैं। आप कोई भी जिला ले लें अगर उसमें शैडो ब्लाक से नार्मल ब्लाक हो जाता है तो खेती बढ़नी चाहिये लेकिन मेरा खयाल है वह खेती वहां पर बढ़ती नहीं है। कागज में जरूर बढ़ती होगी। आज लाखों रुपया ब्लाकों पर खर्च किया जा रहा है लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। वहां के अधिकारियों की योग्यता के बारे में मैं क्या कहूं? अभी दो तारीख को गवर्नर महोदय संडीला गये थे तो वहां पर एक रसभरी का खेत था उसे वे लोग देख रहे थे। तो जो अधिकारी लोग थे उनमें से कोई तो यह कहता था कि यह मटर का खेत है कोई यह कहता था कि आलू है। मैंने कहा कि यह न आलू है, न मटर है, हमारे यहां रसभरी ज्यादा पैदा होती है, यह रसभरी का खेत है। यह रस-भरी है, जो यहां से लखनऊ जाती है यह परसों का बाकया है। तो ऐसे ऐसे जब अधिकारी हैं ऐग्रिकल्चर में तो कहां तक सुधार होगा? सहकारिता अच्छी चीज है, बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं? सत्य अच्छी चीज है, रिश्वत लेना बुरी चीज है, लेकिन उससे बचते कितने हैं। हमने सहकारिता पर . . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य को मालूम हो कि सहकारिता पर बहस नहीं हो रही है, कृषि पर ही रही है।

श्री मोहनलाल वर्मा--१ मिनट मुझको अन्त में दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--मैं आपको सहकारिता पर नहीं बोलने दूंगा।

श्री मोहनलाल वर्मा---गन्ने का तो खेती से संबंध है ?

श्री अधिष्ठाता---भाषण का समय समाप्त हो गया।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में जो अनुदान कृषि के संबंध में प्रस्तुत है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हमारा प्रदेश गांव का प्रदेश है। यहां वही लोग रहते हैं जिनका खेती से बहुत गहरा संबंध है। किसान को उस समय बड़ी तकलीफ होती है जब अपनी फसल को तैयार करके काटने का मौसम आता है और उस समय उसके ऊपर जब किसी प्रकार की दैवी आपत्ति या परेशानी आ जाती है; उसका किया कराया तथा सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। हम लोग उन जिलों से आते हैं जो इसके भुक्तभोगी हैं। पूर्वी जिलों में और खास कर गोरखपुर और देवरिया में यह देखा गया है कि आज लगातार कई वर्षों से कभी बाढ़, कभी सूखा, भयंकर आपत्ति आकर किसानों को क्षतिग्रस्त कर देती है। पिछले वर्ष में सूखा और बाढ़ से जब हम बचे तो गंधी मक्खियों का इस तरफ भयंकर आक्रमण हुआ। लाखों एकड़ फसल देवरिया जिले के उत्तरी भाग में सत्यानाश हो गयी। लहलहाती फसल किसान की समाप्त हो गयी। इसमें संदेह नहीं कि प्रदेशीय सरकार कृषि के विकास में प्रयत्नशील है, इस बात में सचेष्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचा सकें, लेकिन जब प्रकृति साथ न दे तो यह दूसरी बात है।

मैं माननीय मंत्री जी का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ से ग्रस्त कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से पानी गुजर करके काफी नुक्सान कर बैठता है और कटाव पैदा हो जाता है। छोटी गंडक और बड़ी गंडक देवरिया और गोरखपुर जिलों में काफी व्याप्त है। उनके द्वारा उत्पन्न कटाव को रोका जा सके, यह कोई बहुत बड़ी योजना नहीं होगी। इस योजना से चन्द लाख रुपयों में हम ऐसे स्थानों को बांध सकते हैं जहां से हम पानी की धारा को मोड़ दें। इस तरह की व्यवस्था की जाय तो इससे किसानों को अवश्य लाभ होगा।

हमारे प्रदेश में पूर्वी भाग में गन्ने का काफी उत्पादन होता है। हम लोग उस जिले से आते हैं जहां १३-१३, १४-१४ शुगर फैक्टरियां हैं। हम मजबूर है, परेशान हैं, लाचार हैं दूसरी फसल बोने में। गन्ना एक खास पैदावार बन गयी है, लेकिन उसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता है। रेड राट की बीमारियां, नीचे कीड़ा, ऊपर से सूख जाना, इससे भारी क्षति होती है। गन्ना विभाग ने काफी काम किया है। केन सोसाइटियों द्वारा गन्ने के विकास का काम किया जा रहा है। उसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं गांव के और उनकी काफी दिलचस्पी रहती है। हम चाहते हैं कि जिन क्षेत्रों का गन्ना जिन शुगर फैक्टरियों में जाय उनका उस शुगर फैक्टरी से काफी संबंध होना चाहिये। मिलों से काफी अच्छी खाद निकलती है और उस खाद को किसानों में मुफ्त इनके द्वारा बटना चाहिये। इसके अलावा मिल मालिकों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि अपने क्षेत्र के अन्दर गन्ने के उत्पादन में वह निजी जितना भी सहयोग दे सकें उतना ही अच्छा है। आज किन्हीं फैक्टरियों में गन्ना ज्यादा है और किन्हीं फैक्टरियों में गन्ना कम है। इसका कारण यह है कि गन्ने के उत्पादन में मिल की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है। इस तरफ उनका अवश्य ध्यान जाना चाहिये।

हमारे सामने वहां पर चूहों की पलटन भी तैयार हो गई है। देवरिया जिले की हाटा तहसील में एक बहुत बड़ी सनसनी गांवों में फैल गई है कि बलिया और गाजीपुर के चूहों की फौज ने देवरिया पर आक्रमण बोल दिया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर शीघ्र ही जाये जिससे चूहों का सत्यानाश किया जा सके। माननीय उग्रसेन जी जब बोल रहे थे तब उन्होंने चूहों के मसले को बहुत हलके तरीके से लिया लेकिन यह हलका मसला नहीं है। मैं जानता हूं कि चूहे हजारों एकड़ फसल को सत्यानाश कर देते हैं। गेहूं के खेत में नीचे से घुसकर चूहे पूरा खेत काट डालते हैं। इसलिये चूहों के मारने की व्यवस्था हमारे यहां शीघ्र होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि केन यूनियन के द्वारा जो ट्यूबवेल बने वे बेकार पड़े हुये हैं। हमारे लक्ष्मीगंज फैक्ट्री के पास १५–२० मसोनरी बेल्स बने लेकिन आजतक उनमें पानी नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—जब सिंचाई का अनुदान पेश हो तब आपको ट्यूबवेल और कुंओं के बारे में कहना चाहिये।

श्री शिवप्रसाद—चूंकि केन यूनियन का कृषि से संबंध रहता है इसलिये मैंने उस ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाया। मैं चाहूंगा कि उन ट्यूबवेल्स को अगर सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कर दिया जाय तो अधिक लाभ होगा।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि मिल के एरिया में जो सड़कें बनी होती हैं उनका संचालन केन यूनियन के द्वारा होता है। सरकार को उनकी उचित व्यवस्था का ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके बाद मैं सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाऊंगा जिससे कि खेती के कामों में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सकता है और वह है पशुधन। हमारे देश में पशु की सम्पत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम गाय को बहुत बड़ा स्थान देते हैं लेकिन हम देखते हैं कि पशुओं में हम ज्यादा वृद्धि नहीं कर पाये। हम ट्रैक्टर पर जिन्दा नहीं रह सकते, हम मशीनरी पर जिन्दा नहीं रह सकते, हम गांव के छोटे-छोटे धंधों पर ज्यादा जिन्दा रह सकते हैं। उनको चालू करने में हम पशुओं का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में जो पशु हैं उनकी देख-रेख, उनकी व्यवस्था और उनकी दवादारू की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। दवा के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां उत्तरी इलाके में खड्डा के इलाके में और छितौनी के इलाके में जहां छोटी और बड़ी गंडक है, बरसात के दिनों में हजारों जानवर बहकर चले जाते हैं। वहां पर उनकी बीमारी की रोकथाम की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। सरकार का ध्यान उस ओर अवश्य जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि देवरिया जिले में गरीबी बहुत है। आपने विगत वर्षों में खीरी जिले के अन्दर उपनिवेशन योजना चालू की है, उससे कुछ लाभ हुआ है। हम चाहेंगे कि पीलीभीत उपनिवेशन योजना जो आप चालू कर रहे हैं...

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—वह बिलकुल बेकार है।

श्री शिवप्रसाद—बेकार है या नहीं, यह तो वहां के सदस्य ही जानें लेकिन यह हमने अनुभव किया है कि उससे गरीबों को काफी राहत मिली है और अगर नहीं मिली है तो सरकार का ध्यान उस ओर अवश्य होना चाहिये जिससे उनको राहत मिले। पीलीभीत योजना में जो भूमिहीन और मजदूर हैं जो खेती का काम करना जानते हैं, जो ८ घंटे खेती में श्रम करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा तरजीह दी जाय। आज उस खेतिहर मजदूर के लिये ज्यादा से ज्यादा सुविधायें होनी चाहिये। पीलीभीत उपनिवेशन योजना का जिक्र मैंने इसलिये किया कि देवरिया एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और वहां का ऐसा दल पीलीभीत में जाना चाहिये जो भूख सेना के नाम से हो।

श्री बंशीधर शुक्ल—मुझे भी समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—माननीय बंशीधर जी, सदन की मर्यादा का आपको पालन करना चाहिय। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप धैर्य रखें।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि इनसिक्योरिटी आफ टैन्योर (insecurity of tenure) के कारण हमारी उपज घट रही है। अगर हम १९०१ से आज तक के सारे कानूनों को देखें तो पता चलेगा कि काश्तकार की हालत को सुधारने के लिये हम कानून बनाते चले आये और उसकी हालत को ठीक करते चले गये। १९३९ में हमने हकूक मौरूसी दिये, सन् ५२ में हमने हर काश्तकार को जो दूसरों की भूमि जोत रहा था अधिवासी बना दिया और अधिवासियों को सीरदार बना दिया; यानी आज ३ प्रकार के काश्तकार हैं और सीरदार भी १० गुना देकर भूमिधर बन सकता है। आज किसान अपनी जमीन को जोतकर पूर्णरूपेण लाभ उठा रहा है। लड़ाई के बाद कीमतें गिरनी चाहिये थीं लेकिन वे बढ़ती चली जा रही हैं। सन् ४७ से पहले गेहूं का भाव १३ रुपये मन था जो आज २६ रु० मन है और घी ३ रु० सेर की जगह ६ रु० सेर है। मैं आंकड़ों में थोड़ा कम विश्वास रखता हूं क्योंकि हम उनको कभी सही नहीं पाते हैं और उनसे उलझन में पड़ जाते हैं। द्वितीय महायुद्ध में बाहर वाले हमारे मवेशियों को मार कर खा गये, जिससे दूध और घी कम हो गया। यहां जितने बंजर और खादर थे सब को जोत लिया गया। जिन मवेशियों को मारा गया उनकी संख्या हमने पूरी नहीं की। अच्छे सांड़ों की बहुत आवश्यकता है। खेतिहर मजदूर, हरिजन और पिछड़ा वर्ग जो जानवर चुगा कर अपने पेट का धंधा करता था वह धंधा खत्म होता जा रहा है। नदियों के कछार या गंगा के खादर को छोड़ दें, जिससे लोग वहां जाकर अपने मवेशियों को चुगवावें। हमारे देश की सबसे बड़ी देन गोधन और पशुधन है। इसकी तरफ हमारी सरकार को ध्यान अधिक देना चाहिये।

आज बड़े-बड़े बीज गोदामों से केवल बड़े-बड़े लोगों को और बाअसर लोगों को ही बीज मिलता है, जिसे वे रोटी बनाकर खा जाते हैं या ब्लैक मारकेट में बेचते हैं। छोटे काश्तकारों को बीज नहीं मिल पाता है। इसकी देखभाल होने की आवश्यकता है।

तकावी मिलने में आज सुविधा जरूर है लेकिन २,३ काश्तकारों को मिलाकर जो तकावी दी जाती है उसमें नादिहन्द काश्तकार का रुपया भी उसके साथियों से वसूल किया जाता है। इसमें यह सुविधा होनी चाहिये कि प्रत्येक काश्तकार अपनी अलग तकावी ले सके।

बंजर भूमि को माननीय मंत्री जी तोड़ रहे हैं और तोड़ते चले जावेंगे। लेकिन कभी उन्होंने ऊसर भूमि की ओर भी ध्यान दिया कि उसे कैसे उपजाऊ बनावें और उसके बाद वह कैसे भूमिहीनों को बांटी जाय? हजारों लाखों एकड़ भूमि ऐसी बनाई जा सकती है और उसमें सरकारी फार्म भी खोले जा सकते हैं। बहुत सी जमीन में १, १ या २, २ परत कंकड़ की लगी हुई है। उसे निकाल कर वह जोतने योग्य बन सकती है।

सारी उपज का ३० फी सदी मवेशियों से और बीमारियां लगकर नष्ट हो जाता है। अभी एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि चूहे फसल को खत्म कर देते हैं। बन्दर, कबूतर, नीलगाय और जंगली जानवर खेती को नष्ट करते हैं। आज गेहूं में कनवा, कुखटा, रस्ट लगता है और आलू में भी बीमारी लगती है। अगर हम इन बीमारियों का निराकरण नहीं करते हैं तो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा करते हैं। इनके लिये अधिक से अधिक ध्यान होना चाहिये।

दूसरी बात हमारे सामने यह आती है कि आज हमारे प्रदेश में बहुत से बाग हैं, प्राइवेट और पबलिक सेक्टर के जो कुछ भी हैं। उनमें हमको अपनी वैजीटेबिल्स पैदा करनी चाहिये और जिस जमीन में आज वे पैदा की जा रही हैं वहां अन्न उपजा कर हम अपनी अन्न की पैदावार बढ़ा सकते हैं।

आज एक साल में एक चीज के २, २ और ३, ३ भाव होते हैं। बुलन्दशहर में कोई भाव है, दिल्ली में दूसरा है। मैक्सिमम और मिनिमम भाव हर चीज का निर्धारित होना चाहिये। आज बड़ा झगड़ा यह पड़ रहा है कि गेहूं पैदा करने वाला किसान सोचता है कि वह साल में एक ही फसल पैदा करता है जबकि दूसरे २, ३ फसल कर लेते हैं। वे ज्यादा कमा लेते हैं। कैश

क्राप्स और फूड क्राप्स पैदा करने वालों के लिये सुविधाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। इन सुविधाओं को अगर आप दें तो काश्तकार आपके लिये अधिक अन्न उपजा सकेगा। अगर इन चीजों को मंत्री जी करेंगे तो वह प्रदेश के काश्तकारों का हित कर सकेंगे।

*श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बावजूद कोशिश के हमारा अनाज कम ही होता जा रहा है। हमारे ८० फी सदी लोग गांवों में रहते हैं और उनमें भी ज्यादातर लोग किसानी पर ही निर्भर करते हैं, जबकि हमें आये साल दूसरे मुल्कों से गल्ला मंगाना पड़ता है। यह हमारे कृषि प्रधान मुल्क के लिये बहुत ही ज्यादा बदनामी की बात है। अब तक १६ अरब के करीब रुपयों का गल्ला हम बाहर से मंगा चुके हैं। मेरी राय यह है कि अगर सरकार काश्तकारों की तरफ तवज्जह दे और जो रुपया वह बाहर भेजती है उसको काश्तकारों पर खर्च करे तो किसानों की ज्यादा तरक्की हो सकती है।

किसानों के लिये अगर अच्छा खाद जमीन और बीज तथा सिंचाई के साधन हों तथा किसान मेहनत करने वाला हो तो हमारा मुल्क काफी तरक्की कर सकता है। हमारे देश की जमीन जैसी है वह तो रहेगी ही, उसको कुछ बढ़ाया भी नहीं जा सकता है लेकिन जहां तक अच्छे बीज, खाद और सिंचाई का सवाल है, इसमें सरकार हर तरह से मदद कर सकती है और कर भी रही है, लेकिन इसमें और ज्यादा सहायता देने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर, मैं खाद की ही बात बताता हूं। सरकार ने कम्पोस्ट खाद बनाने का काफी प्रयत्न किया। म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज को काफी अनुदान दिया। इसके बारे में मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि शुगर मिलों में जो मली होती हैं वह काश्तकारों की होती है, वह उनके इस्तेमाल के लिये उनको ही मिलनी चाहिये। मिल वाले उसको भट्टेवालों को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। इसकी तरफ सरकार को तवज्जह जानी चाहिये और मली या तो मुफ्त या अगर गड़बड़ी होने का अन्देशा हो तो १-२ आने मन के हिसाब से काश्तकार को ही मिलनी चाहिये। इससे किसानों की पैदावार बढ़ सकेगी।

सरकार ने काफी बीज गोदाम खोले हैं जिनसे बीज तकसीम होता है लेकिन पिछले साल हमारे सहारनपुर में नवम्बर में चने का बीज गया जो तमाम का तमाम ब्लैक मारकेट में बेचा गया। माननीय मंत्री जी को इसकी इत्तिला दी थी लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने क्या ऐक्शन लिया। जो लोग गलत काम करते हैं उन लोगों के खिलाफ अगर ऐक्शन नहीं लिया जायगा तो किस प्रकार से ठीक काम हो सकता है ?

तीसरी बात आबपाशी के साधनों की भी है। छोटे-छोटे कुएं वगैरह के लिये इमदाद देकर सरकार को किसानों को उत्साहित करना चाहिये। अगर हम किसानों को छोटी सिंचाई के साधन नहीं देंगे और सरकार उस पर पूरी तवज्जह नहीं करेगी तथा किसान उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी तरीका अपनाया जाय, खेती की तरक्की नहीं हो सकेगी।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे मालूम है कि बहुत से हमारे भाई हैं जिनके पास ५०, ५० बीघे जमीन है, वे यहां लखनऊ में आकर चपरासीगीरी करते हैं। इसका क्या कारण है? कुछ लोगों में एक परम्परा सी बन गयी है कि वे हल को हाथ लगाना नहीं चाहते या उस खेती के काम से नफरत करते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इसकी तरफ तवज्जह देनी चाहिये और लोगों में प्रचार करना चाहिये कि खेती का काम बुरा नहीं है, और हर आदमी को उसमें मेहनत करनी चाहिये। जो आदमी मेहनत नहीं कर सके, किसानी नहीं कर सके, उसके लिये कोई पाबन्दी होनी चाहिये।

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दाताराम]

अब मुझे कृषि शिक्षा के बारे में कुछ कहना है। आज माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि वह रुद्रपुर में एक कृषि यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे प्रदेश में काफी डिग्री कालेज तथा इण्टरमीडियेट कालेज हैं, मेरे जिले सहारनपुर में दो डिग्री कालेज कृषि के हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लड़के उनमें पढ़ते हैं, वहां से निकलने के बाद वे किसानी का काम करते भी हैं या नहीं। सरकार को इस तरफ तवज्जह देनी चाहिए। जो कृषि यूनिवर्सिटी सरकार खोलने जा रही है उसमें पढ़ने वाले लड़कों के लिये है क्या सबूत है कि वहां से निकलने के बाद वे किसानी करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिये कोई ऐसा कानून बनना चाहिये कि जो लड़के खेती करेंगे उनकी नौकरी करने वालों के मुकाबले में पहले मौका दिया जाय। उनको सरकार की तरफ से वजीफा दिया जाय, उनकी फीस माफ की जाय या और कोई सहूलियत दी जाय जिससे वे खेती करने की तरफ आकर्षित हों। मुझे मालूम है कि काश्तकारों के लड़के जो शहर के अन्दर आ जाते हैं वे भी खेती करना पसन्द नहीं करते क्योंकि कोट पतलून उन्हें खेती में नहीं मिल सकता। शहर से गांव में जाना भी वह पसन्द नहीं करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च करके यूनिवर्सिटी या कालेज खोल लें, सिवाय इसके कि उससे बेकारी बढ़ेगी और कोई लाभ नहीं होने वाला है जब तक कि आप किसानों के लड़कों को खेती करने के लिये प्रोत्साहित नहीं करते। कृषि विश्व-विद्यालय में पढ़ने के लिये किसानों के लड़कों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये तथा इस प्रकार का कोई बांड भरवाना चाहिये कि घर आने पर वे खेती करेंगे। उनको सरकार वजीफा दे, उनकी फीस माफ कर दे या और तरह से उनकी सहायता करे। जो लड़के महज नौकरी करने के लिये ही पढ़ना चाहते हैं, उनके लिये कोई और तरीका अख्तियार करे।

एक बात मुझे सूद के सम्बध में कहनी है। किसानों से जो सूद लिया जाता है जबकि वह ९ फी सदी लिया जाता है, उद्योग धंधों में ३ से ५ प्रतिशत के करीब लिया जाता है और गल्ले के ऊपर ५० फी सदी तक सूद लिया जाता है यानी ६ महीने पर ही सवाई लिया जाता है। इस तरह का सूद शायद दुनिया में और कहीं नहीं लिया जाता होगा। इसलिये सरकार को इस तरफ भी तवज्जह देनी चाहिये।

सेंटर के खाद्य मंत्री जी ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को तसलीम किया कि आज तक मुझे पता ही नहीं था कि रबी आन्दोलन क्या चीज है और खरीफ आन्दोलन क्या चीज है। मुझे पता नहीं कि उसी तरह से हमारे प्रदेश के मंत्री जी को भी इस बात का पता है या नहीं कि यह रबी आन्दोलन क्या है और खरीफ आन्दोलन क्या है। अगर सरकार इस तरफ तवज्जह दे और मेहनत करेगी तो जरूर कामयाबी होगी।

(श्री बंशीधर शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता---माननीय बंशीधर जी, अगर आप इस तरह से बराबर खड़े होते रहे तो शायद आपको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा।

श्री बंशीधर शुक्ल---आप तो इस तरह से डांटते हैं जैसे कि किसी बच्चे को डांटा जाता है कि अगर बीच में खड़े होते रहे तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। श्रीमन्, मुझे भी अवसर मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---आप अपने ह्विप से बोलने के सम्बन्ध में बातचीत कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। यह जो कृषि के सम्बन्ध में अनुदान सदन के समक्ष पेश है इसमें कृषि सम्बन्धी विकास, अभियन्त्रण और शोध आदि की बातें दोनों पक्ष की ओर से कही गयीं। हमने सोचा था कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान देंगे यद्यपि कृषि मंत्री जी उपस्थित नहीं हैं, माननीय उपमंत्री जी उपस्थित हैं.....

श्री अधिष्ठाता---सदन में काफी शोर हो रहा है, आप शान्ति रखें। दाताराम जी, आप काफी शोर कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---माननीय उप-मंत्री जी ने तो पहले ही अपनी एक धारणा बना ली थी कि कुछ लोग बहस के लिये ही बातें करते हैं या अनर्गल बहस करते हैं। किन्तु अब उन्हें मालूम हो जाना चाहिये कि बहुत सी बातें विपक्षियों की तरफ से और उनके दल की तरफ से कही गयीं, मैं उन्हें चुनौती के रूप में समझता हूं कि यदि उन्होंने उन बातों को स्वीकार न किया या संशोधन नहीं किया तो उन्हें यह शोभा नहीं देगा कि विरोधियों की तरफ से केवल बहस ही होती है। उन्हों ने नोट किया हो या न किया हो लेकिन मैंने दो चार बातें दोनों पक्षों की सुनीं। एक बात यह कही गई कि किसानों को जो कर्ज दिया जाता है उसकी सूद की दर बहुत अधिक है, उसमें कमी होनी चाहिये। ९ प्रति शत की दर जरूर ज्यादा है। मैं मंत्री जी को याद दिलाऊंगा कि पिछले साल इसी बजट के सम्बन्ध में और इसी सूद की दर के लिये माननीय मोहनलाल जी आदि ने कहा था और माननीय मंत्री जी ने इसके लिये अफसोस भी जाहिर किया था लेकिन सालभर बाद भी उनका कुछ विचार बदला होता या सुधार हुआ होता तो हम उनसे आशा करते कि वह कम हो जायगी। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि यह सूद की दर अब भी कम की जाय।

दूसरे, सवाई पर बीज देने का जो तरीका है जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कि १०० मन का १५० मन लेने से ५० प्रतिशत से भी अधिक ब्याज की दर का हिसाब आता है, इसका भी सरकार को कम करना चाहिये। यह कृषि विभाग की एक विडम्बना सी है कि अपनी कमी को सरकार आंकड़ों के द्वारा छिपाना चाहती है। हमें उनके आंकड़े देखकर आश्चर्य होता है। मैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा और कोशिश करुंगा कि एक ही आंकड़े से उनकी सारी दलील को काट दूं।

सरकार ने इस प्रदेश में रबी और खरीफ अभियान चलाकर लाखों रुपये खर्च किये और कितने ही सेमीनार्स किये गये जिनका कि आज तक हिसाब ही नहीं दिया गया। उन सबका परिणाम यह निकला कि जो गेहूं आदि की वृद्धि यहां हुई है उनमें यह प्रदेश सारे देश में सबसे पिछड़ा है। बिहार में ४२ प्रति शत की वृद्धि हुई, बम्बई में १९ प्रति शत की, मध्यप्रदेश में २६ प्रति शत की, पंजाब में २० प्रति शत की, मैसूर में १७ प्रति शत की, दिल्ली में १६ प्रति शत, राजस्थान में १३ प्रति शत, आन्ध्र में ७ प्रति शत और यू० पी० में ४ प्रति शत। बड़े बड़े अभियान और सेमीनार करने के बाद यह प्रदेश देश में सबसे पिछड़ा रहा। हमारी पर एकड़ की वृद्धि हुई तो ४.९ का हिसाब आया जबकि बिहार में ४४ प्रति शत की वृद्धि की है। मंत्री जी ने कहा कि अगर गेहूं में पिछड़े हैं तो हम दूसरी चीजों में, जैसे धान है, आगे हैं और वृद्धि न कर सकने के वह उल्टे कारण भी देते हैं। हमारे यहां के जो प्रमुख खाद्यान्न हैं गेहूं, जौ, मक्का इन सबमें पिछड़े रहे बल्कि पिछले वर्ष से गन्ने तक की उपज में कमी दिखाई, वृद्धि न दिखा सके। इससे ज्यादा असफलता के लक्षण और क्या हो सकते हैं? लेकिन इस विवाद में न जाकर सरकार के खर्च के व्योरों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करुंगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं काश्तकार हूं इसलिये जानता हूं---हमारी जमीन जो पहले किसी समय बड़ी उपजाऊ थी वह ऊसर होती जाती है रेह बढ़ती जाती है, चाहे आबपाशी की हो या बगैर आबपाशी की। इस ऊसर को घटाने के लिये सरकार ने केवल ३२ हजार रुपया रखा है और मिट्टी की जांच करने के लिये केवल १ लाख ८३ हजार रखा है। अपने प्रदेश में बड़े बड़े बाग बगीचों का भी रख-रखाव होता है। राज्यपाल जी के यहां और प्रत्येक मंत्री के यहां होता है और बिना मिट्टी के जो फूल उपजाये जाते हैं वे भी लगाये जाते हैं। इस सबमें हमारी सरकार १३ लाख २६ हजार रुपया खर्च करती है और ऊसर घटाने के लिये कुल ३२ हजार रुपया रखा जाता है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

सरकार कहती है कि खेती अगर सहकारी होने लग जाय तो उत्पादन बढ़ जायगा। हमारे प्रधान मंत्री जी सबसे बड़े विचारक हैं। उन्होंने एक ही उपाय निकाला है कि सहकारी खेती हो जाय तो सबका इलाज हो जाय। लेकिन आज तक किसी मंत्री, उपमंत्री या कर्मचारी ने स्पष्टरूप से यह नहीं बताया कि सहकारी खेती किस प्रकार किसान करेगा। वैसे तो नाना प्रकार के तरीकों की खेती सरकार ने प्रयोगात्मक रूप से की है। मैंने बड़ी खोज करके ढूंढ निकाला कि आखिर यह सहकारी खेती क्या है जिसके बारे में प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सभी लोग हिज मास्टर्स वायस की तरह बोला करते हैं। मुझको पढ़ने को मिला कि यह सहकारी खेती संयुक्त कृषि समितियों के आधार पर होगी और वह यह करेगी कि ज्यादातर समितियां अपने खेतों में काम के लिये दैनिक या मासिक वेतन देंगे। इसमें जो शरीक होंगे उनको उनके काम का वेतन देगी। इसमें जो शरीक होंगे उनमें छोटे बड़े कई प्रकार के लोग होंगे। लेकिन आगे वही कहते हैं कि वह इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न प्रकारों के बीच आमदनी का सही बटवारा वह करे। अब आप सोच सकते हैं कि सहकारी खेती का क्या रूप है।

आज तक साझे की खेती हानिकारक मानी गई। कहावत भी है कि साझे की खेती गदहे भी न खायें। देश में छोटे-छोटे खेतों के रखने वाले काश्तकारों की तादाद ८० प्रति शत के करीब है, बड़ों की तादाद ६ प्रति शत है। ऐसी हालत में सहकारी खेती लाना और फिर उनको दैनिक वेतन देकर ही संतुष्ट करना और हिसाब रखने के लिये ईमानदार लोगों की आशा रखना, यह चीज कुछ ठीक नहीं मालूम होती।

बीज गोदामों के द्वारा जो बीज मिलता है, कहा यह जाता है कि 'अ' श्रेणी के बीज को हम बढ़ाते जा रहे हैं और 'ब' और 'स' श्रेणी के बीज को घटाते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता मैं जानता हूं। मैं अपने कानपुर जिले की बात कर रहा हूं, मंत्री जी नोट कर लें कि जिन बीज गोदामों में बीज बांटा जाता है उनमें बीज स्थानीय बाजारों से खरीद कर ले जाया जाता है। और वह बीज 'ब' और 'स' श्रेणी का होता है जिसको 'अ' करके दिया जाता है। सीड फार्मों से भी जो बीज आता है उसमें कूड़ा करकट भर कर भेजा जाता है और कहा जाता है कि जब तुम वापस लाओगे तो 'अ' श्रेणी का बीज देना पड़ेगा और अगर नहीं दोगे तो अधिक मात्रा में दूसरी श्रेणी का बीज देना पड़ेगा। कहा गया है कि ६९ फी सदी 'अ' श्रेणी का बीज है और ३१ फी सदी 'ब' और 'स' श्रेणी का है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये आंकड़े बिल्कुल उल्टे हैं।

आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या खेती की वृद्धि के लिये पशुपालन की है; और उनके चारे की सुविधा हो। पशु बिना खेती नहीं हो सकती और पशु के लिये चारा चाहिये और चारे के लिये सरकार ने केवल १६,००० रु० विकास के लिये रखे हैं जबकि बिना मिट्टी के गुलदस्तों में फूल पैदा करने के लिये १२,००० रुपये रखे गये हैं.....

श्री अधिष्ठाता—ऐसे गुलदस्ते कौन से हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—रास्ता चलते आपने देखें होंगे अगर आप पैदल चलते होंगे। जब आप टहलने सुबह जाते हैं तो वह गुलदस्ते टंगे हैं जो बिना मिट्टी के पला करते हैं और मंत्रियों के बाग बगीचों में लगे हैं।

श्री अधिष्ठाता—आपके भाषण का समय समाप्त हो गया।

श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)—अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किये हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यह बात मैं नहीं मानता कि खेती की तरक्की नहीं हुई है, या किसानों की हालत अच्छी नहीं हुई है। लेकिन अभी खेती की तरक्की के लिये काफी आवश्यकता है, यह सभी मानते हैं। आंकड़ों पर तो मैं नहीं जाता लेकिन निजी

अनुभव से जानता हूं कि आजादी से पहले हमारे किसानों की क्या दशा थी और आज क्या है। मैं एक किसान परिवार का सदस्य हूं और सदस्य ही नहीं, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग खेती के कार्य करने में व्यतीत किया है। मुझे अनुभव है कि खेती में पैदावार कैसे बढ़ायी जा सकती है। जो ऊपर शब्द मैंने कहे हैं वे इसी अनुभव से कहे हैं। मेरे एक दोस्त यह कह रहे थे कि ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में हमारे प्रदेश में मालगुजारी से सरकार को ७,००,००,००० रुपया मिलता था जमीन्दारों से और जमीन्दार १७,००,००,००० रुपये काश्तकारों से वसूल करते थे। आज की सरकार २२,००,००,००० रु० मालगुजारी के रूप में काश्तकारों से लेती है। मैं अपने दोस्त से यह कहूंगा कि अगर वह ठंडे दिमाग से सोंचे तो २२,००,००,००० रु० मालगुजारी लेने के बाद भी सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ा हित कर रही है। मैं ब्रिटिश हुकूमत की सन् १९३०-१९३२ की बात बताऊं जबकि गल्ले का भाव था, १७ सेर गेहूं, ३० सेर गुड़, ३२ सेर धान। उस समय जो किसानों से मालगुजारी ली जाती थी उस पर हमारे जमीन्दार साहेबान बराबर इजाफा किया करते थे। किसानों की हालत इतनी बदतर थी कि मालगुजारी भी वसूल होना मुश्किल था और काश्तकर बेदखल हो रहा था। सन् ३७ में कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उसने बकाया मालगुजारी पहले मुल्तवी कर दी लेकिन उसके बाद उसने देखा कि किसान इसको अदा नहीं कर सकता तो उसे माफ कर दिया था; इसके साथ साथ यह ऐलान किया कि किसान पर अब किसी तरह से कोई इजाफा नहीं किया जायगा, कोई मालगुजारी नहीं बढ़ाई जायगी। तो जिस वक्त १७ सेर गेहूं था, २५ सेर बेंझड़ थी और ३० सेर का गुड़ था उस समय का लगान काश्तकारों पर जो चला आ रहा है वही रहा। भाव आज कितने मंहगे हैं लेकिन सरकार ने फिर भी मालगुजारी नहीं बढ़ाई। हां, नई नौतोड़ जमीन पर ही मालगुजारी बढ़ी है। तो यह साफ है कि किसानों की हालत कुछ सुधरी है लेकिन अभी सुधार की और काफी आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह इस पर विचार करें कि जब हमारे देश में ८० प्रति शत किसान देहातों में रहते हैं तो उनके जीवन को अच्छी तरह से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि काश्त के उत्पादन को बढ़ाया जाय, काश्त की हालत अच्छी की जाय। इसके लिये बजट में जो रुपया रखा गया है वह बहुत ही कम है। उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया रखने की आवश्यकता थी।

काश्तकार की तरक्की कैसे हो, इसके लिये हमारे कुछ मित्रों ने बताया कि उत्पादन बढ़ाने के लिये ३, ४ चीजें होना आवश्यक हैं। पहले तो उसके लिये समय पर पानी हो, खाद हो, अच्छे यन्त्र हों, जिनसे जमीन अच्छी तरह से तोड़ी जा सके और अच्छा बीज हो। साथ ही समय का उपयोग भी बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि जिस टाइम पर फसल बोई जानी चाहिये अगर ठीक उसी टाइम पर बो दी जाती है तो वह अच्छी होती है लेकिन उस टाइम के बाद अगर बोई गयी तो वह ठीक नहीं होती। मैं निजी अनुभव से बतलाता हूं कि इस वर्ष सितम्बर के बाद पानी नहीं बरसा। सारे प्रदेश में एक साथ अकाल सा होगया। लेकिन जो खरीफ की फसल ठीक समय पर बो दी गयी तो अच्छी पैदावार हुई। मैं आपको बतलाऊं कि समय पर बोया जाना अच्छी फसल के लिये बहुत आवश्यक है।

इसके साथ ही हमारे साधन अच्छे ढंग के हों। काश्तकार इस चीज को जान सकें कि हम अपने पुराने अनुभव और नये अनुभव को मिला कर खेती के उत्पादन को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ किताबों के बल पर तरक्की नहीं की जा सकती। हमारे यहां जो पुरानी प्रथा थी काश्त की, उसमें कुछ परिवर्तन करके हम उत्पादन को ज्यादा बढ़ा सकते हैं।

इसके साथ यह भी सही है कि सरकार ने जो बीज दिया उससे भी पैदावार बढ़ी। इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमें अच्छा बीज मिले। नमूने के लिये, मैं अपने यहां की बात बताऊं। एक सफेद मटर का बीज, जिसको देहात में डेवलपमेंट का मटर कहते हैं

[श्री मिहरबान सिंह]

जबसे यह बीज हमारे यहां आया तबसे उसकी पैदावार तिगुनी, चौगुनी बढ़ गयी। जहां पहले एक एकड़ में १०–११ मन से ज्यादा नहीं होता था वहां अब एक एकड़ में २५–३० मन पैदावार हो गयी है। दूसरे एक सफेद धान का बीज सरकार ने दूसरी जगह से मंगवा कर हमारे प्रदेश में दिया। उसमें भी बहुत सफलता मिली। पहले जहां १०–१५ मन धान फी एकड़ में पैदा होता था वहां अब ४०–४५ मन फी एकड़ पैदा हो रहा है। तो इन बीजों में सुधार हुआ। लेकिन अब भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। दूसरे मुल्कों से हम अब भी बहुत पीछे हैं। अगर हमें तरक्की करना है तो हमें खास तौर से अच्छे बीजों को, अच्छे यंत्रों को, अच्छी खाद को, इन सारी सुविधाओं को किसान को समय पर पहुंचाना होगा। अभी पिछले दिनों मैंने जब पैदल यात्रा की थी तो मैंने देखा कि हमारे जो अधिकारी हैं कृषि के, वे बहुत से देहातों में नहीं पहुंचते हैं। देहात के लोगों को मालूम ही नहीं है कि सरकार हमें क्या-क्या सुविधा दे रही है। तो यह बहुत ही आवश्यक है कि हर ग्राम के लिये ऐसी सड़कें हों जो बड़ी सड़कों से मिलायी जायं, जिससे हर एक आदमी वहां पहुंच सके और किसानों को बता सके कि ये-ये साधन हैं, इनसे आप काम लीजिये। तब हम कृषि की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रघुबीरसिंह (जिला एटा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय कृषि मंत्री के भाषण को ध्यानपूर्वक सुना। उनके भाषण का सारांश यह था कि अपने प्रदेश के उत्थान के लिये हमें कृषि का उत्थान करना आवश्यक है। उन्होंने वास्तविकता को भी नहीं छिपाया कि अब तक इस दिशा में हमको जितना अग्रसर होना चाहिये था उतना नहीं हो सके। मैं इसके लिये उनका आभारी हूं।

श्रीमन्, इसमें कोई सन्देह नहीं कि कृषि का उत्थान आवश्यक ही नहीं महत्वपूर्ण भी है। संसार के सभी जीवधारी, जैसे मानव, पशु, पक्षी, सबके जीवन का एकमात्र सहारा इसकी उपज है। इसलिये हमें इसके ऊपर सब से अधिक खर्च करना चाहिये और सब से अधिक ध्यान भी देना चाहिये। अब हमें यह देखना है कि इसका उत्थान क्यों नहीं हो रहा है। इसके उत्थान में रुकावट के दो मुख्य कारण हैं। एक दैवी प्रकोप और दूसरा सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। दैवी प्रकोप में बहुत से कारण ऐसे हैं जिनका कोई भी सरकार निराकरण नहीं कर सकती है, जैसे पकी हुई फसल पर तेज हवा का चल जाना, अधिक वर्षा हो जाना, कम वर्षा होना, कीड़े-मकोड़े आदि पैदा हो जाना, ओला, पाला पड़ जाना। कहां तक गिनाऊं, ऐसी बहुत सी आपत्तियां हैं। मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब भगवान को किसी को दंड देना होता है तो वह उसे किसान के घर में जन्म देता है। भगवान की मार के साथ-साथ सरकार भी हमको अपने दया का पात्र नहीं समझ रही है। मैं एक शुद्ध किसान हूं और किसानों की आपत्तियों को भली-भांति जानता हूं और उन्हें मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। जब हमारे कृषि मंत्री ने भी इस बात को माना कि कृषि का उत्थान प्रदेश का उत्थान है, हमारे मुख्य मंत्री ने भी एक दिन यही कहा था कि कृषि के उत्थान बिना प्रदेश का उत्थान होना सम्भव नहीं है और हमारे कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पिछली बार जब लखनऊ आये थे तो मैंने अपने कानों से यह कहते हुये सुना था कि हमारे देश का उत्थान कृषि के उत्थान पर निर्भर है, तो इतना सब होते हुये भी क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि नियोजन में जो अरबों रुपया इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च हुआ उसमें क्या कृषि पर खर्चे का अनुपात ठीक किया गया? मैं सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने देहात के लोगों की, खेती करने वालों की, उपेक्षा की जबकि इस प्रदेश की कृषक जनता ८५ फी सदी सरकार मानती है। तो क्या नियोजन का ८५ फी सदी रुपया कृषि के उत्थान पर लगाया गया? श्रीमन्, नहीं लगाया गया।

दूसरी मुख्य बात यह है, इस समय मुख्य मंत्री यहां नहीं हैं, उनसे ही निवेदन करना था, वह यह है कि यह सब कोई समझता है कि कृषि, सिंचाई और सहकारिता

इन तीनों में अटूट सम्बन्ध है और वह तोड़ा नहीं जा सकता है। यहां कौन सा न्याय है कि कृषि विभाग किसी मंत्री के पास है और सिंचाई किसी और मंत्री के पास है ? यह भी एक कारण है जिससे कृषि का उत्थान नहीं हो रहा है। मान लीजिये कृषि मंत्री जी की यह धारणा हो जाती है कि अमुक क्षेत्र में यदि सिंचाई की सुविधायें दे दी जायं तो उपज अच्छी हो सकती है, लेकिन सिंचाई मंत्री जी के दिमाग में वह बात नहीं है और उनका दृष्टिकोण कुछ और है तो दोनों के विचारों में टकराव हो सकता है मैं कहता हूं, कि ऐसा होना बहुत सम्भव है। इससे उपज में बाधा पड़ती है।

सिंचाई के बारे में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तीसरी बात यह कहनी है कि कृषि के उत्पादन और उद्योगों के उत्पादन के मूल्यांकन में संतुलन नहीं है। खेती की उपज पर तो हमारी सरकार नियंत्रण रखने की शक्ति रखती है, लेकिन उद्योगों में वह शक्ति काम में नहीं लाई जाती है जिससे किसान को अपनी पैदा की हुई चीज का मूल्य बहुत कम मिलता है और अपने उपयोग में लाने वाली चीजों को ज्यादा पैसा देकर खरीदता है। इससे वह फायदा नहीं उठा पाता है और वह गरीब होता है, उसमें शारीरिक दुर्बलता आती है और आर्थिक दुर्बलता भी आती है। श्रीमन्, अगर सरकार देखे तो मालूम होगा कि आज ५० फीसदी किसान बैल नहीं जोत पाते, भैंसा जोतते हैं। इससे भी उत्पादन में कमी हो रही है।

जब सरकार समझती है कि किसान की प्रति व्यक्ति आमदनी उद्योगपतियों के मुकाबले में बहुत कम है बल्कि २:७ का अनुपात है फिर क्या कारण है कि किसान के लिये कर्जे की दर ज्यादा है ? अगर आज वह बिजली का कनेक्शन ले तो उसको बिजली की ज्यादा दर देनी पड़ती है बनिस्बत उद्योगपतियों के। इस का सरकार के पास क्या जवाब है ? बीज जो किसान को दिया जाता है तो उससे सवाया वापस लिया जाता है। इतना तो महाजन भी लेते थे फिर हमारी सरकार ने क्या रिआयत की ? जब सरकार घोषित कर चुकी है कि ३ १/८ एकड़ वाली जोत अलाभकर है तो उनसे बराबर बीज ले और जो ९-१० एकड़ के किसान हैं उनसे भले ही सवाया ले। (लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मैं कुछ और समय चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता---अभी दो मिनट हैं।

श्री रघुवीरसिंह---श्रीमन्, इससे काम नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता---दो मिनट और ले लीजिये।

श्री रघुवीरसिंह---कर्जा लेने में यह बात होती है कि किसान को सूद की दर ज्यादा देनी पड़ती है..

श्री अधिष्ठाता---यह तो माननीय सदस्य कह चुके हैं।

श्री रघुवीरसिंह---अब मैं यह कहना चाहता हूं कि उद्योगपतियों को साधन दिये जाते हैं, सुविधायें दी जाती हैं और पैसा दिया जाता है, लेकिन किसानों को कर्जा भी ज्यादा सूद पर दिया जाता है। जो ऐसे किसान हैं जिन्होंने ट्यूबवेल बनवा लिये हैं और ट्रैक्टर उनके पास हैं तो सरकार उनको पक्की नाली आदि बनाने के लिये अनुदान दे, लेकिन सरकार ने ऐसा उदाहरण पेश नहीं किया है।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि किसान का सम्बन्ध हर एक विभाग से है भूमि सम्बन्धी कानूनों में भी सुधार होना चाहिए। आज हम यह देखते हैं कि एक-एक किसान के एक-एक मुकदमे में ५०-५० तारीखें पड़ती हैं हमारे जूडिशियल आफिसर्स के यहां और तब भी वह

[श्री रघुवीरसिंह]

तय नहीं हो पाता है और उसके बाद कानून कुछ ऐसे भ्रमपूर्ण बने हुए हैं--जिनका कि संशोधन एवं स्पष्टीकरण होना चाहिए--भ्रमपूर्ण कानून के कारण किसान को अपील करनी पड़ती है, बोर्ड तक जाना पड़ता है। भ्रम के कारण इस तरह की एक आदत सी बन गई है। उसमें किसान का अपव्यय होता है, वकीलों और अहलकारों की जेबें भरती हैं। यहां पर जो कानून बनता है वह अधिकतर वकीलों के द्वारा ही...

श्री अधिष्ठाता--इसका इस अनुदान से तो कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह--वह तो नहीं है, लेकिन किसानों से सम्बन्ध है। किसान की गरीबी उससे बढ़ी है।

इसके बाद श्रीमन्, ऋण के भुगतान में किसान के लिए यह चीज अनिवार्य न रखी जाय कि उसे गल्ला ही देना पड़ेगा। श्रीमन्, बहुत छोटे-छोटे किसान ऐसे हैं जो अपने खाने भर को ही गल्ला नहीं पैदा कर पाते। तो गल्ला अगर वह ऋण में दे देंगे तो खायेंगे क्या? वह अपना अन्य खर्चा पशुपालन से चलाते हैं और जो कर्जा वगैरह उनके ऊपर होता है उसे भी वह उसी से अदा करते हैं। तो मेरा यह भी अनुरोध है कि छोटे किसानों से कर्जा गल्ले के रूप में न भुगतान कराया जाय....

श्री अधिष्ठाता--लेकिन तब बीज कैसे बढ़ेगा?

श्री रघुवीरसिंह--इस तरह श्रीमन्, मेरा सारा समय बर्बाद हो जायगा और फिर आपको और समय देना पड़ेगा।

श्रीमन् कुछ सीमा सम्बन्धी आपत्तियां भी इसी तरह की हैं। हमारे जिले एटा के हेडक्वार्टर से केवल ४ मील की दूरी पर मैनपुरी जिला आ जाता है। पचासों गांवों की जनता आज एटा होकर मैनपुरी जाती है, उसे तैंतीस मील मैनपुरी जाना पड़ता है। तीन दिन का समय उसका बर्बाद होता है एक दिन जाने के लिए एक दिन वहां रहने में और एक दिन लौटने में। जिला एटा के इसी तरह से गंगापार में भी कुछ गांव हैं वहां के किसानों को उझियानी होकर एटा जाना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ विचार होना चाहिए कि किसानों को सुविधा मिले।

अब श्रीमन्, एक बात और कहनी है कि चूहों के लिए तो एक योजना माननीय मंत्री जी ने बनायी है लेकिन उनसे ज्यादा नुकसान कौवों और तोतों द्वारा होता है, तो उनका भी इन्तजाम मंत्री जी को करना चाहिए। एक मिनट और दे दें, श्रीमन्। फर्टिलाइजर के बारे में बड़े साहस के साथ मंत्री जी ने बड़े-बड़े आंकड़े दिए। उनका कहना ठीक भी है कि फर्टिलाइजर उनके पास बहुत है, पानी मांगो तो फर्टिलाइजर ले जाओ, बीज मांगो तो फर्टिलाइजर ले जाओ, कर्जा मांगो तो फर्टिलाइजर ले जाओ। हमारे जिले एटा में भी ऐसा ही हो रहा है। फर्टिलाइजर पहले ले लो फिर कोई चीज लो। मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री महोदय को जानना चाहिए और वह जानते होंगे कि फर्टिलाइजर केवल उसी भूमि में इस्तेमाल हो सकता है जो सिंचित हो। उनको यह भी ज्ञान होगा कि सरकार प्रदेश में अपने कार्य कलापों द्वारा केवल १४ फीसदी भूमि ही सिंचित कर पायी है। तो एक तो सिंचाई हो नहीं पाती है.....

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त हो गया।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने आदरणीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय, इस प्रदेश का किसान अधिक संख्या में एक मौरूसी किसान था। उसकी दृष्टि परलोक पर थी और वह वैज्ञानिकता से शून्य था। अंग्रेजों का बिगाड़ा हुआ यह समाज और खासकर के यह हमारा प्रदेश था जिनका कि ध्येय था कि--

"Poor peasantry and country pride.
If once spoiled never survive."

अर्थात् किसी देश के स्वाभिमान और किसानी को एक बार नष्ट कर दिया जाय तो वह कभी भी पनपता नहीं है। उसकी हमारी कांग्रेस सरकार ने रक्षा कर ली है और आज यह इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस प्रदेश में चाहे तीव्र गति से कहा जाय या मन्द गति से कहा जाय--वैज्ञानिकता की वर्षा हो रही है। आज किसानों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो रहा है चाहे उसे जापानी ढंग से खेती कहें, चाहे खादों का प्रयोग कहें, चाहे हरी खाद और मूंग नम्बर १ कहें, सब को वह अपना रहा है। पानी से खेती करना तो हमारी कांग्रेस सरकार ने इधर सिखाया है किसानों को वरना वह तो फसल बोकर के भगवान की स्तुति किया करता था, मन्त्र पढ़ा करता था--

"अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरप्राण वल्लभे,
ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं, भिक्षां देहि च पार्वती।"

हे अन्नपूर्णे तुम सदा परिपूर्ण हो। तुम हमें भिक्षा दो कि हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो। तब इस प्रकार की बातें थीं। तब वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते थे। अब खेती करने के लिये वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो रहे हैं। आज यह तो नहीं कहा जा सकता कि हम चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारा जो यह कृषि विभाग है इसको मैं एक झूठा कारतूस कहता हूं अनेक दृष्टियों से। यह हमारा जो सिंचाई विभाग है यह भी इसके क्षेत्र में नहीं है। विकास का क्षेत्र भी इस विभाग के अन्तर्गत नहीं है। यह उत्पादन जरूर करता है और उसके लिये यह हमारा उद्देश्य पूरक है और उद्देश्यपूरक हो रहा है। किसान के लिये जितनी धारणा आवश्यक है, इतिहास के पथ पर जहां उसको पहुंचने की आवश्यकता है, उसके लिये यही धारणा आवश्यक है कि अधिक अन्न का उत्पादन उसको करना चाहिये। मैं एक क्षण के लिये भी विश्वास नहीं करता कि इस देश में कृषि की उन्नति नहीं हुई है। कृषि की उन्नति हुई और विकास हुआ है लेकिन जिस गति से हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं और जिस उन्नत शिखर को देखना चाहते हैं वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं। इसमें सन्देह नहीं है कि अगर आप उसको खाद दे दें, अगर तीन पानी उसकी खेती को न मिले तो खाद उस फसल को जला देता है, तो यह सत्य है कि उन्नति हो सकती है।

यह भी सत्य है कि हमारे देश में इधर पिछले समय में एक घाघ नामक वैज्ञानिक उत्पन्न हुआ था। तब उसने कहा कि अगर हड्डी का चूरा किसान को पूरी तरह से मिल जाय तो ज्यादा उत्पन्न हो सकता है। उस समय उस पर जांच चल रही थी। किसान कहते थे कि हड्डी का चूरा हम लेंगे। परन्तु अब समय कुछ बदला है। अब वह कार्य और कारण को समझने लगा है। कार्य और कारण पर्यवेक्षण विज्ञान के ये तीन मेरुदंड के समान हैं। वह किसान आज वक्त के अनुसार चल रहा है। जैसी हमारी शिक्षा है, जैसे हमारे साधन हैं उन साधनों के अनुसार किसान उन साधनों को अपना रहा है। मेरे क्षेत्र में चकबन्दी हो गई। चकबन्दी से किसान कुछ उत्साहित नहीं रहता है। चकबन्दी का प्रबन्ध मेरे जिले में तीन वर्ष से हो रहा है। उसके अन्तर्गत किसान इतने छिन्न-भिन्न हो जाते हैं कि वह खेत में न तो खाद डालते हैं और न उसका मन उसमें लगता है उसका उत्साह उसमें एक तरीके से बुझ जाता है। कुछ यह भी है कि यह लैंड सिस्टम हमारे यहां बहुत दोषी है वहां अब तो उसमें भूमिधर और सीरदार रह गये हैं, लेकिन पहले जितने किस्म के

[श्री रामलखन मिश्र]

किसान थे और जिस प्रकार की आपत्ति यहां पर लैंड सिस्टम पर रही है वह सब किसान के मार्ग में बाधक रही है। किसान के हित को कम करने के लिये यह सब कारण रहे हैं। जो सीलिंग का हल्ला अब बोला गया है उससे भी वह घबराया हुआ है। हमारे देश का यह भी दुर्भाग्य रहा है कि कानून जो यहां पर बनते हैं उनके अर्थ इस प्रकार से लगाये जाते हैं कि हाई कोर्ट उनको उचित नहीं समझता। उन कानूनों में भाषा का दोष समझा जाता है। उसकी भाषा स्पष्ट नहीं कर सकते। उसके अन्दर अनेक अर्थ आ जाते हैं। इसलिये हमारे इतिहास में अनेक कारण हैं जिससे किसान उतनी गति से नहीं चल रहा है, लेकिन जितना प्रचार कृषि विभाग, विकास विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा हो रहा है उसके अन्तर्गत किसान प्रबलतर होता जा रहा है। मैं मानता हूं कि कमी बहुत है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा भी है और मेरी ऐसी धारणा है कि हमारी जो प्लानिंग है वह प्लानिंग की दृष्टि से किसानों के सम्बन्ध में बहुत उत्तम नहीं है। जहां हमने चकबन्दी कर दी है वहां पर हमें प्रांगरण से पूरे पानी के साधन करने चाहिये, वहां पर हमें कीटाणुओं को नष्ट करने के लिये साधन बनाने चाहिये। आप क्षेत्रीय रूप में अपनी प्लानिंग करते चलें। आज यह खंडित रूप में चल रही है। जब इसको खंडित रूप में आप लेकर चलते हैं तो हमारा उद्योग छिन्न-भिन्न हो जाता है। यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये। लेकिन हर दृष्टि से विचार करने के बाद हम खेती में उन्नति कर रहे हैं। जब कृषि-जात वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है तो किसान को द्रव्य अधिक मिलता है, वह प्रसन्न होता है।

मैं यन्त्रीकृत फार्मों की प्रशन्सा करता हूं। जो वहां पर धन-धान्य की उन्नति हो रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। हमारे मन्त्री जी, यह विज्ञान का जो फल है, उसको गांवों में लाना चाहते हैं। यह प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय है। इस अवसर पर मैं सरकार से चेतावनी के रूप में प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह जो कृत्रिम गर्भाधान की क्रिया है यह माननीय मंत्री जी को जितनी शीघ्रता से हो सके बन्द करवा देनी चाहिये। यह हमारी उन्नति का नहीं वरन् सर्वनाश का कारण बन जायगी। मातृत्व पर इसका असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ता है और कीटाणुओं के अंडे जो जीवकोषों में रहते हैं उनको रख कर कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है यह हमारे देश के इतिहास के विरुद्ध है, परम्परा के विरुद्ध है और यह आगे चलने वाला नहीं है। वात्स्यायन के कामसूत्र और फ्रायड के संकेत जो गर्भाधान के विषय में है वे सब यहां भी लागू होते हैं और मातृत्व के सामने जो यह विज्ञान सिर झुकाय न रहेगा तो इसका फल बहुत अनिष्टकर होने वाला है।

जीव जगत् में चूहों इत्यादि के बारे में बहुत कहा गया। संसार के यदि सारे जीव मार दिये जायं तो मनुष्य स्वयं ही मर जायगा। वनस्पति के मामलों में हमें बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिये।

अंत में हमारे कुछ माननीय सदस्य अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सके, कुछ ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप कर गये जो उचित न थे। इसका मुझे महान् दुख है। मुझे उन के प्रति आदर है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आगे हम इस प्रकार की परम्परा का पालन नहीं करेंगे और व्यक्तिगत आक्षेप न किये जायंगे।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, जो विरोधी दल की ओर से कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। आज कृषि की पैदावार में जहां तक मेरी नालेज है कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और उसके अन्दर अभी तक बराबर घाटा ही घाटा होता आ रहा है। जो स्कीमें बनायी जाती हैं वे मुकामी जगह से हासिल नहीं की जातीं बल्कि ऊपर से ही स्कीम बना कर गांवों पर लाद दी जाती है। हर गांव की मिट्टी और हालात अलग अलग होते हैं। और वहां अलग अलग ढंग से खेती की जाती है। मगर यहां आम तौर से एक स्कीम बना दी जाती है और उसी आधार पर सब काम किया

जाता है। सन् १९५४-५५ में हमारे खाद्यान्नों की पैदावार काफी बढ़ी, ५८.३ मिलियन टन्स हुई, उस समय और चीजों के मुकाबले में अनाज के भाव गिर गये। उस समय का प्राइस इंडेक्स मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्राइस उस समय ६४.८ थी और नान-एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ९१.६ और इस तरह से जो पहले था उसमें जो पैरिटी आयी वह ७०.७ की हुई और इस वजह से किसान को बड़ा लास हुआ। आज इस बात की जरूरत है कि पैदावार के साथ-साथ उस पैदावार के भाव की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिये। हमारे फायव ईयर प्लान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई काश्तकार ज्यादा प्रोडक्शन करे तो उसको ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी और उसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि और बातों के साथ साथ एग्रीकल्चर की पैदावार की कीमतें निर्धारण के लिये व्यवस्था करें और जिस प्रकार और चीजों में मुनाफे की व्यवस्था होती है वैसी ही यहां भी की जाय।

खेती की उपज में जो कमी हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे काश्तकार खेती के बारे में कुछ बहुत जानते नहीं। आप की आज्ञा से मैं सर जान रसेल, जो संसार के बड़े कृषि वैज्ञानिकों में है, की कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे हिन्दुस्तान के बारे में कही है :--

"Perhaps the most serious of all the difficulties is the lack of the educated agricultural middle classes in India."

भारत में जो औसत दर्जे का खेतिहर है उसका पढ़ाई की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं है। आज जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोली गयी है रुद्रपुर में, मुझे तो बड़ा शक है कि वहां खेतिहरों के लड़के पढ़ाये जा सकेंगे। उसका कारण यह है कि उनकी आमदनी हम नहीं बढ़ा रहे हैं। आज सीलिंग कर के उनकी आमदनी कम की जा रही है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उस एजूकेशन का खर्चा कैसे बरदाश्त किया जायेगा और सरकार वहां उन किसान बालकों को कैसे भेजने का प्रबन्ध करेगी।

आज हमारे प्रदेश में लगभग ९८ लाख एकड़ भूमि परती पड़ी हुई है जिस पर खेती की जा सकती है। अरबों रुपया हम गल्ला बाहर से मंगाने में खर्च कर रहे हैं। अगर वह रुपया इस जमीन पर खेती करने में खर्च हो और इस ओर सरकार कोई व्यवस्था करे जो आज तक नहीं की गयी है, तो इससे हमारे अनाज की पैदावार पढ़ सकती है। यह भूमि भूमिहीन किसानों को दी जा सकती है और इस तरह से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। जो हमारा एग्रीकल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट है उसको चाहिये कि वह प्रदेश के गांवों की मिट्टी को ले और अपनी लेबोरेटरी उसकी जांच करे और उसमें जिस खनिज पदार्थ की कमी हो उसके लिये उचित व्यवस्था करे। जहां-जहां जिस चीज की जरूरत हो, वहां वह चीज किसानों को दी जाय। मैं माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये और कदम उठाये जा रहे हैं वहां इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाय क्योंकि बगैर इसके अनाज की पैदावार नहीं बढ़ सकती।

अब मैं एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंन्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। आज तक एक भी स्टैन्डर्ड माडेल प्लाऊ नहीं बनाया गया है। और दूसरे कई तरह के हल बनाये जा रहे हैं मगर जिस तरह के स्टैन्डर्ड प्लाऊ की आज आवश्यकता है वह एक भी नहीं बनाये जा रहे हैं। आज ऐसे हलों को बनाने की आवश्यकता है जिसे किसान अपने काम में ला सके और अपने बड़े या छोटे खेत सुगमता से जोत सकें।

[श्री रघुरन तेजबहादुरसिंह]

एक बात और कहना चाहता हूं। श्रीमन्, बाहरी ढंग की खेती की बड़ी चर्चा की जाती है। मुझे इंडियन फार्मिंग पर अक्तूबर का ईशू पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें मैंने देखा कि बिहार के एक किसान ने एक एकड़ में चाइनीज मेथड से एक हजार मन पैडी पैदा की। यह इस इंडियन फार्मिंग पर निकली जो सरकारी अखबार है। इसको माननीय मंत्री जी ने भी पढ़ा होगा और उनके विभाग के अधिकारियों ने भी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अपने एग्रीकल्चरल विभाग के किसी एक्सपर्ट को भेज कर इसका पता लगवाया कि यह ठीक भी है या नहीं ? मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें सरकारी अखबारों में निकलती हैं उन पर सरकार को प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। अकसर यह भी अखबारों में निकलता है कि चीन जापान में ५ फीट गहरी जुताई होती है। किन्तु क्या यह सच है ? हमारे यहां एक धान तालाब में बोया जाता है। जब तालाब सूखा होता है तब उसको बो दिया जाता है। लेकिन जब उसमें ८–१० फिट पानी भर जाता है, तो वह धान भी पानी के ऊपर उठ जाता है। अब अगर यह कहा जाय कि उसकी ८–१० फीट जुताई हुई तो यह गलत ही होगा। मैं कहता हूं कि ८–१० फीट जुताई वाला कौन सा औजार है ? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलत प्रचार होते हैं उनकी रोकथाम होनी चाहिये, इससे कोई फायदा नहीं होता बल्कि और भ्रम व अंदेशतमीनानी होती है।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पहला सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि किसानों को अन्नोत्पादन के लिये जो बीज दिया जाये उस पर उनसे कोई सूद न लिया जाय। सिंचाई के लिये जो रुपया दिया जाता है उसमें उनको ५० परसेंट अनुदान के रूप में छूट दिया जाना चाहिये। और ५० परसेंट जो है उसमें किसान २५ प्रतिशत का श्रमदान करे और २५ प्रतिशत नकदी के रूप में लगावे। खेती की मेड़बन्दी के लिए विशेष प्रबन्ध करना चाहिए। आज जो वहां पर ऐग्रीकल्चर विभाग के कर्मचारी हैं उनका रिक्रूटमेंट किसानों के लड़कों में से हो, शहर के लड़कों को या जो ऐग्रीकल्चर से संबंधित नहीं हैं उनको कभी भी न रखा जाय। किसानों के लड़कों को ही जगह दी जाय जो ठोस जमीनी तौर से खेती करे। ऐसा न हो, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि रसभरी को आलू समझते थे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो खेती नहीं जानते हैं उनको कामदार आदि बनाकर भेज दिया जाता है, जो शहर के होते हैं फिर वह धान के अन्दर सेंवई या डंवरा की पहचान कैसे कर सकते हैं। साथ ही यह सुझाव देना चाहता हूं कि एक बात का और प्रयोग होना चाहिए कि खेतों में जो वीड्स, खर, पैदा हो जाता है उसको मारने के लिए कोई दवा का अनुसंधान होना चाहिए, जैसा कि और देशों में है, अमेरिका और कैलिफोर्निया आदि देशों में है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं कि रबी और खरीफ का जो आन्दोलन हुआ है उसका किसानों पर बहुत अच्छा असर पड़ा है और खेती की पैदावार बढ़ी है। यह बात तो होती ही है कि बहुत कुछ पैदावार का दारोमदार आकाशीय परिस्थिति पर है। दैवी विपत्तियां आ जाती हैं, सूखा और बूड़ा आ जाय तो उससे स्वाभाविक है कि फस्ल को नुकसान पहुंचे। लेकिन फिर भी अगर परिस्थिति अच्छी हुई, वर्षा ठिकाने से हुई और जैसा प्रचार किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों ने अच्छी खाद, पानी और अच्छा बीज जो सरकारी तौर से बीज गोदामों से दिये जा रहे हैं उसका उपयोग किया और उस ढंग को अपनाया तो उससे अवश्य लाभ होगा। किसान इसका साफ साफ फायदा देख रहे हैं और बड़ी तेजी से इस चीज को अपनाते जा रहे हैं। अच्छे बीज में, जो अच्छे किस्म का गेहूं, मटर, चना, जौ, धान है, इसका उपयोग और जो ड्रिबलर से बुवाई है इसको अपना करके लोगों में पूरा-पूरा उत्साह बढ़ता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब कि किसान अपनी पूरी की पूरी खेती इसी आधार पर करेंगे।

मान्यवर, जहां तक प्रचार का सिलसिला है, उसमें थोड़ी सी ढिलाई की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। मैं कहूंगा कि सरकारी कर्मचारी इस दिशा में कुछ थोड़े से और सक्रिय हो जायं और घूम घूम करके लोगों की मीटिंगें करें, समझायें, तो इससे ज्यादा किसान लाभ उठा सकेंगे। हमारे यहां बावजूद इसके कि इतना प्रचार किया जा रहा है और खेती की तरफ किसानों का ध्यान गया है, कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से पैदावार में कमी आती है। मसलन बड़ी तेजी से जमीन का कटाव हो रहा है। हमारे जिले में सई और गोमती नदियां हैं जो अपने किनारे की जमीन को हर साल बहुत बड़ी मात्रा में काटती जा रही हैं। उनको रोकने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी। अगर इनका कटाव नहीं रोका गया तो चाहे खाद दिया जाय, बीज अच्छा दिया जाय, सिंचाई की सुव्यवस्था भी की जाय फिर भी जमीन की उर्वरा शक्ति घटती ही चली जायगी। इसलिए इस दिशा में कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे जमीन का कटाव रुके और जमीन में जो खाद और कमाई दी जाय वह बनी रहे।

एक बात और देखी जा रही है कि दिनों दिन काश्तकारों की खेती के टुकड़े हो रहे हैं। नतीजा होता है कि खेत में मेंड़ पड़ जाती है और बहुत छोटी होती है, उनकी मेंड़ की ऊंचाई इतनी कम होती है कि बरसात का जो पानी गिरता है उसको पूरा पूरा रोक नहीं पाती है और वह सबका पानी खेती की उर्वरा शक्ति को लगातार बहाता चला जाता है, खाद भी बह जाती है और इस प्रकार खेती की शक्ति कम होती जा रही है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि लोग खेत की मेंड़ ऊंची करें और किसानों में, जब भाइयों में बटवारा हो तो खेत में गाटाबन्दी न करके नम्बर वाइज आपस में बटवारा करें। इस सम्बन्ध में सिंचाई के कुओं के लिये सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती है उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिंचाई की सुविधा के लिये सरकार ने कुओं के लिये तकावी देने का प्रबन्ध किया है। इस सुविधा की ओर काफी लोग झुके हैं और जहां पर नहर या ट्यूबवेल नहीं है वहां पर लोग कुएं बनवाकर खेती में तरक्की करना चाहते हैं। जो तकावी दी जाती है उस सिलसिले में नियम यह है कि जिस तारीख को तकावी मिलेगी उसके एक साल के अन्दर किसान कुआं बनवा ले और अगर उस समय के अन्दर वह नहीं बना पाता है और समय मांगता है, तो उसे एक साल का समय और मिल जाता है। मान्यवर, इस सिलसिले में ऐसा होता है कि जब तकावी मंजूर होती है तो उसे देते देते कुछ देर हो जाती है और उसके अलावा कुवां बनवाने के लिये कोयला और सीमेंट मिलने में दिक्कत हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि किसान दो साल के अन्दर भी कुवां नहीं बनवा पाता है, तो उस हालत में भी जबकि उस कुवें में थोड़ा काम ही बाकी रह जाता है, सरकारी कर्मचारी उसकी मुकम्मिल रिपोर्ट नहीं लिखता इसलिये तकावी का रुपया उससे वापस मांग लिया जाता है। और मान्यवर, मेरे यहां तो कुछ किसानों पर मुकदमे चलाये गये जिनका कि थोड़ा ही काम बाकी रह गया था, उन्होंने मियाद के एक दो महीने बाद ही उसको पूरा बनवाया था। इस व्यवस्था से किसान हतोत्साहित होते जा रहे हैं और वह जल्दी रुपया लेने के लिये तैयार नहीं होते। इसलिये अगर उस मियाद के कुछ दिन बाद भी वह कुवां बन गया हो तो उससे वह रुपया वापस नहीं लेना चाहिये। हां, यह अवश्य है कि जिनकी नीयत कुवां बनवाने की न हो, जिसकी रुपया खाने की नीयत हो उस से रुपया वसूल कर लिया जाय।

एक बात और है। एक तरफ तो सरकार खेती की तरक्की के लिये और पैदावार बढ़ाने के लिये नहरों और ट्यूबवेलों का इन्तजाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां सिंचाई के साधन एक तरफ बढ़ रहे हैं वहां दूसरी तरफ एक कमी दिखलाई पड़ रही है। जमींदारी विनाश के पहले जमींदार जाते जाते तालाबों के पट्टे लोगों के नाम कर गये थे या पटवारियों की कृपा से लोगों ने फर्जी तौर से उन्हें अपने नाम दर्ज करवा लिया। आज बहुत से तालाब तो टूट भी गये हैं। और उनमें खेती हो रही है या जो तालाब की शक्ल में हैं उनमें सिंचाई भी हो रही है, लेकिन उन तालाबों के पट्टे जिनके नाम हैं वे उनसे सिंचाई करना कभी भी बन्द कर देंगे,

[श्री नागेश्वरप्रसाद]

सिंचाई होने नहीं देंगे। तो एक तरफ तो सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ उतने ही साधन खत्म होंगे। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये कि आज भी जो तालाब की शक्ल में मौजूद हैं उनकी सरकार जांच करावे और उनको तालाब की ही शक्ल में रहने दिया जाय ताकि किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकें।

इसके अतिरिक्त मुझे यह निवेदन करना है कि पुराने कुंवों की मरम्मत और उनको गहरा करने के लिये प्रयत्न होना चाहिये। सरकार ने इस तरफ कुछ प्रयत्न भी किया है, लेकिन उसकी जानकारी अभी किसानों को नहीं हुई है। बहुत जगहों पर ऐसा है कि कुवों में पानी है, लेकिन उसकी कुछ ईंटें गिर गई हैं, कुछ बैठ गई हैं। तो ऐसे कुवों की मरम्मत करने के लिये अगर थोड़ी बहुत सहायता की जरूरत हो तो उसके लिये सरकार की तरफ से रुपया दिया जाय या नये सिरे से अगर उसी जगह पर कोई कुवां बनवाना चाहे तो उसको भी रुपया दिया जाय।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि बैलों के लिये, जो कि खेती के एकमात्र साधन हैं, बहुत कम तकावी दी जाती है। बैलों के लिये तकावी बढ़ाई जानी चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहां घोड़ा रोशन नाम की एक घास होती है जिसके सम्बन्ध में एक उत्तर में सरकार की ओर से बतलाया गया कि उससे बड़ा लाभ होता है, लेकिन हमारे यहां का अनुभव है कि बहुत ही नुकसान देह चीज है। हमारे यहां के किसान उससे परेशान हो रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये जिससे कि हमारे यहां के किसानों को उससे जो हानि हो रही है उससे उनको राहत मिले। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री टम्बरेश्वरप्रसाद--अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं दोनों ओर के उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने माननीय गेंदासिंह जी की बात को माना और पार्टीबंदी पर कम ध्यान दिया। जहां तक सुझावों का सवाल है इसमें अब कोई मतभेद नहीं रह गया है कि कृषक को सरकार की ओर से जो भी उपलब्धि हुई है वह नगण्य है। अधिक आंकड़े में नहीं दूंगा। माननीय उपमंत्री जी ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेरी पैदावार २ प्रतिशत बढ़ गयी है। जब हम सन् ५६ की पैदावार में कृषक की आमदनी देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही वह घट गयी है। जब कि ५६-५७ में वह १९४ रुपया हुई है, लेकिन जब पैदावार १४९ करोड़ की बढ़ गयी, लेकिन उससे जो आमदनी हुई वह १९३·५ रुपये ही रह गयी इसके अतिरिक्त दूसरी ओर अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि दूसरे जो रोजी के साधन हैं उनकी आमदनी बराबर बढ़ी है और वह अब ६७३·१ हो गयी है। जिन देशों को आप प्रगतिशील बताते हैं और जिनकी नकल करके आप उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं मैं उनके कुछ विचार जो वहां के विचारकों ने हमारे सामने रखे हैं रखना चाहता हूं। यह यू० एस० एस० आर० के एक विचारक ने लिखा है --

"Attention was directed to the fact that the rate of growth in agricultural production lagged badly behind industry and the growth of the urban population. Between 1940 and the end of 1952 industrial output had grown by 130 per cent and agricultural production by only 10 per cent. Industrial progress and the growth of the population in the cities created a much greater demand for agricultural raw materials and foodstuffs. In order to eliminate this gap, the Soviet Government drafted a programme for a drastic advancement of agriculture."

इसको देखकर उन्होंने अपने तमाम उद्योगों की योजना को बंद कर दिया और कृषि की ओर ही ध्यान दिया ताकि कृषि की आय में समानता आ सके। आप जो बातें हमें बताते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं वे हमको उसी प्रकार रुचिकर नहीं लगतीं जैसे एक रोगी को अच्छे-अच्छे प्रकार के खा` अच्छे नहीं लगते हैं । आपने जो कपड़े का उत्पादन बढ़ाया है, मोटरकारें बाहर से मंगाई हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उनको कैसे ले सकते हैं और कैसे उनमें सैर कर सकते हैं। इसी बात को देखकर मैंने यह मांग आपके सामने रखी कि जो आप दान के तौर पर देते हैं उसको भी न दें। हम भी आज कृषक वर्ग की ओर से पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि इस देश के उत्पादन को बढ़ाने में जितनी हमारी हड्डियां हैं, जितनी हम में शक्ति है उसका भी उपयोग होता तो हम आपको देते इस बात को बगैर देखे हुए कि आप हमें क्या दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा की जाती है। इस देश के कृषक से जब आप वोट लेने जाते हैं दो बैलों की जोड़ी के नाम पर तब तो आप कहते हैं कि ऐ किसान तुम राजा हो, तुम भगवान हो, आप हमारे सब कुछ हो। जब हम वहां जायेंगे तो आपकी उन्नति हम करेंगे, यह देश आपका ही होगा। देश आपका होगा, ये सब रेलें आपकी हैं, सब सड़कें आपकी हैं। तो उस मृगमरीचिका में जब आपने उसको फंसाया तो आज जो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहां बैठे हुए हैं उनको दुख होता है। उनको दुख इसलिये होता है कि उस समय आप प्रति व्यक्ति १९४ रुपये वार्षिक आय की बात भूल जाते हैं और यहां १,२०० रुपये और २०० रुपये महीने स्वयं वेतन लेते हैं। मैं उन तमाम माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जब तक कृषक का पूरा हिस्सा इस बजट में न मिल जाय तब तक इस बजट को पास करना कोई महत्व नहीं रखता। माननीय कृषि मंत्री जी की मैं इस बात में तारीफ करूंगा कि पिछले वर्ष जो उनको करोड़ दो करोड़ रुपया मिला उससे अपने मंत्रिमंडल को बखूबी उन्होंने चलाया। आपका जो कुछ लक्ष्य था वह कृषक को आगे बढ़ाने का था, लेकिन करोड़ों रुपये विश्वविद्यालय में लगा दिये गये, लाखों रुपये फार्म्स में लगा दिये गये तो उन फार्म्स में घाटे ही होते हैं। तो अधिष्ठाता महोदय, एक ओर मुझे तकलीफ होती है और दूसरी ओर कुछ सन्तोष भी होता है, सन्तोष इस बात का होता है कि अगर उन बचेखुचे फार्म्स में सरकार को कुछ फायदा हो जाय तो भगवान जाने वह कृषकों की हालत का क्या अन्दाजा लगा ले। जब सोलह आने तमाम पैसे लगाने के बाद भी हर साल उनको घाटा ही होता है तो समझ में नहीं आता कि कृषकों की हैसियत कैसे बढ़ती जाती है। भगवान न करे कि किसी दिन उनको उन फार्म्स में फायदा हो जाय तो न जाने वे हमको क्या समझ लें।

जब कृषि विश्वविद्यालय की बात सामने आयी तो श्रीमन्, मैंने यहां पर निवेदन किया था और इस सम्बन्ध में एक शंका व्यक्त की थी। वह शंका यह थी कि इसका कार्य प्रबन्ध ऐसे लोगों को सौंपा जायगा जिनका कृषि शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। ऐसे माननीय अधिकारी जो हिन्दी भाषा बोलने में असमर्थ थे, जो अपना भाव हिन्दी में नहीं व्यक्त कर सकते थे उन्हीं अधिकारी को प्रदेश की उस शिक्षा संस्था का भार सौंपा गया है। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि वह विश्वविद्यालय अधिक अमेरिका की ओर बढ़ता जायगा, लेकिन हमारी ओर अधिक बढ़ेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कृषि की शिक्षा बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैंने भी प्राप्त की है और उन शिक्षकों के बारे में जिन्होंने मुझे पढ़ाया मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति इस देश में हैं जो यहां की स्थिति को देखते हुए यहां के स्नातकों को शिक्षा दे सकते हैं और यह जो आज बचा-खुचा काम है थोड़ा बहुत उन्हीं के सहारे चल रहा है। अब उन्होंने इस शिक्षा को दूसरा मोड़ दिया है। अधिष्ठाता महोदय, अधिक आंकड़े में जाने का अब कोई समय नहीं रह गया है। इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो शिक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अगर इस देश में कृषि शिक्षा को बढ़ाना है तो उसमें यहां के जो साधन हैं और यहां के जो आचार्य हैं उनको सबसे पहले स्थान देना चाहिये। मैं मान सकता हूं कि वे विद्वान हैं और बहुत अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं जो इस बात को अच्छी तरह से

[श्री टम्बरेवश्वरप्रसाद]

जानते हैं कि किस तरह से देश में डाकुओं को कंट्रोल किया जाय, किस तरह से देश की और समस्यायें हल की जायं, लेकिन जहां तक कृषि शिक्षा का सवाल है वे उसके आचार्य नहीं हैं और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो प्रदेश की आंखें उस शिक्षा संस्था की ओर लगी हुई हैं उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। मैं आपके समक्ष यू० एन० ओ० की सम्मति कृषि के बारे में रखना चाहता हूं:—
"making a nation's agriculture show progress is like farming itself"
मुख्य उन का उद्देश्य यह है कि वह स्वयं कृषक की स्थिति में पहुंच जायं। जो अधिकारी ३० एकड़ या उस से कम भूमि की उपज से अपना जीवन यापन नहीं करते हैं वह ३० एकड़ या कम वाले कृषक की स्थिति को समझने में असमर्थ रहेंगे। इससे पहले चाहे यहां के जो कृषि अधिकारी हैं वह पसन्द करते हों कि अपने लड़के को कृषि की शिक्षा दिलायें, लेकिन आज जो हालत कृषि की है शायद ही कोई अपने किसी विद्यार्थी को कृषि की शिक्षा देकर फार्मिंग कराने की हिम्मत करे।

आपका प्रदेश आज किस हालत में पहुंच गया है? न यहां रोजी बढ़ी है, न एम्पलायमेन्ट में वृद्धि हुई है, न यहां की उपज बढ़ी है और इस के साथ-साथ जो हमारी मान्यतायें थीं कि जो जमीन उस को बची खुची होगी सीलिंग के सम्बन्ध को न मिलाते हुये आप उस को तुरन्त केपिटल फार्मिंग से जोड़ देते हैं। सीलिंग की तो समस्या ही बिलकुल अलग है, उस को इस से न मिलाते हुये यह बात ध्यान में रखने की है कि जो केपिटल फार्मिंग का समर्थन करते थे —जैसे श्री रघुवीरराम जी ने कहा और शंका की कि सीलिंग के बाद भी जो जमीन मिलेगी उस का कृषकों में ठीक से वितरण न होगा। और माननीय श्री उग्रसेन जी ने भी यही कहा कि सीलिंग के बाद भी जमीन का वितरण सही लोगों में न होगा। यह सब शंकायें इसलिये उठती हैं कि कल जो सरकार पिछले कल की बात कहती है वह अगले कल को करने को तैयार नहीं होती। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही माननीय कृषि मन्त्री जी से कहा था कि पुरानी जो आधारभूत मान्यतायें हैं आप उन से भी हटते चले जाते हैं।

आज ही समाचार-पत्र के मुख पृष्ठ पर मैंने देखा कि किस प्रकार गन्ने के कृषकों के ऊपर खंडसारी मिल में या क्रशिंग में गन्ने को गुड़ आदि बनाने के लिये रोक लगाई गई है। मिल के ऊपर गन्ना लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई कृषक चाहे कि उस का दस हजार मन गन्ना मिल ले ले तो मिल वाले कहते हैं कि हम से कोई मतलब नहीं, आप अपना गन्ना चाहे जहां ले जांय, और दूसरी ओर बिना सरकार की विशेष आज्ञा के या खासी फीस दिये हुये वह अपने गन्ने को गुड़-राब आदि बनाने में प्रयोग में नहीं ला सकते। यह पूंजीपतियों के साथ सहयोग नहीं है तो और क्या है यह मंत्री जी बतावें? क्या यह सहयोग कृषक के साथ है? जहांतक धान का सवाल है उस के लिये भी बड़ी-बड़ी मिल लगाकर केपिटल योजना बनाई जा रही है और कहा जाता है कि इस तरह से मिल में धान कुटाया जाता है तो वह चावल अधिक सफेद होता है। माननीय सदन के सदस्य ज्यादातर कुटा हुआ चावल खाते ही होंगे मैं जानना चाहता हूं कि गांव का कुटा हुआ जो चावल आता है क्या वह सब लाल ही होता है? हो क्या रहा है कि अगर कोई एक दो उद्योग गांव में बाकी रह गये हैं तो उन को भी किसी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में केन्द्रित कर के दे दिया जाय। जब कृषि के सम्बन्ध में आज इस प्रकार की सरकारी नीतियां हैं तो आज का कृषक किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे? मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में हमें नहीं बताया कि किस तरह से किसान अपना काम चलाये और इन परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति को सुधारे। हम से कहा जाता है कि आप सुझाव दीजिये। वह कहते हैं कि हम सहकारी खेती चाहते हैं, हम बड़े फार्म चाहते हैं क्यों वह मेकेनाइज्ड फार्म्स को सीलिंग से छोड़ रहे हैं? मैं उन से पूछना चाहता हूं कि जिस के पास ३० एकड़ भूमि है और जिस ने कृषि

को उच्च से उच्च शिक्षा पाई है, उसके लिये आप क्या स्टैंडर्ड एश्योर करते हैं ? जो अधिक से अधिक रुपया भी लगाना चाहता है उस के लिये आप की क्या योजना है कि जिस से वह बहुत नहीं तो कम से कम आपका जो निम्न से निम्न श्रेणी का अधिकारी स्तर रखता है उस स्तर की हम उसे गारंटी दे सकें ताकि कृषि में लोग टिक सकें, ताकि उस व्यापार में भी पलते रहें ? जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा जिस समय कृषक की बाकी कमर भी टूट जाएगी उस समय कितना भी प्रयत्न किया जाय वह उठ नहीं सकता । उस समय आपके हजारों वक्तव्य उसमें जान नहीं फूंक सकते, तमाम आफिसर जा कर भी कुछ नहीं कर सकते ।

अब मैं एक बार फिर आशा करता हूं कि इस प्रदेश की गरीब जनता के नाम पर आप अपनी नीति और रीति को बदलिये और अगर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं तो इस मंत्रालय को छोड़ दीजिये । कृषकों की मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं तो जगह छोड़ दीजिये, सम्भव है कोई आपसे अच्छा इस जगह पर आ जाय ।

***सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)**---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन दो दिनों में इस विवाद में हिस्सा लिया । जो जो सुझाव दिये गये हैं कोशिश होगी कि उनको जहां तक हो सके देखा जाय, उनकी जांच की जाय और जो सही सुझाव हों उन पर अमल करने की कोशिश की जाय । मैं इस दो दिन के विवाद के तमाम सुझावों और तमाम टीकाओं का उत्तर नहीं दे सकूंगा । उसके लिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं उन तमाम साथियों से क्षमा चाहूंगा जिनकी कोई बात रह जाय । केवल मुख्य-मुख्य बातों का थोड़े से में यहां जिक्र करूंगा ।

पेश्तर इसके कि मैं कृषि के संबंध में बात करूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फेयर में हमारा पैवेलियन बना था हमने बहुत देर में फैसला किया था उसमें भाग लेने का । हम सोचते रहे कि अगर हमको इससे छूट मिल जाय और इसमें हिस्सा न लेना पड़े तो जो साढ़े ५, पौने ६ लाख रुपये के करीब खर्च हुआ वह बच जाएगा और हमारे कर्मचारियों का वह समय जो वहां जाने में खर्च हुआ वह बच जाएगा । अन्त में हमको फैसला करना पड़ा कि हम उसमें भाग लेंगे और वह बहुत ही देर में हुआ । लेकिन फिर भी मुझे इस बात को कहने में हर्ष है कि हमारे पैवेलियन को इनाम मिला है उसके लेआउट और डेकोरेशन के लिये सेकिन्ड प्राइज उसमें मिला है । इसलिये यह कहना कि दूसरे अच्छे थे और हमारा खराब था निराधार है । उसमें कोई सत्य नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---रिमार्क बता दीजिये ।

श्री मोहनलाल गौतम---उसके रिमार्क पढ़े जा सकते हैं । इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं बताऊं ।

एक बात और निवेदन कर दूं । गन्ने के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। गन्ने के बारे में हम चाहते हैं कि उसकी पैदावार बढ़े । गन्ने की पैदावार फी एकड़ बढ़े यह हम चाहते हैं। उसके लिये प्रयत्न भी करना चाहते हैं जितना हो रहा है उससे ज्यादा और नई योजना जो इस समय बनी है उसका मैं जिक्र इसलिये करना चाहता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह जिक्र किया था कि इसकी उन्नति में कारखाने वालों से क्यों नहीं कुछ लिया जाता या उनको मजबूर किया जाता ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहनलाल गौतम]

अभी जो योजना बनायी गई है उसमें यह है कि ५,००० एकड़ जमीन कम से कम १ मिल अपने क्षेत्र में लेकर उसको डेवलप करने में सहायक हो। उसके लिये २,००,००० रुपया वह हर साल दे फ्री आफ इंटरेस्ट, २,००,००० रुपया दे, हर साल जिस पर सूद लिया जा सके और ५०,००० रुपया हर साल सबसिडी दे। यह एक योजना बनायी और इसको ४ फैक्टरीज ने स्वीकार कर लिया है—गोला, हरगांव, सिवहारा और एरा। इस प्रकार अगर हर बार इतना रुपया उनसे मिलता रहे और फिर केन सोसाइटीज और डेवलपमेंट काउंसिल्स की मदद हो, सरकार की और केन्द्रीय सरकार की मदद हो तो हम इसमें काफी तरक्की करने की आशा करते हैं। यह भी कोशिश है कि ५,००० एकड़ या जो भी रकबा लिया जाय, वह जहाँ तक हो सके उसको एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में न दिया जाय। यह दो सवाल देहरादून के माननीय सदस्य ने उठाये थे और मैं बता दूं कि इन दोनों पर हम अमल कर रहे हैं और योजना है कि अगर कोई फैक्ट्री इतना नहीं दे सकती वह १,००,००० रुपये फ्री आफ इंटरेस्ट दे और २०,००० रुपये हरसाल सबसिडी के रूप में दे। इस प्रकार से ४ फैक्ट्रीज तैयार हो गई हैं—तुलसीपुर, बलरामपुर, काशीपुर और सिओराही, मैं इसलिये कह रहा हूं कि यह चीज हमारे ध्यान में है और उस पर अमल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि मिल वाले भी इस तरक्की में कुछ मदद दें।

एक सवाल यह उठाया था कि प्रेस्ड मड और और कामों में आती है। तो केन कमिश्नर ने कह दिया कि प्रेस्ड मड किसानों को नामिनल दाम पर दी जाय ताकि उससे खाद बने।

जो भी बातें यहां माननीय सदस्यों ने कहीं उनमें सबसे जोर के साथ सीड के सम्बन्ध में कहा गया। बहुत-सी शिकायतें उसके सम्बन्ध में की गयीं जिनमें से कुछ तो बिल्कुल निराधार हैं, कुछ में जान हो सकती है। लेकिन मैं उस बहस में इस वक्त नहीं पड़ूंगा क्योंकि उसमें कई दिक्कतें हैं। पहला सवाल तो बीज के सम्बन्ध में यह है कि यह अंदाज नहीं है मुहकमे को कि कितने बीज की जरूरत होगी और किसने की नहीं होगी। कोई अन्दाज अभी तक नहीं है। अगर यह मालूम हो जाय, हर गांव सभा यह बता दे कि इतना बीज हम उठा लेंगे कम से कम एक साल पहले, नहीं तो ६ महीने पहले अवश्य मालूम हो जाय कि हम इतना बीज उठा लेंगे तो उतने बीज का इंतजाम हो सकता है। जुलाई, अगस्त में मालूम होने से काम नहीं चलता। तो होता यह है कि बीज हम इधर-उधर से लेने की कोशिश करते हैं पिछले साल भी ५,००,००० मन गेहूं का बीज पंजाब से लाने की कोशिश की, साढ़े तीन लाख मन लाये भी लेकिन उसमें से ढाई लाख मन बाकी रह गया। तो बीज के बारे में निश्चित नहीं रहता कि कितना बीज लगेगा। कोशिश यह है कि एक एकड़ भी जमीन बगैर बीज के बाकी न रह जाय। तो पहले से कोई अंदाज न होने के कारण कुछ दिक्कतें हैं। कहा जाता है कि समय से नहीं मिलता, मेरी कोशिश है कि समय से मिले और अगर माननीय सदस्य किसी बीज भंडार के वितरण की तारीखें बता दें कि गेहूं का बीज समय पर नहीं बंटा तो उसको ठीक किया जाय।

अब यह कहा जाता है कि जब वापस लेते हैं तो छाना जाता है और जब किसान को दिया जाता है तो छाना नहीं जाता है। मेरी समझ में नहीं आता दोबारा छानने की क्या जरूरत है? जो आता है वह छाना जाय और अच्छा बीज बनाकर उसे सीड स्टोर में बन्द कर दिया जाय तो जब किसान लेगा तो उसे छानने की क्या जरूरत है, वह तो छना हुआ रखा है। तो मैं यह कह रहा हूं कि सीड के सम्बन्ध में काफी दिक्कतें हैं। आगे हम यह चाहते हैं कि इस सीड का वन वे ट्रेफिक हो। अब तक तो टू वे ट्रेफिक है। देते हैं, फिर लेते हैं, देते हैं और फिर लेते हैं। नतीजा यह हो सकता है कि बीज हमने सब अच्छा रखा। एक-एक आना घटता गया और ३,४ साल में ऐसा घटा कि

सब खराब हो गया। लिहाजा बीज दिया जाय, लिया न जाय। सवाई के मानी होते हैं ६ महीने में २५ फीसदी और साल भर में १५६ फीसदी ब्याज होगा। जब दिया जायगा तो उसकी कीमत हमारे रुपये में आंक ली जाय और फिर जिस हिसाब से कोआपरेटिव का सीड रहता है उसमें हिसाब कर लिया जाय। इससे बहुत से झंझट बच जायंगे, यह फैसला हम कर चुके हैं और इसको हम लाना चाहते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान में। सवाई को १५६ फीसदी सूद माना जाता है, उसमें दिक्कत हो जाती है, क्या हो जाती है? इसलिये जब बीज लिया जाय तो १६ रुपये का भाव हो और जब दिया जाय तो १२ रुपये का भाव हो। तो सवाया लेने में १५ रुपये का ही तो हुआ, सवाई के मानी यह नहीं हो सकते कि २५ फीसदी इजाफा हो, यह भी हो सकता है कि घाटा हो।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--भावों में यह डिसपेरिटी क्या हमेशा रहेगी?

श्री मोहनलाल गौतम--रहेगी या नहीं रहेगी यह दूसरा सवाल है, लेकिन आज तो है। आज जब किसान बेचता है तो सस्ता देता है और जब खरीदता है तो महंगा खरीदता है, यह तो किसानों के नुमाइन्दों को मालूम ही है। इसलिये इसके समझने में क्या परेशानी है कि जब बीज बोने का समय होता है तो मंहगा होता है और जब फसल कटने को आती है तो सस्ता होता है?

हमारे सीड फार्म्स व मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में कहा जाता है कि वे सब घाटे पर चल रहे हैं और उसमें किसी आदमी की गुजर नहीं हो सकती। इसलिये उसकी मिसाल सामने रखी जाती है वह ठीक नहीं है किसान के लिये क्योंकि उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता। अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करूं कि एक २५ एकड़ के फार्म पर जो खर्चा आता है, माननीय इन्दुभूषण गुप्त जी ने कहा कि वे मुनाफा करते हैं और हम घाटा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे मजदूरों को क्या तनख्वाह देते हैं और कितने एम्पलायमेंट को खर्चा देते हैं। यह जो सीड फार्म २५ एकड़ का बनाया जाता है उसमें एक आदमी नौकर रखा जाता है सुपरिन्टेंडेंट। उसे ७५ से १२० वाले ग्रेड में तनख्वाह दी जाती है, मंहगाई भत्ता दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है, मकान जो १८ हजार की लागत का होता है वह मुफ्त दिया जाता है, इस तरह से देखा जाय तो कम से कम १५० रुपये उसको मिलते हैं। अगर किसान को इसके मैनेजमेंट में १५० रुपये मिल जायं तो वह संतुष्ट हो जायगा। इसके बाद एक हल चलाने वाला होता है जिसको तनख्वाह २७-१-३२ के ग्रेड में दी जाती है। महंगाई २० रुपये दी जाती है। उसके बाद पेंशन, छुट्टियां, मेडिकल एड और मुफ्त मकान दिया जाता है। तो ६०-७० रुपये उसको पड़ जाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उसको १५० रुपये क्यों नहीं देते हो?

श्री मोहनलाल गौतम--तो दो हल चलाने वालों को इतना दिया जाता है। मैं माननीय इन्दुभूषण जैसे माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो फार्म चला कर वह मुनाफा करते हैं उसमें वह क्या मजदूरी देते हैं, क्या रहने का मकान देते हैं, क्या छुट्टी देते हैं? मैं राजा साहब, मनकापुर से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मकान देते हैं, पेन्शन देते हैं?

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)--फिर भी पर एकड़ ईल्ड ज्यादा होगी।

श्री मोहनलाल गौतम--यह मैं मानता हूं, लेकिन आप जितना एक्सप्लायटेशन करते हैं उतना हम नहीं करते हैं (व्यवधान)।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप हमें मना करते हैं और वह बार-बार कहते हैं कि फार्म ओनर्स बतायें ।

श्री अधिष्ठाता—यह तो व्यवस्था का नहीं बल्कि अव्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—अगर माननीय मंत्री जी किसी का नाम लेकर कहें और वह उसका उत्तर दे तो क्या यह गलत होगा ?

श्री अधिष्ठाता—राजा साहब ने इंटरफियरेंस किया था तब उन्होंने कहा था ।

श्री उग्रसेन—मैं एक सूचना चाहता हूं । मंत्री जी क्यों नहीं यह वेतन क्रम उन फार्मों पर लागू करा देते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसके बाद २५ एकड़ के फार्म पर १२,५०० रुपये की कीमत पर दो फीसदी का ब्याज दिया जाता है । तो वह मालगुजारी से कहीं ज्यादा हो जाता है जो एक मामूली किसान देता है । १८ हजार रुपये की इमारत बनती है जिसमें लोग रहते हैं और सामान रखा जाता है । यह किसी प्राइवेट फार्म पर नहीं होता । इसके अलावा इरीगेशन के लिये १० हजार और लाइव स्टाक और डेड स्टाक पर ३,५०० रुपये खर्च करते हैं । इस प्रकार ४४ हजार रुपया खर्च होता है जब यह फार्म चलाया जाता है । उस पर ब्याज देते हैं जो ३६० रुपये होता है । डेप्रिशियेशन देते हैं । इस तरह का खर्च करने के बाद भी ऐसे फार्म्स मौजूद हैं जिन पर ५० रुपये से लेकर १४५ रुपये तक फी एकड़ मुनाफा होता है । यह जो कहा कि किसी फार्म पर फायदा नहीं होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे फार्म हैं जिन पर मुनाफा हो रहा है । यह बात सही है कि गवर्नमेंट स्टैंडर्ड से नहीं कर सकती जिस स्टैंडर्ड से प्राइवेट फार्म्स करते हैं और नहीं करना चाहिये । वह गलत होगा गवर्नमेंट के लिये, उसका खर्चा जरूर ज्यादा होगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा होगा ।

मैकेनाइज्ड फार्म के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि इस संबंध में बहुत-सी दिक्कतें हैं । वहां पर रिसर्च का काम होता है और भी काम होते हैं और उन पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह कह सकता हूं कि इसका जो कृषि का हिस्सा है वह घाटे पर नहीं चल रहा है और दूसरी वजूहात से वहां पर घाटा है ।

(इस समय ४ बजकर ३६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुये ।)

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि यहां एक बात कही गई थी कि हमारे यहां सर्विस रूल्स नहीं हैं । मैं निवेदन कर दूं कि हमारे यहां रूल्स हैं और यह अंधेरगर्दी का असर डाला जाता है कि रूल्स नहीं हैं । कोई भी डिपार्टमेंट नहीं चल सकता है जब तक कि सर्विस रूल्स न हों । इस विभाग में भी हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या फर्स्ट, सेकिन्ड और थर्ड क्लास के सर्विस रूल्स हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां हैं, और सब क्लासेज के हैं ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)—अधिष्ठाता महोदय, हमारा सवाल यह है कि यह किसान को कर्जदार क्यों बनाते जाते हैं उसको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते ?

श्री अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि मंत्री जी जो कह रहे हैं उसको आप सुन लें। मंत्री जी अगर नहीं सुनना चाहते हैं तब इस तरह से आपको खड़ा नहीं होना चाहिये ।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि किसानों को कैसे कर्जदार बनाया जाता है और आत्म-निर्भर न हों । यह विषय कल का है और कोई माननीय सदस्य कल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा ।

एक सवाल यह किया गया कि जमीन की जांच नहीं होती कि वह किस प्रकार की है और कैसी उसकी मिट्टी है और इसमें क्या-क्या कमियां हैं। मैं इतना ही निवेदन कर दूं कि मिट्टी की जांच होती है और काफी इस तरह के केन्द्र खुले हुये हैं जहां जांच होती है और यह बताया जाता है कि किस जमीन में क्या-क्या कमियां हैं और किस तरह से ठीक हो सकती हैं। कुछ पुस्तकें छप चुकी हैं और कोशिश यह है कि बाकी जिलों की भी छप जायं। फिर यह कोशिश होगी कि ब्लाक-वाइज बता सकें कि इस जमीन में क्या-क्या कमियां हैं और क्या-क्या डालने से जमीन ठीक होगी। जब तक यह नहीं बताया जायगा किसान गलत खाद दे देगा और उससे नुकसान हो सकता है।

(इस समय ४ बजकर ३९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पुनः पीठासीन हुये।)

जहां तक जमीन के कटाव को रोकने की बात है, उसका काम आठ जिलों में हो रहा है, जैसे आगरा, मथुरा, जालौन, झांसी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, टेहरी और लखनऊ। इसके संबंध में कुछ कानून में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और योजना बनाई है, १००/१०० एकड़ के टुकड़े ले लिये जायं और उनको रिक्लेम किया जाय। जिन दस जिलों में यह योजना है वे हैं हरदोई, उन्नाव, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। इन जिलों में ऊसर के टुकड़ों को लेकर कैसे रिक्लेम किया जाय इसके लिये कोशिश होगी और तजुर्बा होगा। अधिष्ठाता महोदय, श्री गेंदा सिंह जी ने एकाध सवाल उठाये थे। उनमें एक था क्राप कटिंग का। मैं सबका जवाब तो शायद नहीं दे पाऊंगा। एक सवाल उन्होंने उठाया था क्राप कटिंग का। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि यह कहना कि वह केवल पटवारी काट लेता है, यह बात सही नहीं है। यह कानूनगो के सुपुर्द है और दूसरे मुहकमों के दूसरे कर्मचारी भी इसमें हिस्सा लेते हैं। दो गवाह उस पर दस्तखत करते हैं कि यहां पर इस तारीख को फसल काटी जायगी। गांव का प्रधान मिल जाय तो ठीक, नहीं तो और दो गवाहों के उस पर दस्तखत होते हैं। फिर उसमें किसी को रोकथाम नहीं है। गांव में जो भी आना चाहे आ सकता है। कोई छिपी हुई चीज नहीं होती। खुली हुई चीज है और उसमें दो गवाहों के दस्तखत होते हैं.....

एक सदस्य—वह तो दफ्तर में बुलाकर ले लिया जाता है।

श्री मोहनलाल गौतम—अब जितने बच्चे हमने पैदा किये हैं, जो हमारे भाई-भतीजे सब अगर इतने ही बेईमान हो गये हैं कि जो सर्विस में जाता है वही बेईमान हो जाता है और बाकी जितने हैं वे ईमानदार हैं तो उसका इलाज तो कई जेनरेशन्स में होगा। इस प्रकार से कहने से मैं नहीं जानता कि क्या फायदा होता है? क्या सब सर्विस वाले जितने हैं, वह सब बेईमान हैं और बाकी सब ईमानदार हैं?

श्री उग्रसेन—अधिष्ठाता महोदय, यह माननीय मंत्री जी किसका जवाब दे रहे हैं? यह किसने कहा कि सब सर्विस वाले बेईमान हैं? यह मंत्री जी किधर जा रहे हैं? विषय पर बोलें वह।

श्री अधिष्ठाता—माननीय मंत्री जी आप लोगों के भाषणों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि दफ्तर में बैठकर वह लिख लिया करते हैं। इसके यही माने होते हैं कि वह बेईमानी से कागज भर लेते हैं।

श्री गेंदासिंह जी ने एक सवाल और उठाया था। उसे अगर वह किसी अच्छे ढंग से कहते तो उसका बड़ा असर पड़ सकता था। लेकिन वह कुछ रौ में बह गये। मेरे पुराने मित्र हैं। उन्होंने यह कहा कि एक चौधरी साहब हैं एनीमल हस्बेंडरी के कोई उन्होंने यह समझा

[श्री मोहनलाल गौतम]

कि अहीर हैं । चौधरी रामबल्लभ जी का नाम उन्होंने नहीं सुना जो कि ब्राह्मण थे, या बंगाली चौधरी भी होते हैं, चौधरी हर जाति के होते हैं । तो इस खयाल से उन्होंने एक सिफारिश कर दी एक अहीर की । अब उन्होंने उसे नहीं माना । तो उसका यहां मुकदमा दायर कर दिया हाउस में कि उसको निकाल दो और उसकी सारी कौम वालों को निकाल दो । वह ऐसा है कि एनीमल हस्बेंड्री में वह लोग होने चाहिये जो कि बैकवर्ड क्लास के हों, जो उनको जानते हों, जो जानवरों से सम्बन्ध रखते हों, तो यह बाम्हन-बनिये इसमें कहां से आ गये ? और चूंकि उन्होंने एक सिफारिश जिसकी को थी उसको उन्होंने नहीं माना, इसलिये उसका मुकदमा यहां दायर कर दिया कि उसको निकाल दो और उसकी कौम के सबको निकाल दो । यह बात जब माननीय गेंदासिंह कहते हैं तो मुझे दुख होता है कि आप सिफारिश से काम कराना चाहते हैं, धौंस से काम कराना चाहते हैं और नहीं होता है तो यहां आकर कहते हैं कि उसको निकाल दो और सब जितने हैं उसकी कौम के उनको निकाल दो । अगर उसमें इस बात को न जोड़ते और यह कहते कि भाई गाय-भैंस का काम अहीर का है उनको रहने दो, तो एक बात थी, लेकिन कहते हैं कि मेरे कहने से एक अहीर को नौकर नहीं रखा इसलिये तमाम बाम्हन-बनिये जितने इस मुहकमे में हैं उनको निकालिये । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के लिये जो राजनीतिक लोग हैं यह शोभा नहीं देता । यह पुराने जमींदारों के कारिन्दों के लिये कोई ऐसा कहता तो हो सकता था कि बहुत अच्छी चीज होती क्योंकि कारिन्दे इस काम को किया करते थे, लेकिन हम राजनीतिक लोगों को, नेताओं को, पार्टियों के नेताओं को यह कहना बहुत अच्छा नहीं होता ।

श्री गेंदा सिंह--अधिष्ठाता महोदय, अब मैं व्यवस्था का प्रश्न आवश्यक समझ कर उठाता हूं । मिनिस्टर साहब इस वक्त शुद्ध गलतबयानी कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न है । आप मेहरबानी करके देखें इस वक्त आपके सामने यह प्रोसीडिंग है कि मैंने यह कब कहा है कि मेरी सिफारिश नहीं सुनी गई इसलिये उनको निकाल दिया जाय जो इस मुहकमे में ब्राह्मण हैं ?

श्री अधिष्ठाता--जो बात आपने अपने भाषण में कही थी उसका वह अर्थ लगा रहे हैं । यह नहीं कह रहे हैं कि माननीय गेंदासिंह ने ऐसा कहा था ।

श्री मोहनलाल गौतम--अधिष्ठाता महोदय.....

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह सदन में क्या हो रहा है ? यह कहां का कायदा है जो आज यहां पर हो रहा है ? मैं कमरे में सुन रहा था । मुझे निकालने के लिये आप तैयार बैठे रहते हैं, लेकिन यह कहां का न्याय है ? क्या यही पंचायत का कायदा है ? सिद्धान्त की लड़ाई होनी चाहिये चाहे आप हों या और कोई हो । यहां तो औरतों की तरह से लड़ाई हो रही है जिसको न आप समझ सकते हैं और न हम समझ सकते हैं । इससे कोई फायदा नहीं है ।

श्री मोहनलाल गौतम--अब बहुत ज्यादा समय नहीं रहा है । मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--आप पार्टी बाजी में प्रदेश को बरबाद कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--आप बैठ जाइये ।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई सच बात कही जाती है तो शोर मचने लगता है । ऐग्रीकल्चरल एजूकेशन की बात कही जाती है । मैं यह कह सकता हूं कि इसमें कहीं ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है । इस साल बहुत ज्यादा रुपया बढ़ाया गया है । ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में जो नीति की बात कही, जिस आधार पर यहां पर ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल बनाया गया है वह इस हाउस ने पास किया है । इसलिये उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूं ।

यह भी कहा गया कि जिन अफसरों को वहां रखा गया है वह बहुत काम्पिटेंट नहीं हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं । मैं यह समझता हूं कि क्या उनको काम करना है, किस तरह से वहां पर प्रबन्ध करना है, इन सब बातों को विचार करके उनको वहां पर रखा गया है । मुझे इस बात का सन्तोष है कि जो अभी तक काम हुआ है वह काफी सन्तोषजनक है । मेरे लिये ही नहीं बल्कि और जो सम्बन्धित लोग हैं उनके लिये भी सन्तोषजनक है ।

सिर्फ एक बात कहकर बैठ जाना चाहता हूं कि जब इस तरह की मांग पर विवाद हो तो हमारे सोचने की बात यह है कि वह आलोचना मुद्दे पर, कोई कमी बतलाने पर या नीति पर हो तो ठीक है लेकिन उसका असर यह न हो कि सारे गांव वाले यह समझने लगें कि अब हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं.....

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---मैंने यह कहा था कि कृषि स्नातकों को कुछ नहीं आता ।

श्री मोहनलाल गौतम---जितनी आलोचना कर्मचारियों की या विभाग की हो उसमें यह बात देखने की है कि हम ऐसा वायुमंडल इस सदन में, जहां पर सारे प्रदेश के नुमाइन्दे मौजूद हैं, पैदा न करें जिससे किसान यह समझें कि उनकी कोई उन्नति नहीं हो रही है, तबाही हो रही है, नीचे जा रहे हैं और मुसीबत में जा रहे हैं । और अगर यह समझते हैं तो मैं यह कहता हूं कि यह देश के साथ न्याय करना नहीं होगा, देश को उन्नति की तरफ ले जाना नहीं होगा । यह देश के साथ विश्वासघात होगा उनके नुमाइंदों का जो यहां बैठकर देश को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---श्रीमन्, मैं मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---कहिये ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी---जो खर्चे की बात मंत्री जी ने बतलायी उसके साथ कृपया यह भी बतला दें कि जो डेली मजदूर उसमें काम करते-हैं कटाई, मड़ाई और गन्ना छीलने के लिये, उनको क्या मजदूरी दी जाती है ?

श्री अधिष्ठाता---कृषि मंत्री यदि उत्तर दे सकें तो दे दें ।

श्री मोहनलाल गौतम---गैर जरूरी है ।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । सरकार की गलत कृषि नीति व अन्नोत्पादन की वृद्धि के उचित उपाय में कमी का निरोध व सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गई ।)

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि मतदान लाबी में किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---ठीक है । हम इस पर विचार करेंगे ।

(घंटी बंद होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में---४७ ,

विपक्ष---में १४७ ।)

श्री भूपकिशोर---मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या सदन में कंघे-चोटी करना उचित है ?

श्री अधिष्ठाता---यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(कुछ ठहर कर) मैं सदन का समय १५ मिनट के लिये या जब तक यह ग्रान्टस पास न हो जायं, तब तक के लिये बढ़ाये देता हूं ।

अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३---कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और शोध---लेखा शीर्षक ४०---कृषि के अन्तर्गत ३,८५,४४,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१५४,

विपक्ष में---४७ ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं दूसरा कटौती का प्रस्ताव लेता हूं--- प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है, सरकारी पदोन्नति की आलोचना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री बलदेवसिंह---अधिष्ठाता महोदय, ५ बज गया ।

श्री अधिष्ठाता---मैं समय बढ़ा चुका हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५---लेखा शीर्षक : ४१---पशुपालन के अन्तर्गत १,९७,३८,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं तीसरा कटौती का प्रस्ताव लेता हूं । प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

कृषि योजनाओं पर अपव्यय तथा उनसे यथेष्ट लाभ न होना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक ७१--कृषि सुधार और शोध (Research) की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ९,६८,००,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
४ मार्च, १९६०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५३ पर)

विवरण-पत्र—सन् १९५९ में जिला गोरखपुर के महराजगंज, कोठीभार, श्यामदेउरवा व कम्पियरगंज के थानों के अन्तर्गत हुई चोरी, डकैती, राहजनी व कत्ल तथा उन में दंडित व्यक्तियों की संख्या

क्रम सं०	नाम थाना	चोरियों की सं०	दंडित व्यक्तियों की सं०	डकैतियों की सं०	दंडित व्यक्तियों की सं०	राहजनी की सं०	दन्डित व्यक्तियों की सं०	कत्ल की सं०	दण्डित व्यक्तियों की सं०
१	महाराजगंज ..	२३	७	१	..	..	..	..	..
२	कोठीभार	३५	४	१	..	..	..	१	३
३	श्यामदेउरवा ..	९	१	..	..	१	..	१	..
४	निचलौल	१२	९	..	..	..	..	१	..
५	कम्पियरगंज ..	२८	६	..	..	..	..	..	..

नत्थी ‘ख’

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

थानाध्यक्ष की सं० जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुयीं	थानाध्यक्ष की संख्या जिनके विरुद्ध आरोप सही पाये गये	थानाध्यक्ष की संख्या जिनके विरुद्ध आरोप सही नहीं पाये गये	कार्यवाही का विवरण
१९५८ २२	७	१५	५ को दुराचरण प्रविष्टि, १ को चेतावनी तथा १ को अफसर दोयम की हैसियत से स्थानान्तर कर दिया गया और दुराचरण प्रविष्टि भी दी गयी।
१९५९ २०	१०	१०	३ को दुराचरण प्रविष्टि, १ को निम्नतम वेतन पर अवनत किया गया और अफसर दोयम बना दिया गया, १ को अफसर दोयम बना दिया गया और ईमानदारी का प्रमाण-पत्र रोका गया, ३ को चेतावनी भी गयी तथा २ के विरुद्ध कार्यवाही शेष है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वितीय पंचवर्षीय शिक्षा आयोजन के प्रथम चार वर्षों की प्रगति

शिक्षा स्तर	वर्ष १९५६-५७		१९५७-५८		१९५८-५९		१९५९-६० (वर्तमान)	
	व्यवस्थित रकम	खर्च	रकम	खर्च	रकम	खर्च	रकम	खर्च
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१ बुनियादी शिक्षा ..	१,३७,२८,०००	९६,२३,७४२	२,०९,५१,४००	१,५४,७९,४१२	२,००,३१,४००	१,६८,४४,७७५	२,४४,४१,७००	अभी वर्ष चालू है अतः आंकड़े देना सम्भव नहीं है।
२ अन्य शिक्षा ..	१,४६,०१,४००	७१,४६,११६	१,४२,०९,०००	८९,८४,६५०	१,२०,८१,३००	१,२०,९४,३६१	१,२७,८०,७००	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

योजना से कम खर्च होने के कारण

(१) नये स्कूलों के लिए स्थान के चुनाव, अध्यापकों के चुनाव, स्टाफ की नियुक्ति, पाठशाला भवनों के लिए स्थानों के चुनाव, उनके प्राप्त करने की कार्यवाही, भवनों के नक्शे एवं तखमीने आदि के बनाने में समय लगा।

(२) सन् १९५७–५८ में विधान सभा आदि के चुनाव होने के कारण उस वर्ष का आय व्ययक अन्तिम रूप से अगस्त में पारित हुआ जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ। अतः योजनायें देर से कार्यान्वित हुयीं। उसी वर्ष भारत सरकार ने यह आदेश दिये कि भवन निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से पत्र व्यवहार में समय लगा और जब उन्होंने यह आज्ञा दी कि आवश्यक भवन निर्माण-कार्य किया जा सकता है तब वर्ष १९५७–५८ प्रायः समाप्त होने को आ गया और भवन निर्माण-कार्य में कोई विशेष प्रगति न हो सकी।

(३) १९५८–५९ में नियोजन आयोग द्वारा इस प्रदेश के लिए स्वीकृति संशोधित सीलिंग के आधार पर लगभग २२ लाख रुपये की कटौती शिक्षा योजनाओं में की गयी जिसके कारण कुछ योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और कुछ का प्रसार रोकना पड़ा।

(४) कुछ योजनायें विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के अभाव में विलम्ब से कार्यान्वित हुयीं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

१९६०–६१ की योजना के लक्ष्य

१—प्रारम्भिक शिक्षा

१,९०० प्राइमरी स्कूल, खोलकर उन में ३,८०० अध्यापकों तथा उन के निरीक्षण हेतु ७६ प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की जायगी। बालिकाओं के चार जूनियर हाई स्कूलों में संगीत शिक्षा का समावेश किया जायगा और १५० जूनियर हाई स्कूलों में पुस्तकालयों की स्थापना की जायगी।

२—माध्यमिक शिक्षा

५६ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया जायगा तथा १६ विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु और ९० विद्यालयों को पुस्तकालयों के लिये अनुदान दिये जायेंगे। शिक्षा में पिछड़े क्षेत्रों में कुछ चुने हुये विद्यालयों को अनुदान दिये जायेंगे।

३—विश्वविद्यालय शिक्षा

प्रादेशिक विश्वविद्यालयों को तथा डिग्री कालजों को पुस्तकालयों, विज्ञानशालाओं तथा स्टाफ हेतु अनुदान दिये जायेंगे।

४—अन्य शिक्षा योजनायें

शैक्षिक प्रदर्शिनी तथा नवयुवक दल आयोजित किये जायेंगे। प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के हेतु उपयोगी प्रकाशनों की व्यवस्था की जायगी। संस्कृत पाठशालाओं तथा प्राचीन पद्धति की अन्य संस्थाओं और भारत स्काउटों व गर्ल गाइड एवं एन० सी० सी०/ए० सी० सी० का प्रसार किया जायगा।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर) है

जिला जालौन में सन् १९५९ में १० डकैतियां पड़ीं, जिनका थानेवार विवरण निम्नलिखित है।

नाम थाना	तादाद डकैती	ग्राम
कोंच	१	सिमिरिया
कालपी	१	घमना
ऐट	१	दौलतपुर
जालौन	१	जालौन बंगरा रोड
रामपुरा	१	गढ़िया
रेंढर	३	मानपुरा, लोई, गड़ेरना
कुठोंद	२	मोतीपुर, जलालपुर

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर)

स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले राजनैतिक पीड़ितों की सूची जिनको सन् १९४७-४८ से १९५९-६० (२३-२-६० तक) पेंशन स्वीकृत किया गया ।

क्रम सं०	पेन्शन पाने वाले का नाम	मंजूर हुयी पेंशन की रकम
१	२	३
		रु० न० पै०
१	श्रीमती प्रमात्मा सान्याल पत्नी श्री सचिन्द्रनाथ सान्याल ..	७५.००
२	श्रीमती नवहैनमी देवी पत्नी श्री विश्वनाथ मुकर्जी ..	६०.००
३	श्री भुवावल यादव तथा श्रीमती कुवरी पत्नी श्री मुवावल यादव ..	३०.००
४	श्री द्वारिकाप्रसाद गोस्वामी	२१.२४
५	श्रीमती सूरजदेवी पत्नी श्री टेकू हज्जाम ..	३०.००
६	श्री चित्रानन्द ..	२१.००
७	श्री सत्यनारायण उपाध्याय	२१.००
८	श्रीमती जगवन्ती देवी पत्नी श्री सुक्खू बरई ..	२४.००
९	श्रीमती रजवन्ता पत्नी श्री सरजू हज्जाम ..	१५.००
१०	श्रीमती किशुनी पत्नी श्री जगतबली ..	१५.००
११	श्री गुरप्रसाद (वैद्य) ..	६०.००
१२	,, रामबली मिश्रा ..	२५.००
१३	,, भगतराज राम पुत्र श्री सिंह सावर ..	२१.००
१४	श्रीमती रुकमिनियां ..	२१.२४
१५	श्री धम्मी केवट ..	२०.००
१६	श्रीमती बुधिया, हरिजन, पत्नी श्री दल्ली हरिजन ..	२०.००
१७	श्री चुन्नीप्रसाद ..	२०.००
१८	श्री रामानन्द वरनवाल	२०.००
१९	श्री करननाथ पान्डे ..	३०.००
२०	,, बलिकरन सिंह ..	३०.००
२१	,, रामरेखा मिश्रा ..	३०.००
२२	श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री सन्तूप्रसाद विश्वकर्मा	२०.००
२३	श्री वर्मासिंह ..	२५.००
२४	,, कतवारू ..	२०.००
२५	,, हरिशंकर प्रसाद गुप्ता	७५.००
२६	,, ठाकुरप्रसाद ..	२०.००
२७	,, भगवतीप्रसाद गोरिया	५०.००
२८	,, रामजन ..	२०.००
२९	श्री श्यामबिहारी गौड़ ..	२०.००
३०	,, त्रिलोकीसिंह ..	२०.००
३१	,, श्यामलाल ..	२०.००
३२	,, सुन्दरसिंह ..	२५.००
३३	,, बलिकरन पासी ..	२०.००
३४	,, अब्दुल बारी अब्बासी	२०.००
३५	श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री गौरीशंकर मिश्रा	५०.००
३६	,, यशोदा देवी पत्नी श्री जमेन्द्र सिंह ..	२०.००
३७	,, जगरानी देवी पत्नी श्री सावरू प्रसाद ..	२०.००
३८	श्री मोती प्रसाद केवट ..	२०.००
३९	,, दूधनाथ ..	२०.००
४०	,, तेजबहादुर सिंह ..	२०.००
४१	,, श्यामबिहारी शर्मा	२०.००
४२	श्रीमती कैलापती देवी पत्नी श्री रामबली मिश्रा ..	२५.००

१	२	३
		रु० न० पै०
४३	,, कैलाशपती देवी पत्नी श्री गिरजादयाल सिंह श्रीवास्तवा ..	२०.००
४४	श्री कामताप्रसाद ..	२५.००
४५	श्रीमती चिरैया पत्नी श्री रूद्ध केवट	२०.००
४६	,, कलपी पत्नी श्री राम-दास तेली	२०.००
४७	,, रामकली देवी पत्नी श्री कोदई केवट	२०.००
४८	श्री सूरतनरायन पान्डे ..	२०.००
४९	,, नवालू हरिजन ..	२०.००
५०	,, तिलेश्वरसिंह ..	२०.००
५१	,, रघुबीर हज्जाम ..	२०.००
५२	,, रामचन्द्र सिंह ..	३०.००
५३	,, अब्दुल हमीद खां ..	३५.००
५४	श्रीमती राजीदेवी पत्नी श्री रामदास जैसवाल ..	२०.००
५५	श्री तेजई ..	२०.००
५६	,, बिन्देश्वरीप्रसाद पांडे	२०.००
५७	श्री रामदयाल ..	२०.००
५८	,, नागेश्वर ..	२०.००
५९	,, मती सिरताजी देवी	२०.००
६०	,, मती मातादेवी कलवार	२०.००
६१	श्री कमला राय ..	२०.००
६२	,, कुञ्ण सिंह ..	२८.००
६३	,, विक्रमादित्य सिंह ..	२०.००
६४	,, तिलकसिंह ..	२०.००
६५	,, रामकृपाल ..	२०.००
६६	,, झलरा ..	२०.००
६७	,, बलिकरन मिश्रा ..	२०.००
६८	,, श्रीपति सिंह ..	२५.००
६९	,, रामलक्षन सिंह ..	२०.००
७०	,, रामसमुझ मल ..	२०.००
७१	,, सुमपत ..	२०.००
७२	श्रीमती परमा देवी ..	२०.००
७३	श्री रामधन ..	३०.००
७४	,, गूगू दुबे ..	२०.००
७५	,, दयानाथ सिंह ..	२०.००
७६	,, पटेश्वरीप्रसाद ..	४०.००
७७	,, राजेश्वरप्रसाद शर्मा	२०.००

१	२	३
		रु०न०पै०
७८	,, रामवली तिवारी ..	२०.००
७९	,, विश्वनाथ सिंह ..	२०.००
८०	,, सल्लू ..	२०.००
८१	,, रामदेव ..	२०.००
८२	,, एस० एम० मूसा ..	३०.००
८३	,, महाबीर केवट ..	२०.००
८४	,, चिनगी ..	३०.००
८५	श्रीमती परमदेई पत्नी श्री काशीप्रसाद ..	२५.००
८६	,, दुआरा पत्नी श्री सरजू	२०.००
८७	श्री जनकराजा ..	२०.००
८८	,, सारसनाथ प्रसाद द्विवेदी	७५.००
८९	,, कमल बिहारी सिंह ..	२०.००
९०	,, बलराम दास ..	२०.००
९१	श्रीमती सामदेई पत्नी श्री झिगुर ..	३५.००
९२	श्री आदित्यप्रसाद ..	२५.००
९३	,, भृगुनाथ चतुर्वेदी ..	७५.००
९४	श्रीमती सोना, पत्नी श्री रामआसरे ..	२०.००
९५	श्री जयकुमार उर्फ श्री जन्तू	२०.००
९६	श्री भागू मुराई ..	२५.००
९७	श्री महादेव प्रसाद वैश्य	२०.००
९८	,, महाबीर हरिजन ..	२०.००
९०	,, सूरजबली शुक्ला ..	२५.००
१००	,, महाबीर प्रसाद ..	३०.००
१०१	,, रामदेव लाल राय ..	२५.००
१०२	बाबा सरजूदास ..	२०.००
१०३	श्री सर्वजीत दास ..	२०.००
१०४	,, जगन्नाथ राय ..	२५.००
१०५	,, रामआसरे बरई ..	२०.००
१०६	श्रीमती दुरपती पत्नी श्री जगदेव ..	१५.००
१०७	,, सावित्री देवी ..	२०.००
१०८	श्री बालेश्वर मिश्रा ..	२०.००
१०९	,, रामअलखसिंह ..	२०.००
११०	,, शिव वरन ..	२०.००
१११	,, अब्दुल अहद खां ..	१८.००
११२	,, नकई ..	२०.००
११३	,, बदरी ..	४०.००
११४	,, जंगबहादुर लाल ..	३५.००

१	२	३
		रु० न० पै०
११५	,, सागर त्रिपाठी ..	२०.००
११६	श्रीमती प्रसाद ..	२०.००
११७	श्री रामेश्वर दयाल मुख्तार ..	२५.००
११८	श्री मुनेश्वर ..	२०.००
११९	श्रीमती सुबुकुननिसा ..	५०.००
१२०	,, गजिया पत्नी श्री नरायन लोहार ..	२०.००
१२१	,, सनीचरा पत्नी श्री छागुर	२०.००
१२२	,, मुंगया पत्नी श्री सूरत बिन्द ..	२०.००
१२३	,, गुलाबी पत्नी श्री सुखदेव	२०.००
१२४	,, हेमान्चली पत्नी श्री शिवधारी ..	२०.००
१२५	श्री नौफिकिर सिंह ..	२०.००
१२६	,, बल्ली भर ..	२०.००
१२७	श्रीमती सूरजदेई ..	२०.००
१२८	श्री दशरथ कुर्मी ..	२०.००
१२९	,, लहुरी प्रसाद ..	२५.००

एक मुश्त अनुदान दिये गये राजनीतिक पीड़ितों की सूची

क्रम सं०	व्यक्ति का नाम	मंजूर हुए अनुदान की रकम
१	२	३
		रु०
१	श्री ब्रह्मा सिंह ..	५००
२	,, असमत मियां ..	५००
३	,, बलिभद्र पाठक ..	४००
४	,, रामाप्रसाद पान्डे ..	५००
५	,, हरिद्वार सिंह ..	५००
६	,, रामकिसुन उर्फ गोबर्द्धन	५००
७	,, आनन्द प्रसाद ..	५००
८	,, देवी प्रसाद गुप्ता ..	१,०००
९	,, रामाशंकर श्रीवास्तवा	५००
१०	,, अयोध्या सिंह ..	४००
११	,, प्यारे सिंह ..	४००
१२	,, भवानी प्रसाद गुप्ता ..	५००
१३	,, रामनाथ यादव ..	४००
१४	,, अब्दुलबारी अब्बासी ..	३००
१५	,, रामनक्षत्र शुक्ला ..	३००
१६	,, दशरथ प्रसाद द्विवेदी एक्स एम० पी० ..	५००
१७	श्री रामरेखा मिश्रा ..	१,०००
१८	,, भवानी प्रसाद गुप्ता ..	५००
१९	श्रीमती नरायनी देवी पत्नी श्री विश्वनाथ मुकर्जी ..	५००
२०	श्री हरिद्वार सिंह ..	५००
२१	,, बदरीप्रसाद आर्य	३००
२२	,, बिन्ध्याचल शर्मा ..	२५०
२३	,, रामा शंकर ..	५००
२४	,, दशरथ प्रसाद द्विवेदी	५००
२५	श्रीमती सूरज देई ..	२५०
२६	श्री विभूती ..	४००
२७	श्री लालजी उर्फ सुखदेव..	३००
२८	श्रीमती प्रतिभा सान्याल पत्नी श्री एस० एन० सान्याल	७५०

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७६ पर)

आयोजित प्रदर्शन में की गई मांगे निम्नलिखित हैं :—

१—अनावृष्टि के कारण सम्पूर्ण गोंडा जिला सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जावे। विशेष रूप से बलरामपुर, गोंडा और उतरौला तहसील पूर्णतथा तरबगंज तहसील का वह भाग जिसमें धान पैदा होता है। इस तहसील में मक्के का भी नुकसान हो गया है क्योंकि अन्त में अतिवृष्टि हो गयी जिससे मक्ई की लैरें भी सड़ गयीं और बालें जम तक जायं।

७२—लैंड रेवेन्यू मैनुअल के अनुसार लेखपालों का नुकसान मापने का तरीका अनुचित है क्योंकि रबी और खरीफ दोनों फसलों को मिला कर घाटा निकाला जाता है। अतः हमारी मांग है कि नुकसान का तखमीना प्रत्येक फसल का अलग-अलग लगाया जावे और तदनुसार उस फसल के लगान की माफी दी जावे। इस सम्बन्ध में वर्तमान नियमों में सरकार सुधार करे।

३—सम्पूर्ण जिला में टेस्ट वर्क शुरू किए जायं जिससे कृषक काम पा सकें और इसके साथ-साथ प्रत्येक पंचायत सेन्टर पर सस्ते गल्ले की सरकारी दुकानें खोली जावें ताकि उचित मूल्य पर उनको गल्ला मिल सके।

४—सूखाग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की इस सत्र की फीस माफ हो।

५—जितनी भी सरकारी वसूली है रोकी जावे जब तक कि रबी की फसल तैयार न हो जावे।

६—गन्ने का भाव कम से कम १ रुपया बारह आना प्रति मन हो।

७—हम किसान भाई किसी प्रकार की सहकारी खेती नहीं चाहते हैं हम लोगों को गुलाम बनाने की चाल है।

८—सिंचाई की दर आधी हो।

९—हमारी जो जमीनें नहर की नालियां या नलकूप बनाने में सरकार ने ही ले लिया है उसका बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी न तो आज तक मुआविजा ही मिला न लगान में छूट मिली। मुवावजा उचित लगाया जावे और जितना लगान उक्त भूमि के सम्बन्ध में लिया गया है वापस किया जावे तथा सम्बन्धित खातों का लगान अविलम्ब दुरुस्त किया जावे।

१०—हम किसानों के लिए अच्छे बीज तथा खाद की सहूलियत दी जावे तथा तकाबी का भी प्रबन्ध किया जावे।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७९ पर)

जिला फर्रुखाबाद की तहसीलों के उन गांवों की सूची जिनमें भूदान यज्ञ में भूमि दान की गई ।

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	गांव का नाम	दान में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
१	फर्रुखाबाद ..	१--मोहम्मदाबाद ..	०.८९
		२--शाऊपुर मजेरवाग राठौर ..	२७.९९
		३--जाजपुर बंजारा ..	०.८०
		४--मौधा ..	१३.९०
		५--हमीरपुर	२.००
		६--नवादा दोयम ..	०.५०
		७--ईसेपुर ..	०.२०
		८--सिरौली ..	८१.७०
		९--सुल्तानपुर	०.५८
		१०--बहोरनपुर टप्पा हवेली ..	२.५३
		११--पट्टी खुर्द	१.४३
		१२--सितवन पुर पिसू ..	१७५.२२
		१३--सनौडा पुर्था ..	०.३१
		१४--अलहदपुर भटौली ..	८.०५
		१५--छीतापुर कपूरापुर ..	०.२०
		१६--डगरापुर ..	०.५८
		१७--पिपरागांव ..	१.४३
		१८--नगला बाग रठौरा ..	१५.००
		योग ..	३३३.३१
२	कायमगंज ..	१--करनपुर गंगतारा ..	०.१८
		२--हैबतपुर ..	०.१०
		३--चंपतपुर ..	१.८७
		४--अखटुइयां ..	४१.६५
		५--बधौना ..	०.२४
		६--मिलिक सुल्तान ..	०.५३
		योग ..	४४.५७
३	छिबरामऊ	१--निगोह खास ..	१०.००
		२--सिल्हुआपुर ..	३८.००
		३--सकतपुर ..	२०.००
		४--तालग्राम	२०.७९

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	गांव का नाम	दान में प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल एकड़ में
		५--ग्रमोलर	०.१३
		६--तैपालपुर	६.४६
		७--ऊंचा	०.६८
		८--करमुल्लापुर ..	०.१०
		९--चित्तरपुर	०.२७
		१०--बिर्रा	०.७६
		११--तैराजाकट ..	०.२०
		१२--ग्रकबरपुर ..	१.६६
		१३--हसेरन	२.२१
		१४--बैसापुर	०.३०
		१५--बिहारीपुर ..	०.३४
		१६--हुसैननगर	०.२८
		१७--बनगवां	०.१८
		१८--बमरौली	०.४०
		योग ..	१०३.०६
४	कन्नौज ..	१--ग्रौसेर	५०.७०
		२--जनखत	३.१३
		३--हिसामुद्दीनपुर ..	१.१३
		४--भुन्ना	०.४०
		५--फखरपुर बरेवा ..	१.००
		६--सिकरोरी ..	०.७७
		७--मदनापुर ..	०.१०
		८--तिलसरा	०.०५
		९--नौरंगपुर नगरिया ..	१.५४
		१०--पुरवा महते ..	२.५६
		११--ठठिया	१६.५०
		१२--बहोर्सा	१.३६
		१३--रामपुर मझला ..	२.००
		१४--छोछापुर ..	०.२०
		योग ..	८१.४४

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

हरदोई जिले में सालभर काम करने वाले तथा फसली कलेक्शन अमीन और चपरासी और उनमें से हरिजन अमीन और चपरासी की संख्या निम्नलिखित है:—

	साल भर काम करने वाले	फसली	योग
१—जिले के कुल कलेक्शन अमीनों की संख्या. .	१५५	१	१५६
२—जिले के हरिजन कलेक्शन अमीनों की संख्या	१४	१	१५
३—जिले के कुल कलेक्शन चपरासियों की संख्या	१५५	१५५	३१०
४—जिले के कुल कलेक्शन हरिजन चपरासियों की संख्या	२८	२८	५६

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

'क'

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग-अलग तहसीलों की सन् १३६७ फसली की सम्पूर्ण मालगुजारी, वसूली और बकाया निम्नलिखित है :—

जिला का नाम	तहसील का नाम	सम्पूर्ण मालगुजारी १३६७ फसली	वसूली	बकाया
		रु०	रु०	रु०
गोरखपुर	महाराजगंज ..	११,३१,०४३.८२	८,३३६.६४	११,२२,७०३.८८
	फरेन्दा ..	६,६८,२६४.६७	५,११०.८५	६,६३,१८४.१२
	बांसगांव ..	१३,७६,३८२.७१	१,११७.१०	१३,७८,२६५.६१
	सदर ..	१७,८२,६०८.५३	१,१०७.१७	१७,८१,८०१.३६
	योग	५२,६१,६३०.०३	१५,६७५.०६	५२,४५,६५४.६७
बस्ती ..	डुमरियागंज ..	*६,०६,५४८.३६	६६,२२७.८६	८,१०,३२०.५०
	बांसी ..	७,६३,६६७.८२	८७,८२०.२४	७,०६,१४७.५८
	हरैया ..	११,६७,३३६.३३	५५,८८०.३६	११,४१,४५५.६७
	बस्ती ..	११,७३,२८६.२१	१,३१,२२३.६२	१०,४२,०६५.५६
	खलीलाबाद ..	६,१६,३८०.७८	१,२७,४६०.४५	७,६१,६२०.३३
	नौगढ़ ..	८,७३,०६१.७४	२,४२,४६३.८८	६,३०,५६७.८६
	योग ..	५८,६६,६१४.२४	७,४४,१०६.४१	५१,२२,५०७.८३
आजमगढ़	सदर ..	१०,७१,२७६.२८	२५.६६	१०,७१,२५०.३२
	फूलपुर ..	१२,६१,५३६.६३	१३१.१६	१२,६१,४०८.७४
	लालगंज ..	६,३७,२५१.५०	२६२.८३	६,३६,६८८.६७
	मुहमदाबाद ..	६,६५,६५५.२८	२६३.३२	६,६५,६६१.६६
	घोसी ..	१०,०७,८५१.१६	१५.००	१०,०७,८३६.१६
	सगड़ी ..	१०,१६,६६४.३०	६६.५०	१०,१६,८६४.८०
	योग ..	६२,६०,८६८.४८	८२७.८०	६२,६०,०४०.६८
देवरिया	हाटा ..	११,५०,७६५.००	१६,०००.००	११,३१,७६५.००
	पडरौना ..	१५,३८,७७६.००	६,८८६.००	१५,२८,८६०.००
	देवरिया ..	१२,३१,८४६.००	६,६१६.००	१२,२१,६३०.००
	सलेमपुर ..	१४,५१,६६४.००	२१,२७६.००	१४,३०,६८८.००
	योग ..	५३,७३,३८४.००	६०,०८१.००	५३,१३,३०३.००

*बस्ती जिले के आंकड़े केवल खरीफ १३६७ फसली के हैं।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

'ख'

गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती जिलों की अलग-अलग तहसीलों में खरीफ १३६७ फसली में कुल तकाबी वसूली और बकाया का विवरण निम्नलिखित है:

जिला का नाम	तहसील का नाम	तकावी की सम्पूर्ण मांग	वसूली	बकाया
		रु०	रु०	रु०
गोरखपुर ..	महाराजगंज ..	२,६५,१६७.४१	४८५.३१	२,६४,६८२.१०
	फरेन्दा ..	२,५१,५०३.७०	२९.००	२,५१,४७४.७०
	बांसगांव ..	५,०८,९९४.८५	७७३.९२	५,०८,२२०.९३
	सदर ..	६,३२,२५५.६२	४,२१४.००	६,२८,०४१.६२
	योग ..	१६,५७,९२१.५८	५,५०२.२३	१६,५२,४१९.३५
बस्ती ..	डुमरियागंज ..	३,९३,४८०.७८	१,१९५.००	३,९२,२८५.७८
	बांसी ..	३,०७,७०२.९०	२५.००	३,०७,६७७.९०
	हरैया ..	४,७८,०४३.८३	७९४.८३	४,७७,२४९.००
	बस्ती ..	३,३३,२५८.३९	७७४.००	३,३२,४८४.३९
	खलीलाबाद ..	२,४४,२२९.२२	१,८७२.५८	२,४२,३५६.६४
	नौगढ़ ..	१,६९,०३५.४०	१६.६३	१,६९,०१८.७७
	योग ..	१९,२५,७५०.५२	४,६७८.०४	१९,२१,०७२.४८
आजमगढ़ ..	सदर ..	६,४९,२२४.२६	—	६,४९,२२४.२६
	फूलपुर ..	३,४६,३१३.८७	७५.००	३,४६,२३८.८७
	लालगंज ..	४,०५,१८८.५१	२६१.००	४,०४,९२७.५१
	मोहमदाबाद ..	३,६८,१०७.१८	२५७.३७	३,६७,८४९.८१
	घोसी ..	४,०६,५१०.७५	१७८.००	४,०६,३३२.७५
	सगड़ी ..	५,४४,०७३.८८	३८५.१२	५,४३,६८८.७६
	योग ..	२७,१९,४१८.४५	१,१५६.४९	२७,१८,२६१.९६
देवरिया ..	हाटा ..	७,६५,३७४.००	३८६.००	७,६४,९८८.००
	पडरौना ..	११,१६,४४५.००	५०.००	११,१६,३९५.००
	देवरिया ..	१०,०२,९४०.००	१,६६७.००	१०,०१,२७३.००
	सलेमपुर ..	७,११,१४६.००	—	७,११,१४६.००
	योग ..	३५,९५,९०५.००	२,१०३.००	३५,९३,८०२.००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८२ पर)

'ग'

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मालगुजारी बकाया जो ३० नवम्बर, १९५९ तक स्थगित थी	तकावी बकाया जो ३० नवम्बर, १९५९ तक स्थगित थी	१३६७ खरीफ की मौजूदा मालगुजारी की मांग जो अभी स्थगित है
		रुपया	रुपया	रुपया
१	मुरादाबाद	५७.८६	..	६,६१०.००
२	शाहजहांपुर	४,३७,०००.००	२,४८,९४८.००	१,६७,६६८.००
३	कानपुर	१५,११८.४५	२,९६६.४४	३६,९१९.६३
४	फतेहपुर	८७,७७९.१८	५७,५६९.७८	२,७४,०४७.००
५	इलाहाबाद	५,१३,३४६.००	२,२०,१६९.००	१०,२१,४८३.००
६	वाराणसी	४,७०,८०७.००	१५,१४,६२८.००	२,३९,६९०.९२
७	मिर्जापुर	४,२२,७०६.२३	५,२३,३१८.८५	१,८७०.००
८	जौनपुर	१०,५७,२८९.०१	७,२६,७६७.५१	२,५९,१४३.०७
९	गाजीपुर	३,७७,१२८.००	७,६४,२५७.००	४,११,३१५.००
१०	बलिया	१,८८,१८७.९७	१,०९,६४३.१४	५,१५,९८१.४२
११	गोरखपुर	१२,९५,२३८.७१	१६,५७,९२१.५८	५,१७,३२१.४२
१२	बस्ती	८३,२००.९९	१४,७९,२८१.८४	१२,७१,९७०.२१
१३	आजमगढ़	१२,६४,०८०.४५	१९,३४,१९७.११	१५,१३,७८६.९८
१४	देवरिया	५३,७३,३८४.००	३५,९५,९०५.००	६,०३,८९५.१७
१५	लखनऊ	२,३३,०९७.००	२,७६,७२२.००	५०३.५३
१६	उन्नाव	५,३४,८५५.००	३,०५,६६०.००	६६,२२१.००
१७	रायबरेली	१,७५,०६०.००	१,५१,०२१.००	१,२६,८३१.९०
१८	सीतापुर	५,१७,२५८.३९	६,४७,६८४.९७	४,२६,९१५.२५
१९	हरदोई	१०,४२,६६३.७०	९,३९,३२५.६९	४,४२,७९३.०४
२०	फैजाबाद	७,५८,५७६.००	१,७८,३९२.००	१४,७०,५४५.००
२१	गोंडा	९,०८,१०२.२७	२,५८,७८४.२४	४,०७,०४२.०७
२२	बहराइच	६,३४,०१८.२०	३,२०,३६४.०१	३,३१,९९२.००
२३	सुल्तानपुर	११,९९,१५०.१५	१,७२,३६६.०२	९,८५,२९३.८८
२४	प्रतापगढ़	२,९८,५८६.७३	१,७६,५४६.२३	८,८८,४३१.००
२५	बाराबंकी	७,५४,९०४.००	२,८३,०१६.००	२,२९,४७९.०८
	योग ..	१,८६,४१,५९५.२९	१,६५,४५,४५५.४१	१,२३,१७,७४९.५७

'नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

३१ जनवरी, १९६० को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेपर बुक न छपे होने के कारण वर्षवार विचाराधीन फर्स्ट सिविल अपीलों की तालिका

वर्ष जिसमें अपीलें दायर हुई थीं	विचाराधीन फर्स्ट अपीलों की संख्या	
	इलाहाबाद	लखनऊ
१९४७	५	..
१९४८	५१	३
१९४९	५३	२
१९५०	१७८	६
१९५१	२८५	२
१९५२	२८२	११
१९५३	२४७	१६
१९५४	२८०	५१
१९५५	२५६	५६
१९५६	४१८	६०
१९५७	३२६	४९
१९५८	३५७	१३
१९५९	२८८	..
१९६०	२६	..
योग ..	३,०५२	२६९
बृहद् योग ..	३,३२१	

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

सन् १९५८-५९ और १९५९-६० में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों में वितरित धन का विवरण निम्न प्रकार है:

	सन् १९५८-५९	सन् १९५९-६०
	रु०	रु०
हरिजन छात्रों में वितरित	२१,७८०	२३,०५६
पिछड़े वर्ग के छात्रों में वितरित	१६,५६७	१७,८५१
योग ..	३८,३४७	४०,९०७

मत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

इसका विवरण प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग निम्न प्रकार है :

	छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों की संख्या	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या
सन् १९५८-५९		
१—हरिजन	४०१	१,१८७
२—पिछड़ा वर्ग	३३९	७१९
योग . .	७४०	१,९०६
सन् १९५९-६०		
१—हरिजन	३७७	१,१८२
२—पिछड़ा वर्ग	३६८	९५०
योग . .	७४५	२,१३२

नत्थी 'थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८७ पर)

कानपुर शहर व जिले के मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूलों के नाम जिनको ग्रांट-इन-एड नहीं मिलती

१—श्री प्रताप विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल ।

२—नीलाना मुहम्मद अली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल ।

३—सी० पी० कृषि उद्योग हायर सेकेंडरी स्कूल, मूसानगर ।

४—श्री कस्तूरबा विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल ।

५—म्युनिसिपल गांधी स्मारक हायर सेकेंडरी स्कूल, गोविन्दनगर ।

६—केसर कलेक्टी हायर सेकेंडरी स्कूल, मकनपुर ।

७—महात्मा गांधी विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, चिलौली ।

८—सेंट फ्रेंसिस जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल, अशोकनगर ।

९—श्री रामरतन हायर सेकेंडरी स्कूल, कंचौसी बाजार ।

१०—अकबरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, अकबरपुर ।

११—गवेल हायर सेकेंडरी स्कूल, बरौर ।

१२—श्री गांधी विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, झींझक ।

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर)

सूची

क्रम-संख्या	नाम तहसील	इस समय चल रहे टेस्ट वर्क्स का नाम	अब तक हुये व्यय की धनराशि
१	२	३	४
			रु०
१	लालगंज ..	१—मेहनगर-पल्हना ..	११,७७०.२५
		२—लालगंज-तरवा ..	१४,२९६.७१
		३—कम्हरिया-रासेपुर ..	१८,७६१.०७
		४—हरि बन्ध ..	१,५६५.२०
		५—अहिरौली-गोरहरा ..	११,४३४.४५
२	घोसी ..	१—सूरजपुर-मधुवन ..	१०,८३६.८३
		२—बलभद्रपुर-पोवा ..	५,८८३.४६
		३—मधुवन-दुवारी-परसिया ..	२,९१८.७३
३	सदर	१—कप्तानगंज-गौरा ..	१०,७७२.७८
		२—निजामाबाद-मुंडियार ..	४,८७६.६१
		३—रौंसगपुर-टीकापुर ..	२,६२३.१८
		४—उंजोगोदाम-शाहखजुरा ..	२५५.४४
		५—गंभीखन-गोठांव ..	२४३.१२
४	मुहम्मदाबाद ..	१—बड़ुवा गोदाम-मियरीखीह ..	१२,०१०.८०
		२—फतेहपुर-सरसेना ..	१९,४९७.४०
		३—जहानागंज-जिगरसंडी ..	७,१००.२१
५	फूलपुर ..	१—पवई-मित्तूपुर ..	१७,५४७.८६
		२—कप्तानगंज-अहरौला ..	७,४७६.६१
		३—मार्टिनगंज-लसड़ा ..	२,९०९.८९
६	सगड़ी	१—जैगहा-बिन्दवल-कंधरापुर ..	८,२५०.४२
		२—लाटघाट-मदनापार ..	१,८१८.२०
		३—विजरवा पोखरा ..	१,१४०.३१
		४—अंजान शहीद पोखरा ..	१४३.१२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

प्रदेश के अन्य होम्योपैथिक, एलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक कालेजों को वित्तीय वर्ष १९५८-५९ तथा १९५९-६० में उपलब्ध अनुदान का विवरण

होम्योपैथिक कालेज

	१९५८-५९ अनावर्तक रु०	१९५९-६० अनावर्तक रु०
१--होम्योपैथिक कालेज, इलाहाबाद ..	१२,०००	५,०००

एलोपैथिक कालेज

	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०
मेडिकल कालेज, लखनऊ ..	१,९६,७६०	७,००,४०१	२,०३,५२४	५,९४,८७०

नोट--लखनऊ मेडिकल कालेज को चालू वित्तीय वर्ष में १,४४,००० रु० (आवर्तक) तथा ३,०८,७८२ रु० (अनावर्तक) अनुदान दिया जाना निश्चय हुआ है।

आयुर्वेदिक कालेज

	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०
१--आयुर्वेदिक कालेज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी	..	१,००,०००	—	१,००,०००
२--तिविया कालेज, मुसलिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ..	..	५०,०००	—	५०,०००
३--ललित हरी आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत ..	१७,०००	५४,२००	—	५४,२००
४--गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	१६,०००	२०,०००	—	२०,०००
५--ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज, हरिद्वार ..	१४,०००	५५,९००	—	५५,९००
६--बुन्देलखंड आयुर्वेदिक कालेज, झांसी	१४,०००	५४,०००	—	५४,०००
७--यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ..	११,२००	१८,८००	—	१८,८००
८--तकमिल उत्मिव कालेज, लखनऊ ..	१४,७००	१८,५००	—	१८,५००
९--बल्देव आयुर्वेदिक कालेज, बड़ा गांव, वाराणसी ..	१,६००	१,०००	—	१,०००

	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०	अनावर्तक रु०	आवर्तक रु०
१०--अर्जुन दर्शनानन्द आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी ..	२,५०० ४,२००	—	२,०००	—
११--अर्जुन आयुर्वेदिक कालेज विद्यालय, वाराणसी ..	१,६००	—	—	—
१२--मेरठ आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ	२,०००	—	—	—
१३--आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून	१,६००	—	—	—
१४--आयुर्वेदिक कालेज, अत्तर्रा, बांदा		—	२,५००	—
१५--उत्तराखंड विद्यापीठ, गुप्तकाशी, गढ़वाल ..	१,१००	—	—	—
१६--आयुर्वेदिक कालेज, गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन ..	१,६००	—	—	—
१७--भारत तिबिया कालेज, सहारनपुर ..	१,१००	—	—	—
१८--महिला आयुर्वेदिक कालेज, मेरठ ..	१,६००	—	—	—
कुल योग ..	३,७२,८००	१,०३,१००	३,७२,८००	४,५००

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

१ कोतवाली	..	नकबजनी (भा० दं० वि०, धारा ४५७)	१
२ ठंडियावां	..	घर में घुस कर मारपीट (भा० दं० वि०, धारा ४५२)	१
३ कासिमपुर	..	चोरी (भा० दं० वि०, धारा ३८०)	१
४ सांडी ..	..	नकबजनी (भा० दं० वि०, धारा ४५७)	१

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—३०६—एल० ए०—१६६०—८४५ ।